18/X/23

Par. 8. 17. II. 1. 53
285

अंक २

संख्या १

बुध वार

१ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

13.3.92

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २३८१--२४२३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २४२४—२४४२]

(मूल्य ४ आने)

217 P.S.D.

लोक सभा

बुधवार, १ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चाय उद्योग की सहायता

*१११५. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चाय सम्बन्धी हितों के प्रतिनिधियों ने सरकार से चाय उद्योग की प्रत्यक्ष सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस प्रार्थना के सम्बन्ध में कोई पग उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने चाय उद्योग को प्रत्यक्ष सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें किस प्रकार की अप्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, सरकार ने अभी तक कोई सहायता नहीं दी .....

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि किसी प्रत्यक्ष सहायता का विचार नहीं किया जा रहा अतः इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कोई अप्रत्यक्ष सहायता देने का विचार है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, राज्य सरकारों ने, जो अवश्य अप्रत्यक्ष सहायता देती हैं, कुछ कार्यवाही की है । उन्हों ने भू-स्वामियों और श्रमिक दलों को एकत्र किया और श्रमिकों को जो कतिपय सुविधाएं दी जा रही थीं उन्हें अंशतः सुधारने का प्रबन्ध किया और उन्होंने कतिपय मूल्यों पर खाद्यान्न देने का भी उपक्रम किया है और चाय उद्योग स्वयं लगभग ५ लाख पौंड उत्पादन कम करने का विचार कर रहा है । श्रीमान्, सर्वप्रथम आज सहायता का प्रश्न अग्रगण्य नहीं है क्योंकि मूल्य वस्तुतः बढ़ गए हैं और भारतीय चाय संस्था के प्रधान ने मुझे विश्वास दिलाया था कि इस समय मूल्य उचित रूपेण अनुकूल हैं ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि चाय सम्बन्धी हितों के प्रतिनिधियों ने किस प्रकार की प्रत्यक्ष सहायता मांगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तीन दलों में से दो एकत्र हो गए और उन्हों ने कहा कि सरकार को कम से कम वह आय छोड़ देनी चाहिये जो चाय की आबकारी और निर्यात शुल्क से प्राप्त होती है और कि वह इसे वितरण के रूप में उद्योग को दे दे।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या यही सहायता है जो चाय उद्योग के प्रतिनिधियों ने मांगी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यही प्रधान सहायता है, जो मांगी गई थी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चाय व्यापार के वर्तमान अवसाद के कारण बैंक चाय उद्योग को ऋण देने में हिचकिचाहट कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र की बात कुछ समयानुकूल नहीं है । वर्तमान का अवसाद समाप्त हो चुका है । यह सत्य है कि जब अवसाद था तो सम्पत्ति स्वामी कठिनाई से धन देते थे और सरकार उन की कुछ मात्रा तक सहायता करने के लिए अग्रसर हुई थी । सरकार द्वारा बैंक को दी गई प्रत्याभूति का परिमाण तथा बैंकों द्वारा चाय उद्योग को दी गई धन राशि के सम्बन्ध में सूचना सदन को दी जा चुकी है । आज अवसाद निश्चित रूप से दूर हो चुका है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि चाय उद्योग की मूल्य-संरचना का परीक्षण करने के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति किस तिथि तक नियुक्त की जाएगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस से अधिक नहीं कह सकता । मैं विशेषज्ञ ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं और खोज अभी चल रही है ।

श्री नम्बियार : पिछली बार हमें बताया गया कि दार्जिलिंग और आसाम के क्षेत्रों में ११७ चाय के बाग बंद कर दिये गए थे । मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से किसी बाग को दोबारा खोला गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि कई चाय के बाग दोबारा खोले गए हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य स्पष्ट उत्तर चाहें तो मैं उन्हें प्रश्न की सूचना देने के लिए कहूंगा ।

श्री सी० आर० ईश्युनी : मैं जान सकता हूं कि क्या चाय के हितों को ऋणों के रूप में कोई धनराशि नहीं दी गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया गया था जब मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री ने उस ऋण की मात्रा प्रगट की जो सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने पर बैंकों ने दिया है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि चाय उद्योग पर ५ लाख पौंड उत्पादन कम करने की योजना बना रहा था । क्या इससे श्रमिकों की छंटनी नहीं होगी ? उन श्रमिको की संख्या क्या होगी जो केवल इस कारण कार्य से निकाले जाएंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं ने विषय के इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया । यह सम्भव है कि यदि तोड़ने का कार्य ध्यानपूर्वक हो और डंठल वाली चाय का परिहार किया जाए तो स्वतः ही छंटनी होगी । पत्ती ध्यानपूर्वक तोड़ने से यह अभिप्राय नहीं कि सेवा-युक्त श्रमिकों की संख्या घटायी जाए, तो भी मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता ।

मोटर-इंजन संयोजक संयंत्र

*१११६. **श्री कास्लीवाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि देश में मोटर-इंजन संयोजक संयन्त्र शक्ति से कम कार्य कर रहे हैं और यदि हैं तो क्यों ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : यह स्पष्टतया कहना कठिन है कि संयोजक संयन्त्र पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं क्योंकि मोटर इंजनों के संयोजन की

शक्ति का माप इस पर निर्भर है कि किस का संयोजन किया जा रहा है। कुछ केसों में इंजन का प्रत्येक भाग संयोजित किया जाता है और अन्य केसों में केवल कुछ भाग संयोजित किए जाते हैं और गियर बक्स डिफरेंशल और बाडियों का संयोजित भागों के रूप में आयात किया जाता है। इन परिस्थितियों के अधीन संयोजन की शक्ति का निर्णय कार्यकेन्द्र के विस्तार और उस में लगाए गए श्रमिकों के आधार पर किया जाता है। यदि ये निर्णायक सिद्धान्त हैं तो कहा जा सकता है कि इन कारखानों में से बहुत की अधिक शक्ति बिना प्रयोग के रह जाती है। वे जितना संयोजन कर सकते हैं उतना न करने के कारण प्रथमतया उत्पाद्य का अधिक खर्च और उस से कम प्राप्ति है।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई में सब संयोजक संयन्त्र शीघ्र ही बन्द हो रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें अफवाहें मिली थीं कि वे संयोजक संयन्त्र जिन के पास उत्पादन कार्य नहीं है बन्द हो रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि उन के बन्द होने के सम्बन्ध में कुछ निश्चित है। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर और उस कार्यवाही पर जो सरकार उस प्रतिवेदन पर करती है, बहुत निर्भर होगा कि ये संयन्त्र कार्य जारी रखते हैं अथवा बन्द हो जाते हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : कितने संयंत्र हैं जो पूरी कार संयोजित करते हैं और उनकी कुल शक्ति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र ने वकील होने के करण ऐसा प्रश्न पूछा है जिस का उत्तर देना मेरे लिए कुछ कठिन है। मेरे विचार से इस देश में १२ संयंत्र हैं जो कारों का संयोजन करते हैं। उन में से केवल कुछ एक के पास उत्पादन कार्य है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या यह तथ्य है कि फोर्ड और जैनरल मोटरज़ बम्बई में अपने संयोजन संयन्त्र बन्द कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है। समाचार पत्रों में चर्चा थी कि ये कारखाने बन्द हो रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कोई सरकारी सूचना नहीं मिली। वस्तुतः इन कारखानों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति मुझे मिले हैं परन्तु उन्होंने नहीं बताया कि वे कारखाने बन्द कर रहे हैं ? जैसा मैं ने बताया उन के भविष्य का आधार प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उस निर्णय पर, जो सरकार इस पर करेगी, होगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि संयोजन संयन्त्रों की बड़ी संख्या को सरकार ने अनुज्ञा दे दी है और इस से बाज़ार में कष्ट हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत देर हो गई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार और शैवरलैट मोटर कारों के उत्पादकों के बीच, भारत में इस प्रकार के मोटर इंजनों के संयोजन के सम्बन्ध में, हुए समझौते के सम्बन्ध में कोई प्रगति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया और निश्चित रूप से शैवरलैट कारों के उत्पादकों के साथ नहीं।

श्री टी० एस० ए० चेटिट्यार : देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए क्या संयंत्र बहुत अधिक है अथवा केवल पर्याप्त।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री पी० टी० चाको : भारत में संयोजित होने वाले मोटर इंजनों के मूल्य की उन के मूल्य के साथ तुलना कैसी है जो भारत में आयात किए जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अधिकतया लगाए गए निर्यात शुल्क पर निर्भर है। मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री द्वारा शुल्कों के हटाए जाने से, मैं समझता हूं कि वे कारें जो पूरी निर्यात की जाती थीं कुछ सस्ती थीं क्योंकि सारी कारों के केस में ५४ प्रतिशत का अधिमान्य शुल्क अथवा ६० प्रतिशत की प्रमाप दर लगती थी और बिखरी स्थिति में आयात की गई कारों की स्थिति में शुल्क लगभग ७२ प्रतिशत था। विभिन्न भागों पर शुल्क, भिन्न-शुल्क था और उन भागों को एकत्र करना होता था। पुनरीक्षित शुल्क के अधीन हमें न्यूनाधिक क्षति भी होगी।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में संयोजित होने वाले मोटर इंजनों की बिक्री केवल भारत में है या उन की बिक्री भारत से बाहर होने की संभावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तक मुझे यह ज्ञात नहीं कि कोई भारत में संयोजित किया गया इंजन निर्यात किया गया हो। संभवतः भविष्य में हमें निर्यात करने के लिए क्षेत्र प्राप्त हो जाये।

श्री बंसल : यदि जैनरल मोटरज़ और फोर्ड मोटर कम्पनी अपना उत्पादन बन्द कर दें तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह सर्वथा कल्पित प्रश्न है और सरकार की नीति पर निर्भर होगा जिस का निर्णय प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन मोटरों की मांग की कमी इन मोटरों में गुणात्मकता की कमी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री से कहलवाना चाहते हैं कि वे घटिया प्रकार की हैं ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार का यह विचार है कि भारत में संयोजित किए जाने वाले मोटर इंजन घटिया प्रकार के हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मैं इस प्रश्न के आधार से सहमत नहीं हूं।

कोयले की खानों में पूंजी का लगाया जाना

*१११८. **श्री विट्ठल राव :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की कोयले की खानों में कुल कितनी पूंजी की लागत है ?

(ख) इस में से अंग्रेजी पूंजी का कितना भाग है ?

(ग) क्या सरकार उन अंगार खनियों को ले लेने का विचार रखती है जो विदेशी कम्पनियों के अधिकार में हैं और जहां उन द्वारा कार्य होता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) अनुमानतः २९ करोड़ रुपया।

(ख) १९४८ में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किए गए भारत में विदेशी सम्पत्ति और ऋण की गणना के आधार पर तथा सांख्यकीय संक्षेप १९४९ के आधार पर लगभग १·४ करोड़। १९४८ के पश्चात् के आंकड़े प्राप्य नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री विट्ठल राव : क्या मैं इन अंग्रेजों द्वारा अधिकृत अंगार खनियों के वार्षिक उत्पादन को जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : खेद है कि मैं अभी यह आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री टी० एन० सिंह : यदि कोई रेलों द्वारा लगाई गई पूंजी की गणना करना चाहे तो यह सरकार द्वारा लगाई पूंजी है जो इन अंगार खनियों में अंग्रेजों द्वारा अधिकृत पूंजी के विरुद्ध गैर सरकारी पूंजी के विरुद्ध अवशेष रह जाएगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : रेलवे अंगार खनियों में लगाई गई पूंजी साढ़े सात करोड़ है । अवशिष्ट गैर सरकारी पूंजी है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जो कुछ समय पहले भारत सरकार की रेलवे अंगार खनियों का वाणिज्यन करना चाहती थी, वह हो रहा है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक प्रश्न क्या है ?

श्री एन० पी० सिन्हा : भारतीय रेलवे अंगार खनियों का सरकार द्वारा वाणिज्यन करने का प्रस्ताव था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अब भी विचाराधीन है अथवा छोड़ दिया गया है ।

श्री के० सी० रेड्डी : संभवत: माननीय सदस्य रेलवे अंगार खनियों को रेलवे मंत्रालय की बजाए उत्पादन मंत्रालय को सौंपने की ओर निर्देश कर रहे हैं । क्या ऐसा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे से वाणिज्य मन्त्रालय को हस्तान्तरण वाणिज्यन नहीं है ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार की नीति इन अंगार खनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार के उद्योग नीति पर प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जो १९४८ में प्रकाशित हुआ था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । सामान्य नीति सम्बन्धी सामान्य प्रश्न जिन में बहुत समय लगता है प्रश्न काल में नहीं पूछे जाते ।

अप्राकृतिक रेशम और शुद्ध रेशम

***११२०. श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि अप्राकृतिक रेशम और शुद्ध रेशम की मिलावट से बना हुआ कपड़ा मंडी में शुद्ध रेशम के कपड़े के रूप में बेचा जाता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस अभ्यास को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार व्यापारियों और जुलाहों द्वारा इस प्रकार के धोखे को बन्द करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ताकि रेशमी कीड़े पालने के उद्योग को क्षति न पहुंचे ?

श्री करमरकर : मैं कहना चाहता हूं कि विषय हमारे विचाराधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने रेशम की विभिन्न किस्मों के बीच अन्तर देखने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार किया है और क्या वह इन किस्मों पर मोहर लगाने के कोई साधन बनाएगी ?

श्री करमरकर : जी हां । ठीक यही विषय हमारे विचाराधीन है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने सर्वथा विरुद्ध विचार रखते हुए, जब कुछ इसे निरर्थक कहती हैं और कुछ कहती हैं कि इस का प्रयोग करना चाहिये,

इस विषय को कुछ जटिल बना दिया है। यह हमारी समस्या है।

सेठ गोविन्द दास : क्या गवर्नमेन्ट के पास जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में आई है, उन से यह पता चलता है कि बाज़ार में असली रेशम की जगह पर इस तरह का नकली रेशम कितने प्रतिशत बेचा जा रहा है ?

श्री करमरकर : फ़ीसदी डिटरमिन करना और बतलाना तो इस वक्त कठिन है, हां, यह बात सत्य है कि ऐसी बात बाज़ार में चलती है और इस को रोकना भी मुश्किल की बात है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस समय जो रेशम असली के रूप में बाज़ार में बेचा जाता है उस में ज्यादातर मिलावट होती है और असली रेशम बाज़ार में बहुत कम है ?

श्री करमरकर : बाज़ार में प्योर सिल्क भी आता है और जो प्रार्ट सिल्क का मिक्सचर होता है वह भी आता है।

श्री झुनझुनवाला : मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि उन की दिक्कत इसलिये बढ़ गई है कि हर स्टेट की राय इस सम्बन्ध में अलग अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार स्टेट गवर्नमेन्ट की इस सम्बन्ध में क्या राय है ?

श्री करमरकर : मैं देख लूंगा और फिर आप को बतलाऊंगा, वैसे बिहार की राय इस के खिलाफ है।

श्री झुनझुनवाला : बिहार की राय कौन सी चीज़ के खिलाफ़ है ?

श्री करमरकर : मैं देखूंगा इस में समय लगेगा।

श्री झुनझुनवाला : खिलाफ के क्या मानी वह क्या दोनों का मिश्रण बेचने देना चाहते हैं या अलग अलग चाहते हैं।

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि वे विधान के पक्ष में हैं।

श्री झुनझुनवाला : मैं साफ कर देना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता था कि बिहार गवर्नमेंट की क्या यह राय है कि इस तरह से जो यह मिक्सचर चल रहा है यह इसी तरह से चले या वह अलग बनाया जाए और उस को प्रोत्साहन दिया जाए।

श्री करमरकर : सब लोगों की राय यही है कि ऐसा मिक्सचर नहीं चलना चाहिये, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या रैमेडी हो सकती है इस के बारे में आपस में मत भेद है। माननीय सदस्यों की इनफारमेशन के लिए मैं बतला देना चाहता हूं कि बिहार सरकार इस विषय में विधान का समर्थन करती है।

श्री आर० एन० सिंह : उत्तर प्रदेश की सरकार की इस विषय में क्या राय है ?

श्री करमरकर : उत्तर प्रदेश सरकार की भी यह राय है कि सोचे गए वैधानिक ढंग प्रयोग नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि इस रेशम का बड़ा भाग हाथ से कते धागे के उद्योग के रूप में बनाया जाता है।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार भिन्न नीति का अनुसरण कर रही है और कि यह सरकार के लिए समस्या है। इस तथ्य के विचार से मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में एकरूप नीति बना रही है ?

श्री करमरकर : ठीक यही प्रयत्न हम कर रहेहैं। इस विषय पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार रेशम के निर्माताओं को शुद्ध, मिश्रित अथवा अप्राकृतिक रेशम की किसम

की मोहर लगाने का निर्देश कर सकती है और यदि ऐसा कर सकती है तो किस उपबन्ध अथवा नियम के अधीन ?

श्री करमरकर : ठीक यही विचाराधीन है। यदि विचार करने के पश्चात् हम ने आवश्यक समझा तो संसद् को हमें आवश्यक अधिकार देने होंगे। हमें कोई संदेह नहीं कि संसद् ऐसा कर देगी।

ए० आई० आर० के समाचार संवादी

*११२१. **श्री मादिया गौडा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० आई० आर० ने कितने समाचार संवादी लगाये हैं और उन के मुख्यालय कौन से हैं;

(ख) क्या कोई भ्रमण करने वाले समाचार संवादी हैं और यदि ऐसा है तो कितने; तथा

(ग) क्या मैसूर राज्य के लिए कोई समाचार संवादी है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[परिशिष्ट ८, अनुबन्ध १ देखें]**

(ख) सब संवादी भ्रमण करते हैं।

(ग) जी नहीं। मदरास में स्थित संवादी मैसूर राज्य के महत्वपूर्ण समाचारों को एकत्र कर लेता है ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि क्या ये संवादी प्रादेशिक क्षेत्रों में भी समाचार पहुंचाता है ?

डा० केसकर : ये संवादी जो समाचार एकत्र करते हैं उन्हें केन्द्रीय मुख्यालयों को भेज देते हैं और यदि इन का स्थानीय महत्व हो तो स्थानीय स्टेशनों को भी दे देते हैं।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इन संवादियों के अतिरिक्त कोई अभिकर्तृ प्रादेशिक समाचार देने के लिए है ?

डा० केसकर : समाचार एजेंसियां और स्थानीय सरकारी साधन भी हैं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि ए० आई० आर० के कर्मचारी बहुत संख्या में इस कारण से निकाल दिए गए हैं कि उन्होंने कतिपय परीक्षायें नहीं पास कीं यद्यपि उन्हें युद्ध काल में लिया गया था ?

डा० केसकर : मेरी प्रार्थना है कि यह प्रश्न के लिए सर्वथा अप्रासंगिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री नम्बियार : मैं स्थिति जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ए० आई० आर० के सम्बन्ध में किसी बात से अन्य प्रत्येक विषय के बारे में पूछने का लाभ नहीं उठा सकते ।

श्री नम्बियार : स्वतन्त्र प्रश्न ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रैस सूचना विभाग की प्रादेशिक शाखाएं उन क्षेत्रों के समाचार रखेंगी ?

डा० केसकर : इस समय ऐसा नहीं है । परन्तु क्योंकि प्रादेशिक समाचार विवरणिकाएं बढ़ाने का विचार है बहुत संभव है कि प्रैस सूचना विभाग के प्रादेशिक कार्यालयों को भी इन कार्यालयों के सहयोग में लाया जाए।

श्री रघुरामय्या : इस तथ्य के विचार से कि पी० टी० आई० तथा अन्य समाचार ऐजेंसियां हैं जो प्रादेशों में से समाचार देती हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या ये समाचार संवादी नियुक्त करने की कोई विशेष आवश्यकता समझी गई है ।

डा० केसकर : मैं समझता हूं कि इन संवादियों की जरूर आवश्यकता है । जैसा कि

माननीय सदस्य को मेरे उत्तर से पता लगेगा कि हमारे संवादी बहुत थोड़े हैं अर्थात् ४ अथवा ५ हैं। परन्तु संवादियों की आवश्यकता स्पष्ट है क्योंकि प्रैस ऐजेंसियों का समाचारों के लिए अपना दृष्टिकोण होता है। हमारे संवादी हमारी समाचार विवरणिकाओं की आवश्यकताएं समझते हैं और उन से ऐसे समाचार एकत्र किए जाने की प्रत्याशा की जा सकती है जिस से हमारा प्रयोजन अच्छा चल सके।

श्री नानादास : श्रीमान् जी क्या मैं जान सकता हूं कि इन संवादियों को किस दर से दिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्तंभानुसार अथवा वेतन ?

डा० केसकर : मैं अभी नहीं बता सकता। असिस्टेंट संवादी, संवादी, सीनियर संवादी और विशेष प्रतिनिधि हैं। मैं सूचना पटल पर रख सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें मासिक वेतन अथवा स्तंभानसार दिया जाता है।

डा० केसकर : नहीं। मासिक वेतन है।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों के सूचना विभाग ए० आई० आर० स्टेशनों को कोई समाचार दे रहे हैं ?

डा० केसकर : जहां कहीं प्रादेशिक समाचार विवरणिका होती है स्थानीय सरकार का सूचना मंत्रालय हमें अवश्य पर्याप्त सूचना देता है, जिन से हम समाचार निकाल लेते हैं परन्तु आवश्यक रूप से केन्द्रीय मुख्यालय को कोई समाचार नहीं भेजा जाता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सूचना विभाग की ओर से जो 'इन्फार्मेशन' और 'समाचार' नाम की पत्रिकायें निकलने वाली हैं उन के लिये करेस्पान्डेन्ट्स की नियुक्ति दूसरे स्टाफ में से भी हो सकती है ?

डा० केसकर : यह सवाल अभी विचाराधीन है और इन करेस्पान्डेन्ट्स का कोई सम्बन्ध इन से नहीं आता।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि यह करेस्पान्डेन्ट्स कितनी भाषाओं के जानकार हैं और किन किन भाषाओं में करेस्पान्ड करते हैं ?

डा० केसकर : चूंकि यह सवाल नहीं था कि यह करेस्पान्डेन्ट्स कितनी भाषायें जानते हैं, इसलिये मैं यह बात नहीं बता सकता।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी कार्य करने वाला दल

*११२२. **डा० लंका सुन्दरम् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ए० रामास्वामी की अध्यक्षता में १९५० में नियुक्त किए गए सूती कपड़े के उद्योग के लिए कायकारी दल की कार्य की शर्तें क्या थीं;

(ख) कार्यकारी दल ने जांच पड़ताल और अपने अभिस्तावों को बनाने में कितना समय तथा धन राशि खर्च की;

(ग) क्या सरकार कार्यकारी दल का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेगी;

(घ) क्या कार्यकारी दल के अभिस्तावों का सरकार ने अनुमोदन किया है; यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने अभिस्तावित साधनों को कार्यान्वित करने के लिए कोई पग उठाए हैं;

(ङ) श्री एन० एन० कानूनगो की अध्यक्षता में नियुक्त की गई नई कपड़े के उद्योग सम्बन्धी समिति के कार्य की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) कुल व्यय की गई राशि लगभग ६५,००० रुपये है;

(ग) प्रतिवेदन मुद्रित होने वाला है। तब तक प्रतिवदन की एक साईक्लोस्टाइल्ड प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी है।

(घ) प्रतिवेदन का निरीक्षण हो रहा है,

(ङ) समिति को बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति सदन पटल पर रखी है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या २]**

डा० लंका सुन्दरम् : कार्यकारी दल के सम्बन्ध में वक्तव्य और कानूनगो समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव से मुझे कार्य की शर्तों के सम्बन्ध में एक बड़ी समानता का पता लगता है। श्रीमान् जी क्या सरकार कारण बता सकती है कि क्यों कार्यकारी दल के अभिस्तावों के निरीक्षण और कार्यान्वित करने से पूर्व यह समिति नियुक्त की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान जी खेद है कि माननीय सदस्य इसे एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और हमें इसे भिन्न दृष्टिकोण से देखना है। हमारे पास शब्द संख्या विपुल नहीं है, अतः स्वभावतः कुछ शब्द दोनों की कार्य सम्बन्धी शर्तों में समान हैं। यद्यपि कार्यकारी दल का प्रतिवेदन मिल गया था, सरकार ने अनुभव किया कि यह बड़ा प्रश्न है जो हमारे सम्मुख कारखाना उद्योग, इंजन से कताई और हाथ से कताई दोनों के सम्बन्ध में उपस्थित है और एक विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। श्रीमान् जी निश्चयेन कपड़ा उद्योग सम्बन्धी जांच समिति कार्यकारी दल की जांच को ध्यान में रखेगी। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार ने कार्यकारी दल के अभिस्तावों की सर्वथा उपेक्षा की है। इन अभिस्तावों में से कतिपय कार्यान्वित किए गए हैं अथवा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए साधन अपनाए गए हैं अथवा उन्हें अधिकतया सम्बन्धित उद्योग के लिए छोड़ दिया है। उन में से कुछ को कार्यान्वित करने के लिए हमें कपड़ा उद्योग सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी है।

श्री बैलायुधन : श्रीमान् जी मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से सदन यह समझे कि यह कार्यकारी दल दो वर्ष कार्य करने के पश्चात् उन विषयों को नहीं व्याप्त कर सकता था जो कानूनगो समिति ने किए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् जी, मुझे शंका है कि मेरी व्याख्या पर भी मेरे माननीय मित्र ने स्थिति को नहीं समझा जो कि संभवतः रुकावटपूर्ण है। तथ्य संभवतः लगभग वही है जो वे समझते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: मुझे विवरण से पता लगता है कि प्रतिवेदनों में उत्पादन को युक्तिपूर्ण बनाने का ढंग भी निविष्ट है। इसलिए श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या कार्यकारी दल और कपड़ा उद्योग सम्बन्धी जांच समिति के सदस्यों में भी कोई समय और गति अध्ययन का विशेषज्ञ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कपड़ा उद्योग सम्बन्धी जांच समिति का विधान कार्यकारी दल से सर्वथा भिन्न है। कार्यकारी दल मुख्यतया सेवायोजकों, श्रमिकों और कतिपय व्यक्तियों का बना हुआ है, जो राज्यों का वैयक्तिक विचार ले सकते थे। जहां तक जांच समिति का सम्बन्ध है यह पूर्णतः उन लोगों द्वारा निर्मित है जिन्हें हम विशेषज्ञ कह सकते हैं और जो उद्योग से किसी स्तर पर भी सम्बन्ध नहीं रखते और इस लिए कोई ऐसा सदस्य रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई जो गति और समय का ज्ञान रखता हो। निश्चेयन समिति उन विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग करेगी जो उसे इस विषय पर भी सूचना दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। अनुपस्थित।

एक माननीय सदस्य : वे यहां हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब बुलाया जाये माननीय सदस्य को अपने स्थान पर होना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*११२३ **श्री लक्ष्मण सिंह चरक**: क्या **निर्माण-गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन अधिकारियों के लिए अलग सरकारी क्वार्टरों का कोई संग्रह है जो नई देहली में स्थायी तौर पर लगाए जाते हैं ?

(ख) सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गृह सम्बन्धी मांग को किस वर्ष पूरा करने की प्रत्याशा रखती है ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को अपने कर्मचारियों में से प्रत्येक को निवास-स्थान देने का उत्तरदायित्व नहीं है । तो भी राजधानी के विशेष रूप का विचार करते हुए उन में से अधिकतम को यथासम्भव मकान देने का प्रयास कर रही है । यदि पूंजी प्राप्य हुई तो अगले कुछ वर्ष सरकार के खाते से रचना कार्य आरम्भ करने का विचार है और यह प्रत्याशा की जाती है कि इस तथा गैर-सरकारी रचना द्वारा जो चल रही है हम पर्याप्त रूपेण इस मांग को पूरा कर सकेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात का ख्याल करते हुए कि गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिये मकानों की बहुत कमी है, क्या सरकार इस सम्बन्ध की कोई तजवीज़ कर रही है ? क्या नये मकानों के लिये कोई काम चल रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस का जवाब तो मैं ने दूसरे हिस्से में दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह कह दिया है ।

श्री पी० टी० चाको : राज्य सरकारों अथवा पूर्व राज्यों के शासकों के कितने मकान जो देहली में स्थित हैं सरकार ने ले लिये हैं जो इन देहली में आने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : राजकुमारों, अन्य व्यक्तियों तथा कतिपय राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले जो मकान देहली में स्थित हैं ले लिये गये हैं । यदि मेरे मित्र प्रश्न रखें तो मैं संख्या पता करूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : बिल्डिंग्स का कोई पूल तो नहीं है लेकिन क्या यह सच है कि रेन्ट के लिये एक पूल का सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है और उस के अन्दर रेन्ट तय करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि ऐसा भी है तो विभिन्न किरायेदारों के सम्बन्ध में वह नियम बदलता नहीं । वह एक रूप नियम है और संग्रहीत किराये के सम्बन्ध में भी नियम है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स की कमी होने के कारण दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था की जा रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कोशिश तो काफी हो रही है, लेकिन इस की मुखालिफत भी काफी है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि यहां के जो आफिसर्स हैं वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, वह सिर्फ दिल्ली में ही रहना चाहते हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, कुछ दफ्तर ऐसे भी हैं जिन को दिल्ली से बाहर भेजने की मुखालिफत है ।

श्री राघे लाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिये स्थान दिया जाता है उनमें से कुछ हिस्से को वह दूसरे लोगों को किराये पर दे देते हैं ? क्या उस को रोकने का कोई प्रबन्ध गवर्नमेंट ने किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि किसी को किराये पर देने में कोई खराब बात नहीं है । इस बारे में स्टेट आफिस से इजाज़त ली जाती है । इस बात की तसल्ली कर ली जाती है कि किराया हिसाब से ज्यादा न लिया जाये ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : सरकार ने यह बतलाया है कि कर्मचारियों को मकान देने की जवाबदेही सरकार की नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की कानूनी जवाबदेही नहीं है या नैतिक जवाबदेही भी नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् जी मैं समझता हूं कि दोनों ।

श्री नम्बियार : प्रश्न के भाग ख के दिये गये उत्तर में जो अस्पष्ट और संदिग्ध है, उत्पन्न होने वाली बात पर मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार हमें कुछ अनुमान बता सकती है कि कब—एक वर्ष में दो में अथवा तीन में सरकारी कर्मचारियों के गृह-व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न हल हो जायेगा अथवा देहली में यह सुलझ जायेगा ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाये तो यह प्रश्न भी संदिग्ध है और यदि संतोषजनक सुझाव से यह अभिप्राय है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक अलग मकान देना तो मैं सीधे ही कह दूं कि यह लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है । परन्तु यह अनुभव किया गया है कि गृह-व्यवस्था का कार्यक्रम जिस का उपक्रम किया गया है बहुत सीमा तक कठिनाई को दूर कर देगा और जैसा मैं ने पहले बतलाया है गैर-सरकारी रचना जो चल रही है इस दिशा में सहायक होगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या एक वेतन की श्रेणी के अधिकारियों से सम्बन्धित क्वार्टर दूसरे वेतन की श्रेणी के अधिकारियों को अब भी अलाट किये जा रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वह प्रतिशतता बड़ी नहीं हो सकती परन्तु यदि प्रश्न किया जाय तो मैं उस का पता करूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो अफसर अपना मकान दूसरों को देते हैं व स्टेट आफिस से इजाज़त ले कर देते हैं । क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इजाज़त बहुत कम मामलों में दी गई है और ज्यादातर ऐसे मकान हैं जो बिना किसी तरह की इजाज़त के सिर्फ किराया कमाने के लिये दिये गये हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : कुछ समय पहले कुछ केस थे परन्तु अब हम ने उन्हें विनियमित कर दिया है । जो व्यक्ति अपना मकान शिकमी देना चाहे, वह सूचना देता है और यदि ऐस्टेट दफ्तर समझे कि जो किराया लिया जा रहा है अधिक है अथवा किरायेदारी का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा जिस प्रकार का किरायेदार लाया जा रहा है उपयुक्त नहीं है तब ऐस्टेट दफ्तर कार्यवाही करता है । मेरे माननीय मित्र की इस विषय पर सूचना कुछ पुरानी है । अब वे देखेंगे कि ऐसे केस अधिक नहीं हैं ।

डा० एम० एम० दास : एक अनुपूरक के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि बहुत से अधिकारी हैं जो देहली से बाहर नहीं जाना चाहते। मैं जान सकता हूं कि कितना विशेष आदिधेय राजधानी में नियुक्त किये गये अधिकारियों को दिया जाता है जिस के कारण उन की ऐसी प्रवृत्ति है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह मैं माननीय सदस्य पर छोड़ देता हूं कि वह अपने निजी निष्कर्ष निकालें। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कोई ऐसा आदिधेय भी कारण हो। देहली का आकर्षण है और इस की सब सुविधायें हैं तथा क्या नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को मकान देने के लिये कितनी अर्जियां हैं और वे कितने सालों से अभी तक पेंडिंग हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वे हज़ारों हैं परन्तु यदि वे नोटिस दें मैं उन्हें ठीक संख्या बता सकूंगा।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या वेतन का दस प्रतिशत जो सरकारी अधिकारियों से किराये के रूप में लिया जा रहा है छोटे मकानों के केस में भी लिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी खड़े हुए —

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही माननीय सदस्य को तीन चार प्रश्न पूछने दिये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने जो प्रश्न पूछा था उस के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य को सारे प्रश्न के पंटे पर एकाधिकार नहीं रखना चाहिये। अब डा० सुरेश चन्द्र।

डा० सुरेशचन्द्र : अभी माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि यहां पर जो रियासतों के मकान हैं वे ले लिये गये हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हैदराबाद रियासत का जो मकान है उस को भी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ले लिया है या लेने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं अभी नहीं बता सकता। परन्तु मेरे विचार में वह इस समय राज्य सरकार के पास नहीं है। हम ने उस मकान का अधिकार भी ले लिया है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सरकार ले चुकी है परन्तु किराया देती है।

हाथ से कताई के कपड़ा उद्योग की सामग्री का निपटारा

*११२४. **श्री एम० डी० रामास्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में हाथ से कताई के कपड़ा उद्योग की संगृहीत सामग्री का निपटारा करने के लिये साधनों का संयोजन करने में सरकार ने क्या पग उठायें हैं; तथा

(ख) क्या इन कपड़ा उद्योगों के लिये विदेशी मण्डियों को पुन. प्राप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हाथ से कताई के कपड़ा उद्योग की संगृहीत सामग्री का निपटारा करने में सहायता के लिये सम्बन्धित राज्य। सरकार अल्पकालीन साधन अपनाती है। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग की सहायता के लिये पग उठाये हैं और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) जी हां ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपनी कपड़े की सब आवश्यकताओं के लिये हाथ से कता कपड़ा खरीदने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिनांक २० जून १९५२ के सरकारी प्रस्ताव की ओर निर्दिष्ट करता हूं, जिस में कुटीर तथा छोटे उद्योगों और उन के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट व्यक्त की गई है ?

श्री एस० वी० रामास्वामी : हाथ से कते कपड़े की संगृहीत मात्रा कितनी है उस का मूल्य क्या है और उस में से कितना चुकता हो गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने कहा प्रश्न सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजा जाये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वे सरकारी गणवेशों के लिये हाथ से कते कपड़े खरीदें और यदि ऐसा है तो कितनी सरकारों ने उसे खरीदना आरम्भ कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस जैसे विषय में जो राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को परामर्श देना धृष्टता होगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने कोई ऋण इस लिये मांगा है कि वे हाथ से कते कपड़े को खरीद सकें और बाद के किसी सुविधाजनक समय पर बेचने के लिये एकत्र कर सकें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या हाथ से कते कपड़े को खरीदने के लिये ऋण ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सहयोगी समितियों को पेशगी देने के ऋण ताकि वे हाथ से कते कपड़े को अब एकत्र कर सकें और बाद में उपयुक्त मूल्य पर बेच सकें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं । मैं समझता हूं कि ठीक इसी प्रयोजन के लिये कोई प्रार्थना नहीं आई ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस की लागत की कमी अन्तिम धुलाई और इन हाथ से कते कपड़े की विधा की कमी के कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अनुमान का विषय है । ये सहायक कारण हो सकते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या हाथ से कते कपड़ों के लिये विदेशी मंडियों का अध्ययन करने के लिये एक व्यापारी मिशन भेजने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने कपड़ा उद्योग के कमिश्नर के कार्यालय में एक व्यक्ति लगाया था । इस समय यह विषय हैंडलूम बोर्ड के पास है । स्थायी समिति की गत बैठक में वे अपनी निर्यात मंडियों को विभिन्न स्थानों पर अर्थात् सिंगापुर, बैंकांक, ढाका बगदाद, रंगून और कोलम्बू, में वाणिज्य स्थान स्थापित कर के, विस्तृत करने और विदेशी निर्यात कर्ताओं तथा भारतीय आयात कर्ताओं के बीच संसहकारिता के रूप में काम करने के लिय वाणिज्यिक यात्रिक नियुक्त करने की योजना पर विचार हो रहा था ।

श्री अच्युतन : राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप

हाथ से कते कपड़े के उद्योग और उस की संगृहीत सामग्री की स्थिति अब कैसी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो सूचनायें हमें विभिन्न राज्यों में अपने अधिकारियों से मिलती हैं उन से पता चलता है कि बहुत से स्थानों पर स्थिति कुछ अच्छी है । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है १९५२ के निर्यात आंकड़े जो अब प्राप्य हैं गत चार वर्ष में सब से अच्छे हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सदन पटल पर रख गये विवरण के अनुसार कारखाना में बन कपड़े पर कर पहले ही लगा दिया गया है और यदि ऐसा है तो यह कर किस प्रकार वैध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह लगाया जा रहा है क्योंकि एक विधेयक इस सदन में पुरःस्थापित किया गया है और इस विधेयक के पुरःस्थापन के साथ सदन ने यह कर एकत्र करने की अनुज्ञा दे दी है । उस विधेयक में इस प्रकार उपबन्ध है । करों के कार्य-निर्वाहक एकत्रीकरण अधिनियम के अधीन कर लगाया जा रहा है, और मेरी सूचना और ज्ञान के अनुसार यह सर्वथा वैध है क्योंकि सदन ने कर लगाने का अधिकार दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से राय नहीं मांगी जा सकती ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि तामिलनाद में हाथ से कपड़ा बुनने वालों की मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या किया है अथवा क्या करने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभवतः यह प्रश्न उस सरकार से करना चाहिये जो तामिलनाद पर शासन करती है ।

श्री बालकृष्णन् : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि देश में एक आन्दोलन हो रहा है कि कारखानों को बार्डर वाली धोतियां बनाने से मना कर देना चाहिये और यदि ऐसा है तो सरकार की इस विषय में क्या राय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई राय नहीं पूछी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को ऐसे कुछ आन्दोलन विदित हैं और संभवतः उसी आन्दोलन के उत्तर में सरकार कारखानों से उन के धोतियों के उच्चतम उत्पादन का ६० प्रतिशत उत्पादन करवा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में माननीय मन्त्री ने बताया है कि उठाये गये पगों में से एक हैंडलूम उपदेष्ट्री निकाय का केन्द्र में बनाया जाना है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार प्रान्तीय निकाय बनाने पर भी विचार कर रही है । यदि ऐसा है तो उन का विधान क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ज्योंहि पूंजी प्राप्य होगी अर्थात् जब यह सदन कारखाने के कपड़े पर कर लगाने के लिये विधेयक पर आज्ञा की मोहर लगा देगा तो इस सरकार की उन राज्य सरकारों को राज्य के हैंडलूम निकाय बनाने के लिये कहने की इच्छा है जो हाथ से कते कपड़े के उद्योग में अभिरुचि रखते हैं । और उन का विधान अधिकतया सम्बन्धित राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा । हमारी उन से इस विषय पर बात करने की इच्छा है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालीन ऋणों पर हाथ द्वारा कताई का सामान

बेचने की उपयुक्तता पर विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये प्रस्ताव है ।

चाय के बक्स

*११२५. **श्री एम० डी० जोशी** : (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने चाय के बक्स बनाये जाते हैं और प्रतिवर्ष कितने आयात किये जाते हैं ।

(ख) क्या चाय के उद्योग की क्षति से चाय के बक्सों की मांग पर प्रभाव पड़ा है और यदि ऐसा है तो कितना ?

(ग) क्या भारत में चाय के बक्सों का उत्पादन चाय उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

(घ) यदि ऐसा है तो क्या सरकार देश के चाय के बक्सों के उद्योग की रक्षा के लिये विदेशी चाय के बक्सों के आयात को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करने की इच्छा रखती है ?

(ङ) क्या यह तथ्य है कि विदेशी चाय के बक्सों की मांग उत्तर भारतीय चाय उत्पादकों की ओर से दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा अधिक है ?

(च) यदि ऐसा है तो इस के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है ।

(ख) वर्ष १९५३ में चाय के उत्पादन में कुछ कमी के अनुसार चाय के बक्सों की मांग में अनुपाततः कमी होगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) तथा (च). सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशी चाय के बक्सों की अधिक मांग है ।

विवरण आंकड़े

उत्पादन (दस लाखों सैटों में गणना)	आयात (दस लाखों में गणना)	मूल्य दस लाख रुपयों में)
१९५१ ३·३७	१·८३**	१,२५,३६*
१९५२ ४·३५	१·५१	९२·२५

*मूल्य पूरे वर्ष १९५१ के लिये है

**गणना केवल अप्रैल १९५१ से रखी गई है । दिये गये आंकड़े केवल ९ मास के लिये हैं अर्थात् अप्रैल १९५१ से दिसम्बर १९५१ तक ।

श्री करमरकर : श्रीमान् जी क्योंकि विवरण संक्षिप्त है मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा उत्पादन ३०·३७ लाख था और १९५२ में ४०·३५ लाख और हमारी आयात १९५१ के अप्रैल से लेकर ९ मास में १०·८३ लाख तथा १९५२ में १०.५१ लाख थी ।

श्री एम० डी० जोशी : उत्पादन में कमी का क्या कारण है ? क्या आवश्यक सामग्री की कमी है अथवा किसी अन्य कारण से है ?

श्री करमरकर : चाय के बक्सों का उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है । कोई कमी नहीं है । हम पूरी आवश्यकता तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री आल्तेकर : किन देशों से चाय के बक्स भारत में आयात किये जाते हैं ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से अधिकतया फिनलैंड से ।

डा० सुरेश चन्द्र : श्रीमान् जी मैं जान सकता हूं कि आयात किये गये चाय के बक्सों का कुल मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : जैसा मैं ने कहा ९ मास में मूल्य, १,२५,३६,००० रुपये था और १९५२ में ९२·२५ लाख रुपये ।

डा० एम० एस० दास : श्रीमान्, जी मैं जान सकता हूं कि विदेशों को निर्यात की गई चाय में कितनी मात्रा तक क्षति इस देश में चाय के बक्सों की बुरी किस्म बनने के कारण है ?

श्री करमरकर : अब वह शिकायत नहीं है । हमारे चाय के बक्सों की किस्म निश्चेयन सुधर गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान् जी, मैं जान सकती हूं कि आयात चाय के बक्सों का देश तट पर मूल्य क्या है और आसाम में चाय के बागों में क्या है ?

श्री करमरकर : जैसा मैं ने बताया १९५१ में आयात किये गये १०·८३ लाख सैटों का मूल्य १२५ लाख था । मेरा विचार है कि उस से गणना की जा सकती है ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान् जी, क्या मैं जान सकता हूं कि यहां बनाये गये चाय के बक्सों की तुलना में आयात किये गये बक्सों का मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : मुझे नोटिस मिलना चाहिये ।

श्री वैलायूधन : श्रीमन् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री को विदित है कि चाय के बक्सों का एक बड़ा संग्रह कुछ प्लाईवुड के कारखानों में निष्प्रयोग पड़ा है क्योंकि कोई मांग नहीं है, तथा क्या यह बड़े संग्रहों के आयात के कारण नहीं है ?

श्री करमरकर : निष्प्रयोग पड़े चाय के बक्सों के बारे में हमें विदित नहीं है । वे प्रयोग से रखे हैं परन्तु मेरे विचार में लगभग २०·९ लाख सैट चाय के बागों में हैं और लगभग १०·५ लाख सैट उत्पादकों के पास हैं ।

कुटीर उद्योग का विकास

*११२६. **श्रीमती शकुंतला :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने कतिपय कुटीर उद्योगों के विकास पर संकेन्द्रित होने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो चुने गये उद्योग कौन से हैं ?

(ग) उन के शीघ्र विकास के निश्चय करने के लिये कौन से पग उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर एक विवरण रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री धुलेकर : क्या सरकार ने उन कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ सूचनात्मक पुस्तकें तैयार की हैं जिन पर संकेन्द्रण किया जायेगा और जिन का विशेष ज़िलों अथवा क्षेत्रों में विकास किया जायेगा ।

श्री करमरकर : कुछ क्षेत्रों में आपरीक्षण किया गया है परन्तु ज़िलावार विकसित किये जाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नहीं है । इस प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया निकाय विषय पर ध्यान देगा ।

श्री धुलेकर : पंचवर्षीय योजना में जैसा विचार किया गया था, कितने आर्थिक निगम, यदि कोई हों संगठित किये गये हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसे निगमों की क्या संख्या है ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न अधीन उस प्रश्न का प्रसंग जानना चाहता हूं और तब उत्तर के लिये सामग्री प्राप्त कर सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कुटीर उद्योग के आर्थिक निगम सम्बन्धी कोई योजना है ? व अलग कुटीर उद्योग का आर्थिक निगम चाहते हैं ।

श्री करमरकर : मेरे विचार में हमारे पास नहीं है .....

श्री धुलेकर : योजना आयोग के प्रतिवेदन में यह वर्णन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी बात सोची गई है ?

श्री करमरकर : नहीं श्रीमान् जी अभी नहीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : कितने प्रकार के उद्योग जिन्हें सरकार विकसित करने का प्रस्ताव रखती है शक्ति द्वारा चलने वाले हैं ?

श्री करमरकर : इन में से कितने उद्योग शक्ति से चलने वाले हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के कान इतने ही अच्छे हैं जितने मेरे हैं ।

श्री करमरकर : मैं समझना चाहता था । इन उद्योगों में से कुछ शक्ति से चलने वाले भी हैं । विचार यह है कि वे बड़ी श्रेणी के हैं अथवा छोटी श्रेणी के हैं और यह नहीं कि वे शक्ति से चलने वाले हैं अथवा शक्ति से न चलने वाले ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस दृष्टि से कि हमें सस्ती कीमत पर विद्युत शक्ति मिलने वाली है .....

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब युक्तियां और सुझाव हैं न कि सूचना प्राप्ति । श्री चाको ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार मद्रास में नये आरम्भ किये गये 'नीम' अथवा 'अकानी' उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : क्या नीम के तेल का उद्योग ?

उपाध्यक्ष महोदय : बैंत लगाने का उद्योग ।

श्री पी० टी० चाको : मद्रास शहर में नया आरम्भ किया गया 'नीरा' उद्योग । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यदि एक समय एक व्यक्ति बोले तो हमारी समझ में आ सकता है ।

श्री करमरकर : मुझे शंका है कि नीरा उद्योग का सम्बन्ध खाद्य मंत्रालय से है और उस मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

सस्ते घरों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

***११२७. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सस्ते घरों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब करने का विचार है जिस के लिये अगले वर्ष के बजट में लगभग ९ लाख का उपबन्ध किया गया है; तथा

(ख) यह कहां की जानी है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जनवरी १९५४ में ।

(ख) देहली में, निश्चित स्थान क सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया, परन्तु वह स्थान जहां आज कल रेल की प्रदर्शनी हो रही है चुने जाने की संभावना है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या गृहों का सस्तापन मुख्यतया प्राप्य सामग्री के सस्तेपन पर निर्भर होगा और इस दृष्टिकोण से प्रदर्शनी का प्रयोजन क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् जी, यह ठीक है और वे सस्ती सामग्री एकत्र की जाएगी और गृह के रूप में निर्माण की जायेगी और लोगों को दिखाया जायेगा कि यह मूल्य है (विघ्न)

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान् जी, एक सूचना सम्बन्धी प्रश्न है । मैं जान सकता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य इस प्रकार खड़े हो कर इस प्रकार बोल सकते हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस प्रदर्शनी में संसार के कितने देशों का प्रतिनिधित्व होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् जी यह बताना कि कौन से देश भाग लेंगे अभी समय से पूर्व है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् जी क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे सस्ते गृह भी दिखाये जायेंगे जिन का उपयोग छोटे, माध्यम और बड़े गावों में किया जा सकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् जी, सस्ते गृह परिमाण में बहुत बड़े नहीं हो सकते । विभिन्न परिमाणों के सस्ते गृह दिखायें जायेंगे और, यह इच्छा है कि वे इस ढंग से रखे जायें कि वे प्रदर्शनी के पश्चात् व्यवहारिक उपयोग में लाये जा सकें । उन्हें केवल प्रदर्शन के लिये नहीं रखा जाना है :

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् जी मुझे संदेह है कि माननीय मंत्री नहीं . . . .

बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अच्युतन् । मैं प्रत्येक प्रश्न पर इतने प्रश्न नहीं पूछने दूंगा ।

श्री अच्युतन: श्रीमान् जी क्या मैं अनुपूरक पूछूं अथवा अगला प्रश्न ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

नारियल के तेल और गिरी का आयात

*११२८. **श्री अच्युतन**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष के पहले ६ मास के लिये नारियल के तेल और गिरी को भारत में आयात करने के लिये अभ्यंश जारी किया गया है अथवा परमिट जारी किये गये हैं ?

(ख) ये वस्तुएं सामान्यत: किन देशों से आयात की जाती हैं ?

(ग) क्या सरकार ने आयात परमिट अथवा लायसेंस जारी करने के निर्णय से पूर्व भारतीय उत्पादों के वर्तमान मूल्य के स्तर पर विचार किया था ?

(घ) भारत में वार्षिक आवश्यकताओं की आनुमानित मात्रा क्या है और इस में कितना भारत में उत्पन्न किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । जनवरी-जून १९५३ के लिये जारी किये गये लायसेंसों का मूल्य २७ मार्च १९५३ तक की कालावधि के लिये लायसेंसिंग और निश्चित किये गये आयात अभ्यंश को दर्शाने वाला विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५]**

(ख) रसद के मुख्य साधन लंका और सिंगापुर हैं

(ग) जी हां ।

(घ) (i) अनुमानित वार्षिक आवश्यकतायें ।

गिरी—२४५,००० टन

नारियल का तेल—१५०,००० टन

(ii) वार्षिक उत्पादन ।

गिरी—२१५,००० टन

नारियल का तेल —१०७,००० टन

श्री वी० पी० नायर : खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : हम ने उस दिन इस विषय पर आध घंटा चर्चा की थी । मैं दो या तीन प्रश्नों की आज्ञा दूंगा ।

श्री अच्युतन : श्रीमान् जी मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने १९५२ के अन्त तक संग्रह की स्थिति के तथ्य को विचाराधीन रखा था जिस समय यह नई आयात नीति बनाई गई थी ?

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस आयात नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयात समिति के साथ परामर्श करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पहले आध घंटे की चर्चा में चर्चा की गई है ।

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आध घंटा की चर्चा में दिये गये उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इंडोनेशिया को प्राथमिकता देने का विचार रखती है जैसे इस विषय में लंका और अन्य देशों में दी जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्राथमिक व्यवहार संभवतः कर के सम्बन्ध में है और स्वभावतः इंडोनेशिया प्राथमिक कर के क्षेत्र में नहीं आता । परन्तु यदि इंडोनेशिया आ जाय तो यह संभव है कि लंका की अपेक्षा अधिक अनुकूल मूल्य निकाले जाएं क्योंकि लंका निर्यात कर लगाता है जब कि इंडोनेशिया संभवतः लगाए अथवा न लगाए ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या यहां उपभोग के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित नारियल के तेल की मात्रा का अनुमान साबुन बनाने और विशेषतया साबुन के निर्यात के लिये आवश्यकताओं के आधार पर लगाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उस दिन मैं ने उत्तर दिया था कि कुल उपभोग का लगभग १२ १/२प्रतिशत साबुन बनाने के लिये समझा जाता है । क्योंकि साबुन का निर्यात कुल उत्पादन का बहुत छोटा भाग बनता है, यह संदेहजनक है कि नारियल का तेल निर्यात के लिये बनाये जाने वाले साबुन के लिये प्रयोग किया जाता हो, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन

*११३०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था और रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना उद्योग द्वारा अभिस्थावित राज्य द्वारा क्रय से छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सरकारी निर्णय को लागू करने के लिये किस प्रणाली का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था और रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : रसद तथा व्यवस्थापन के सामान्य संचालन के कार्यालय में (कुटीर उद्योग) के विशेष कर्तव्य अधिकारी की नौकरी

बनाई गई है। ये अधिकारी रसद के संचालकों और वाणिज्य तथा उद्योग (कुटीर उद्योग संचालन) के मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा। रसद तथा व्यवस्थापन के सामान्य संचालन विभाग के निरीक्षण भाग तथा कुटीर उद्योग संचालन विभाग के साथ परामर्श कर के यह निर्णय करने का उत्तरदायित्व भी इस पर रहेगा कि कुटीर उद्योग से कौन सी नई रसद की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यह नौकरी शीघ्र लगाई जायेगी ?

श्री के० सी० सोधिया : क्या राज्य सरकारों को भी इस अधिकारी द्वारा क्रयण करने का आदेश दिया जायगा।

श्री बुरागोहिन : राज्य सरकारें अपनी खरीदें स्वयं करती हैं। उन के लिये केन्द्रीय क्रयण संगठन के पास पहुंचना आवश्यक नहीं है। और निष्चयन योजना आयोग का प्रतिवेदन उन के समक्ष है और वे जो भी पग उठाना चाहें उठा सकते हैं।

प्रैस सूचना विभाग

*११३२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रैस सूचना विभाग में सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया है ?

(ख) विभाग में कितने सूचना अधिकारी हैं ?

(ग) इस संगठन में मितव्ययता प्राप्ति के लिये क्या किया जा रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) लोक संघ सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की जाती है।

(ख) १६ नियुक्तियां हैं जिन में से इस समय एक रिक्त है।

(ग) कार्यकौशल के प्रतिनिष्ठा के साथ मितव्ययता का निरन्तर ध्यान रखा जाता है और संगठन की आवश्यकताओं का समय समय पर परीक्षण किया जाता है और जहां कहीं संभव हो मितव्ययता की जाती है।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान् जी, क्या मैं जान सकता हूं कि १९५१-१९५२ में वहां कितने अधिकारी थे ?

डा० केसकर : मैं तुरन्त नहीं बता सकता कि १९५१-५२ में कितने कार्य कर रहे थे, परन्तु मौलिक नौकरियों की संख्या वही है।

श्री नानादास : उन में से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

डा० केसकर : मुझे नोटिस चाहिये।

श्री नानादास : म जान सकता हूं कि क्या सरकार वतमान रिक्ति में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लगाने का विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इतना पूछना अधिक है।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान् जी, क्या सीधे भर्ती का कोई केस हुआ है ?

डा० केसकर : श्रीमान् जी जैसा मैं ने कहा भर्ती लोक संघ सेवा आयोग द्वारा की जाती है। मैं इसे सीधी भर्ती नहीं कह सकता, जो भर्ती लोक सेवा आयोग के परामर्श द्वारा परन्तु साधारणत: जिन प्रक्रियाओं को अपनाना होता है उन के बिना ही, की जाती है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अवसर न देने का निश्चय किया है, क्योंकि यह विषय स्पष्ट नहीं हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक केस में बिना नोटिस के ही अनुसूचित जाति का प्रश्न है। यह कुछ कठिन है :

श्री क० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं क सरकार को इस विभाग पर कितना व्यय करना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बजट अनुमानों में दिया हुआ है । जो अन्य जगह प्राप्य है वह नहीं पूछा जाना चाहिये ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि इस कार्यालय में हिन्दी के कार्य पर कितने सूचना अधिकरी लगे हुए हैं ?

डा० केसकर : इस समय केवल एक सूचना अधिकारी हिन्दी के लिए है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्तर्गत जो विदेशों में नियुक्तियां होती हैं वे एक्सटर्नल विभाग से होती हैं या सूचना विभाग से होती है ?

डा० केसकर : इस विभाग से विदेश के लिये कोई नियुक्ति नहीं होती हैं वह विभाग बिल्कुल अलग है और वह ऐक्सटर्नल मिनिस्ट्री में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उन माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा जो अनुपस्थित थे । प्रश्न संख्या १११७ ।

सरिनाम में भारतीय

*१११७. **श्री एम० आर० कृष्ण** । **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पास यह सूचना है कि क्या सरीनाम में भारतीय, स्वतंत्रता के साथ भारत आने जाने के लिये, समस्त सुविधायें उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त करते हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरनाम में बसे हुए भारतीयों के भारत आने और वापस अपने देश में जाने के सम्बन्ध में किसी नियोग्यता द्वारा पीडित होन के बारे में सरकार को कुछ विदित नहीं है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं सरीनाम में भारतीयों की संख्या जान सकता हूं और उन में से कितने १९५१ से १९५३ तक भारत आये ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमें ज्ञान है उच्च वैस्ट इंडीज की जन संख्या लगभग १,६५,००० है जिन में लगभग एक तिहाई जन्म से भारतीय हैं और मुझे उन की संख्या विदित नहीं जो गत वर्ष भारत आये ।

उद्योग प्रशिक्षण अधीन भारतीय शिल्पज्ञ

*१११९. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपया बतायेंगे कि :

(क) यू० के० तथा यू० एस० ए० में उद्योग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने भारतीय शिल्पज्ञ हैं ;

(ख) क्या ये प्रशिक्षणार्थी नियमित रूप से कारखानों और प्लाटों में जा सकते हैं ; तथा

(ग) क्या यू० के० तथा यू० एस० ए० पैन्सलीन प्लाटों में कुछ भारतीय शिल्पज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित सूचना तुरन्त प्राप्य नहीं है । उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है, जो बाहर भेजे गये और जिन का संरक्षण भारत सरकार कर रही है, और वह सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें नही मिलीं ।

(ग) भारतीय पैन्सलीन कारखाने के दो अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन परिषद्यता के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर गये हैं। वही संभवत: ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जायें।

गैर सरकारी उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्य नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान जी, मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय प्रथमतया लोगों को बाहर भेजने के लिये उत्तरदायी नहीं है और इसलिये हमें सूचना विभिन्न मंत्रालयों स प्राप्त करनी पड़ती है इस समय जो सूचना हमारे पास हैं वह न तो स्पष्ट है और न ही पूर्ण। इसीलिये मैं समय की मांग करता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या सरकार का ध्यान उन विशेष समाचारों की ओर दिलाया गया है जो प्रैस में प्रकाशित हुए हैं कि ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रशिक्षणार्थी प्राय: प्लांटों और कारखानों में नियमित रूप से नहीं जा सकते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान जी, यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व नहीं है। श्रीमान, तो भी मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं दिलाया गया।

कपास को खुले सामान्य लायसैंस पर रखना

*११२९. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आयात मंत्रणाकार परिषद् ने कपास को खुले सामान्य लायसैंस पर रखने की सिफारिश की है ?

(ख) क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

(ग) यह कब से लागू हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० जी० देशमुख: श्रीमान जी, क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान वर्ष में कितनी कपास आयत की गई, और किन देशों से कपास आयात की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मंत्री को लिखें और सूचना प्राप्त करें।

पाकिस्तान के साथ नई व्यापार वार्ता

*११३१. **श्री के० पी० सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ नई व्यापार सम्बन्धी वार्ता की है ; तथा

(ख) दोनों सरकारें किन महत्वपूर्ण विषयों पर सहमत हुई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(क) भारत तथा पाकिस्तान के व्यापार शिष्टमण्डल के नेताओं द्वारा जारी किये गये संयुक्त प्रैस वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिन की प्रतियां सदन पटल पर रखी हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या ६**]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पिछड़े हुए क्षेत्रों की विकास योजनायें

८२४. **श्री भीखाभाई:** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या सरकार ने कभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर विचार किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे योजनायें क्या है ?

(ग) क्या विभिन्न प्रकार के विकास के लिये क्षेत्रों का चुनाव राज्य सरकार करती है अथवा केन्द्रीय सरकार ?

(घ) विकास योजनाओं के लिये क्षेत्रों के चुनाव के हेतु क्या मानदण्ड है ?

(ङ) किन आधारों पर विकास योजनाओं के लिये प्राथमिकता का निर्णय किया जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) मेरे विचार में सदस्य अनुसूचित तथा वन जातियों के क्षेत्रों की ओर निर्देश कर रहे हैं। उत्तर सकारात्मक है।

(ख) विभिन्न राज्य योजनाओं में पांच वर्षों में लगभग ११ करोड़ रुपये के मूल्य के विकास कार्यक्रम अन्तराविष्ट किये गये हैं। योजना की कालावधि में १२ करोड़ रुपये मूल्य के अर्थ प्रबन्ध सम्बन्धी अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों के लिये अनुच्छेद २७५(१) के अधीन केन्द्रीय सहायतार्थ अनुदानों के लिये भी उपबन्ध किया गया है। ये अतिरिक्त कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। उन्हे अभी राज्य योजनाओं में संविलीन नहीं किया गया। उत्तर पूर्वीय सीमांत की घटकशाला के विकास के लिये ३ करोड़ रुपये की और पूंजी रखी गई है।

(ग) प्रत्येक राज्य में विकास के लिये क्षेत्रों को चूनने के लिये प्रमुख मान दण्ड, जनसंख्या, संचारण, सिचाई का दबाव और सामाजिक तथा प्रशासकीय सेवाओं के विकास का स्तर है।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों के लिये विकास योजनाओं में प्राथमिकता का निर्णय पहले प्राप्य साधनों के सम्बन्ध में वर्तमान परियोजनाओं और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों की अत्यावश्यक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के आधार पर किया जाता है।

बच्चों का शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण से लाभ प्राप्त करना

८२५. **श्री एम० आर० कृष्ण**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी स्टेशनों से शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण के अन्तर्विष्ट करने से कितने बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सुनने वाले स्कूलों की कुल संख्या १६९० में से केवल १०५४ स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्य हैं। इन १०५४ स्कूलों में स्कूल के प्रसारण द्वारा लाभ प्राप्त करनें वाले बच्चों की संख्या ४,३०,००० है।

साबुन के कारखानों का विस्तार

८२६. **श्री जसानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या साबुन के बड़े कारखानों के स्वामियों में से किसी ने भारत सरकार से अपने उत्पादन के विस्तार के लिये प्रार्थना की थी ?

(ख) यदि ऐसा है तो कारखानों के स्वामियों के नाम क्या हैं और उन के प्रार्थना-पत्रों में क्या मांग की गई थी ?

(ग) सरकार ने इन प्रार्थना पत्रों पर क्या आदेश दिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्ज़ लैवर ब्रादर्ज़ (भारत) लिमिटेड, बम्बई ने अपने वर्त्तमान प्रदाएककों ने निरन्तर कार्य करने वाले साबुन

के संयंत्र की वृद्धि करने के लिये सरकार की अनुज्ञा मांगी है ।

(ग) इस विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया ।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकों की स्वीकृति

८२७. **सरदार हुकम सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

(क) क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन ठेकों का मूल्य और संख्या क्या थी (प्रत्येक एक लाख से अधिक) जो केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने १९४७–५२ की कालावधि में स्वीकार किये ?

(ख) ऊपर के (क) भाग में निर्दिष्ट धन राशि में से निष्पादित हुए ठेकों का मूल्य क्या है ?

(ग) ऊपर के (ख) भाग में निर्दिष्ट धन राशि में से कितनी राशि के शोधन किये गये ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) (i) सं० ६७३ ।

(ii) मूल्य २१,४५,९९,००० रुपये ।

(ख) १६,६७,२८,००० रुपयें ।

(ग) १६,०६,४७,००० रुपये ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

८२८. **श्री लक्ष्मीधर जैना :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में कुटीर उद्योगों क विकास के लिये वर्तमान आर्थिक वर्ष में कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई ?

(ख) यदि ऊपर के (क) भाग का उत्तर सकारात्मक हो तो इस सहायता का वितरण कैसे किया जाता है और किन उद्योगों को मुख्यतया यह सहायता मिलती है ?

(ग) इस प्रकार वितरित निधि के दुष्प्रयोग को दूर करने के लिये सरकार क्या पग उठाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४५,००० रुपये ।

(ख) उड़ीसा में दो विराजकीय संगठनों को अनुदान दिये गये हैं। संगठनों के नामों, प्रयोजन जिन के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये और प्रत्येक केस में स्वीकृत की गई राशि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है : —

क्रम संख्या	संगठन का नाम	जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया	स्वीकृत की गई राशि
(i)	उड़ीसा पूअर इंडस्ट्री काटेज कटक	शिल्प स्कूलों का विकास	१५,००० रुपये
(ii)	——तदेव——	कुटीर का कुटीर उद्योग संस्था में परिवर्तन	१०,००० रुपये
(iii)	उत्कल कोअपरेटिव काटेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड कटक	कुटीर उद्योग के उत्पादनों को मण्डी ले जाने के लिए एक मोटर गाड़ी का खरीदना	२०,००० रुपये
			४५,००० रुपये

अनुदान सम्बन्धित संगठनों को दे देने के लिये उड़ीसा की सरकार को दिये गये।

(ग) कुटीर तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये विशेष योजनाओं के निष्पादन हेतु विराजकीय संस्थाओं को अनुदान देते हुए प्रायः निम्नलिखित शर्तें, आवश्यक प्रतिबन्ध और अनुदानों के उपयुक्त प्रयोग का निश्चय करने के लिये, रखी जाती हैं :—

(i) उन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जिन के लिये अनुदान दिये गये हैं, त्रयमासिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के द्वारा तब तक प्रस्तुत करना, जब तक अनुदानों का पूर्ण प्रयोग हो जाये ;

(ii) योजनायें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण के लिये जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, खुली रहें और इस प्रयोजन के लिये सुविधाओं का प्रबन्ध हो ; तथा

(iii) अनुदानों के पूर्ण रूपेण प्रयोग में लाये जाने के पश्चात् अनुदानों के प्रयोग सम्बन्धी लेखों के अंकेक्षित विवरणों को संस्थाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये ऐसे प्रमाणपत्रों सहित कि अनुदान उन प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये गये हैं जिन के लिये वे स्वीकृत किये गये थे, प्रस्तुत करना।

भारतीय दूतावासों द्वारा समाचार-पत्रों का मंगाना

८२९. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाहर के भारतीय दूतावासों को भारत के राज्यों के सब मुख्य अंग्रेजी और हिन्दी पत्रों को मंगाना पड़ता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत के सब मुख्य अंग्रेजी और हिन्दी दैनिक पत्रों को मंगाना हमारे दूतावासों के लिये बाध्यकारी नहीं है। प्रत्येक दूतावास ऐसे समाचार पत्रों को मंगाता है जिन्हें यह लाभदायक समझता है।

केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अयोग्य विभाग अधिकारियों की छंटनी

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में अयोग्य विभाग अधिकारियों और एस० डी० ओ० की विभागीय परीक्षायें हुई थीं, तथा

(ख) यदि ऊपर के (क) भाग का उत्तर सकारात्मक हो तो (i) ऐसे अधिकारियों में से कितनों ने ये परीक्षायें पास कीं, (ii) ये परीक्षायें किन्होंने लीं, (iii) इन परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) (i) ९५।

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई तथा नौवहन आयोग के अधिकारी।

(iii) परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निम्नलिखित है :—

जानपद पक्ष :—

(१) आगणन।
(२) भू-मापन-समतल करना
(३) भवन सामग्री।
(४) भवन रचना।
(५) आर० सी० सी० प्ररचनायें।
(६) सड़कें तथा पुल।
(७) स्वास्थ्यकारी अधिष्ठापन, जल-प्रदाय तथा जलोत्सारण।

(८) दरें तथा विस्तृत विवरण ।

बिजली पक्ष :—

(१) ए० सी० तथा डी० सी० वाह जनन

(२) विद्युत मोटर

(३) आन्तरिक विद्युत अधिष्ठापन

(४) उपरि वितरण

(५) अर्थिंग

(६) विद्युत प्रग्रहक तथा संवाहक

(७) विद्युत यंत्र

(८) रूपान्तरक, एच० टी० तथा एल० टी० पारेषण ।

(९) विभिन्न प्रकार के डीज़ल तथा पैट्रोल इंजन और पम्प ।

(१०) आगणन

(११) दरें तथा विस्तृत विवरण ।

केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नतियां और नियुक्तियां

८३१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों ने कई व्यक्तियों की पदोन्नतियां, नियुक्तियां तथा वेतनों का पुनः निर्धारण मूल प्रलेखों के बिना ही शपथ पत्र देने पर, किया है ;

(ख) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या इन शपथ-पत्रों में से सब अथवा कुछ की जांच की गई थी ; तथा

(ग) यदि ऊपर के भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या उन में से किसी को ग़लत पाया गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य विस्थापित अधिकारियों के केसों की ओर निर्देश कर रहे हैं । ऐसे अधिकारी भारत से अपने प्रव्रजन पर उनकी पाकिस्तान में अपनी परिस्थिति तथा वेतनों के विवरण सम्बन्धी उनके अपने वक्तव्य पर उन्हें उपयुक्त स्थानों पर लगा दिया गया था क्योंकि ये विवरण और उन की सर्विस बुकें सरकारी साधनों द्वारा तुरन्त प्राप्य नहीं थीं और ऐसे वक्तव्यों का उन की ज्येष्ठता और उन के वेतनों के निर्धारण के लिये प्रयोग किया गया ।

(ख) विस्थापित अधिकारियों द्वारा अपनी पूर्व परिस्थिति और वेतनों सम्बन्धी दिये गये वक्तव्य का यथासम्भव परीक्षण उन के वेतनों की श्रेणी इत्यादि के सम्बन्ध में जो विभाजन पूर्व उन क्षेत्रों में लागू थी जो अब पाकिस्तान में हैं और ऐसी सूचना सहित जो तुरन्त प्राप्त थी, किया जा चुका है ;

(ग) कतिपय केसों में विवरण ग़लत पाये गये ।

इंडिया न्यूज़ का मूल्य

८३२. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन में इंडिया हाऊस द्वारा जारी किये जाने वाले साप्ताहिक पत्र 'इंडिया न्यूज़' का वार्षिक व्यय क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : वर्ष १९५१-५२ में "इण्डिया न्यूज़" का कुल व्यय ९३,५४७, रुपये था, जिसमें से ५५,३४७ रुपये विज्ञापनों से ले लिये गये । वर्ष १९५२-५३ के अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्य नहीं परन्तु विज्ञापनों की आय निकाल कर लगभग ९४,७०० रुपये के कुल व्यय की प्रत्याशा है ।

भाखड़ा नंगल प्रयोजना द्वारा सिंचित जमीनें

८३३. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि पंजाब, पैप्सू और राजस्थान राज्यों की कितने एकड़ भूमि भाखड़ा नंगल प्रयोजना अधीन सींची जाने वाली है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७]

पंजाब में रेडियो लायसेंसदार

८३४. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री कृपया बतायेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ और १९५२-५३ में पंजाब राज्य में रेडियो लायसेंसदारों से कुल कितनी राशि लायसेंस शुल्क के रूप में उगाही गई ;

(ख) इस कालावधि में आकाशवाणी के जालंधर तथा अमृतसर के स्टेशनों के संधारण में सरकार ने कुल कितना व्यय किया ; तथा

(ग) इस कालावधि में जालंधर स्टेशन कितने नये कलाकार रखे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) उगाही गई कुल राशि १९५१-५२ में ८,८३,७८३ रुपये थी और १ अप्रैल १९५२ से ३१ जनवरी १९५३ तक की कालावधि में ८,७८,७१६ रुपये थी । उत्तरवर्ती आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि जनवरी के आंकड़े अभी तक अन्तिम रूप से अंकेक्षित नहीं किये गये ।

इस के अतिरिक्त ६७,३५३ रुपये तथा १४,७८३ रुपये क्रमानुसार वर्ष १९५१-५२ तथा १ अप्रैल, १९५२ से ३१ जनवरी, १९५३ तक की कालावधि में अधिभार के रूप में उगाहे गये ।

(ख) १९५१-५२ में कुल व्यय ४,८३,८४४ रुपये हुआ और १ अप्रैल, १९५२ से २८ फ़रवरी, १९५३ तक की कालावधि में ४,२५,९६० रुपये व्यय हुआ ।

(ग) जालंधर अमृतसर स्टेशन पर नये लगाये गये कलाकारों की संख्या १९५१-५२ के दौरान २३३ थी और १ अप्रैल, १९५२ से २८ फ़रवरी, १९५३ तक की कालावधि में १७० थी ।

भारतीय वैदेशिक सेवा

८३५. **सेठ गोविन्द दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक सेवा में कितने व्यक्ति

(१) सर्वथा विदेशी हैं ; और

(२) कितने भारतीय हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारतीय वैदेशिक सेवा में कोई विदेशी सेवा का व्यक्ति नहीं है ।

(ख) भारतीय विदेशी सेवा संवर्ग में अधिकारियों की संख्या १३८ है । वे सब भारतीय हैं । इस के अतिरिक्त भारतीय सूचना सेवा के संवर्ग में ४५ अधिकारी हैं । ये सब भी भारतीय हैं ।

पंजाब में उद्योग तथा विद्युत प्रयोजना

८३७. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को ऋण, अनुदान अथवा अन्य किसी रूप में कोई धन राशि उद्योग तथा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये अंशदान की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे परियोजनायें क्या हैं और कितनी राशि अंशदान की गई ?

(ग) इन परियोजनाओं ने कितनी प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). सूचना अभी प्राप्य नहीं । तो भी सूचना एकत्र करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जो उपयुक्त समय पर सदन पटल पर रखी जायेगी ।

शक्ति मद्यसार

८३८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के कड़ा करकट के अतिरिक्त शीरा से वार्षिक कुल कितनी मद्यसार निकाली जाती है ; तथा

(ख) उत्पादन की वृद्धि में क्या पग यदि कोई हों उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) गत तीन वर्षों में शीरे से मद्यसार का उत्पादन निम्नलिखित था:

वर्ष	उत्पादन (लाखों गेलन)
१९५०	४·५
१९५१	५·८
१९५२	७·७

(ख) (१) कच्ची सामग्री की गति विधि और रसद की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये साधन अपनाये गये हैं ।

(२) शीरे की रसद के विषय में शक्ति मद्यसार उत्पन्न करने वाली कलालियों को अन्य की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

(३) भारतीय शक्ति मद्यसार अधिनियम १९४८, शक्ति मद्यसार की लागत बढ़ाने के लिये तथा इस का मोटर उपभोग निश्चित करने के लिये, डिपो सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सहित, यथा-सम्भव अधिक क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है ।

लन्दन में प्रदर्शनी

८३९. **श्रीमती शकुन्तला**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महारानी एलिज़बैथ द्वितीय के राज्याभिषेक के समय लंदन में दिखाई जाने वाली प्रदर्शनी में भारतीय उत्पादनों की कौन सी मुख्य श्रेणियां दिखाई जा रही हैं ?

(ख) इस प्रदर्शनी के प्रबन्ध करने में अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) इस प्रदर्शनी में दिखाये जाने वाले सामान की मुख्य श्रेणियों को दर्शाने वाली योजना की एक रूपरेखा सदन पटल पर रखी है, [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८**] ।

(ख) १,४२,००० रुपये (एक लाख बयालीस हज़ार रुपये) ।

डिप्टी कंट्रोलर आफ़ स्टेशनरी कलकत्ता के कार्यालय के कर्मचारी

८४०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण तथा लेखन-सामग्री के नियंत्रक के अधीन लेखन-सामग्री के उपनियंत्रक कलकत्ता के कार्यालय में राजपत्र के बिना कितने कर्मचारी हैं ?

(ख) इन में से कितने स्थायी, अर्द्ध-स्थायी और अस्थायी हैं ?

(ग) जून, १९५२ और जनवरी, १९५३ के बीच इस से कितने कर्मचारियों की छांटी की गई ; तथा इस कालावधि में कितने नये भर्ती किये गये ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि हाल ही में इस कार्यालय के कर्मचारियों को अधिक समय कार्य करने के लिये कहा गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ८५३ ।

(ख)	स्थायी	२२५
	अर्द्ध-स्थायी	५०६
	अस्थायी	१२२
(ग)	छांटी किये गये	१११
	भर्ती किये गये	६३

(घ) जी हां, अवशेष के निष्पादन के लिये कुछ अवसरों पर ।

लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग का पुनः संगठन

८४१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग में पुनर्संगठन और अभिनवीकरण के प्रश्न पर पूछताछ करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों और निकायों के नाम तथा पद निदश क्या हैं ;

(ख) इन द्वारा की गई पूछताछ की प्रक्रिया क्या है और कर्मचारी तथा उन का संघ इन पूछताछ के साथ किस रूप में सम्बन्धित थे ।

(ग) उन द्वारा किये गये मुख्य अभिस्ताव और प्रतिवेदनों के मुख्य विषय क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार इस विषय में अग्रसर होने से पूर्व इन अभिस्तावों के सम्बन्ध में कर्मचारियों और उन के संघ की सम्मत्ति लेने का विचार रखती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग). मार्च १९४९ में स्थापित विशेषज्ञ मुद्रण समिति और अगस्त १९५१ में स्थापित लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग के लिये विभागीय समिति के दो विवरण सदन पटल पर रखे हैं । [पुस्तकालय में रखे हैं देखिये क्रम संख्या २८/५३]

(ख) इन दोनों समितियों ने मुद्रणालयों और केन्द्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय से उन द्वारा अपेक्षित सामग्री और आंकड़े एकत्र किये । समितियों के विचार विमर्श में संघों अथवा कर्मचारियों को सम्बन्धित करना आवश्यक नहीं था ।

(ग) बहुत से अभिस्तावों पर पहले ही निर्णय किये जा चुके हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

त्रिड़रा में सामुदायिक परियोजना

८४२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि का बजट रखा गया ;

(ख) कितनी धनराशि व्यय की गई और किन शीर्षकों के अधीन ;

(ग) क्या सामुदायिक परियोजनाओं अथवा विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने कोई प्रैस सम्मेलन किया ;

(घ) क्या सरकार ने इन में से कोई योजना स्थानीय पत्रों में छपवाई ;

(ङ) यदि ऐसा है तो इन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) २·६२ लाख रुपये ।

(ख) दिसम्बर, १९५२ के अन्त तक २९,१८० रुपये ।

(१)	राज्य तथा परियोजना मुख्यालय ।	१३,८४० रुपये
(२)	स्वास्थ्य तथा ग्रामीण सफ़ाई ।	२२० रुपये
(३)	संचार	१५,१२० रुपये
	कुल	२९,१८०

(ग) तथा (घ). जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

८४३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन जिस का उपबन्ध अगले वर्ष के बजट में किया गया है, कब स्थापित करने का सुझाव है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : प्रश्न २२९ के मेरे उत्तर में जैसा २० फ़रवरी, १९५३ को कहा गया, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के आर्थिक वर्ष में स्थापित होने की सम्भावना है । इस के संगठन और रूप रचना से सम्बन्धित विवरण निष्पादित किया जा रहा है ।

मंगनापुरी नमक केन्द्र

८४४. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में मंगनापुरी नमक केन्द्र कब पाया गया ;

(ख) यह केन्द्र कितने वर्ष केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन रहा;

(ग) यह अंधरा वैज्ञानिक कम्पनी को ठेके के आधार पर कब दिया गया ;

(घ) क्या उत्पादन इस समय घट रहा है अथवा बढ़ रहा है ; तथा

(ङ) अब कितने एकड़ नमक उत्पादन अधीन हैं और कितने एकड़ में फ़सल होती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मंगनापुरी नमक का कारखाना वर्ष १८६३ में स्थापित किया गया ;

(ख) कारखाना केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में १९२६ में आया और अब भी वैसा है ।

(ग) यह कारखाना अंधरा वैज्ञानिक कम्पनी को कभी किसी आधार पर नहीं दिया गया । इस कारखाने की लगभग ६० एकड़ भूमि मैसर्ज़ नैशनल कैमीकल लिमिटड को दस वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई है जो २८ फ़रवरी, १९५४ को समाप्त होना है ।

(घ) गत कुछ वर्षों से उत्पादन में वृद्धि हो रही है ।

(ङ) २८० एकड़ में नमक का उत्पादन हो रहा है और किसी भूमि में फ़सल नहीं ।

व्यवस्थापन संगठन

८४५. **श्री के० सुब्रहमण्यम् :** क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवस्थापन संगठन को समाप्त करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक सामग्री के निपटारे से सरकार को कुल कितनी धन राशि का लाभ हुआ; तथा

(ग) अब तक संगठन पर कितना व्यय हुआ ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) निपटारा एक निरन्तर कार्य है । विभिन्न विभाग, समय समय पर घोषणा करते हैं कि अतिरेक सामग्री है अथवा उस की अन्यथा आवश्यकता नहीं । जब तक ऐसे सामान का निपटारा करना है व्यवस्थापन संगठन

को विद्यमान रहना होगा और यह रसद तथा व्यवस्थापन अधिकार का एक भाग है । युद्ध की अतिरेक की अतिरेक सामग्री के निपटारे के लिये एक विशेषता बड़ा गौर पृथक् व्यवस्थापन संगठन बनाया गया, उसे अब वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखा गया है, और जैसे पहले यह १ मार्च, १९५१ से एक मुख्य संचालक सहित एक प्रथक् संगठन था वह नहीं रहा, यद्यपि उससे कुछ मास पूर्व मुख्य संचालक के पद को उद्योग तथा रसद के मुख्य संचालक के साथ मिला दिया गया था ।

(ख) यह गणना करना कठिन है कि सरकार ने इस व्यवस्थापन से ठीक क्या लाभ उठाया ।

(ग) व्यय निम्न लिखित रहा है :

वर्ष	व्यय (रुपये)
१९४३-४४	७३,४०२
(केवल फ़रवरी तथा मार्च के लिये)	
१९४४-४५	४,०२,४२७
१९४५-४६	१०,१७,६८९
१९४६-४७	६३,३०,३३५
१९४७-४८	६२,२६,०७४
१९४८-४९	१,००,०८,७४३
१९४९-५०	२,१७,४२,२४४
१९५०-५१	१,२२,७३,०९३
१९५१-५२	५६,०५,७११
१९५२-५३	७१,११,५००

सामुदायिक परियोजनायें

८४६. **श्री वी० मिस्सिर :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में सामुदायिक योजनाओं को लागू करने में कौन-कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) सामुदायकि योजनाओं के कार्यकरण के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये देश भर में कितने कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं तथा कितने कार्यकर्ता वहां प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) शिल्पज्ञ कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशासकीय और आर्थिक प्रक्रियाओं में कुछ राज्यों में कुछ मूल कठिनाइयां अनुभव की गईं, परन्तु वे सुलझ गई हैं ।

(ख) (१) ग्राम स्तर के श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये ३० कृषि वृद्धि श्रमिकों के प्रशिक्षण केन्द्रों में से २७ ।

(२) १ अप्रैल, १९५३ को सामुदायिक परियोजनाओं में सामाजिक शिक्षा संगठन कर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये ५ केन्द्र खोले जा रहे हैं । प्रत्येक केन्द्र में ५० व्यक्तियों को शक्षित करने की प्रत्याशा है ।

अंक ३ बुधवार

संख्या ३ १ अप्रैल, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांग [पृष्ठ भाग २६६४—२७२८]

मांग संख्या १०२—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद् मंत्रालय [पृष्ठ भाग २६६४—२७२८]

मांग संख्या १०३—रसद [पृष्ठ भाग २६६४—२७२८]

मांग संख्या १०४—अन्य असैनिक निर्माण [पृष्ठ भाग २६६४—२७२८]

मांग संख्या १०५—लेखन सामग्री तथा मुद्रण [पृष्ठ भाग २६६४—२७२८]

मांग संख्या १०६—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २६६५—२७२८]

मांग संख्या १३९—नई दिल्ली पूंजी विनियोजन [पृष्ठ भाग २६६५—२७२८]

मांग संख्या १४०—इमारतों पर पूंजी विनियोजन [पृष्ठ भाग २६६५—२७२८]

मांग संख्या १४१—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद् मंत्रालय के अन्य पूंजी विनियोजन [पृष्ठ भाग २६६५—२७२८]

पटसन की क़ीमतें [पृष्ठ भाग २७२८—२७३९]

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बुधवार, १ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-५८ म० प०

अनुदानों के लिए मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय की मांगों को लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न मांगों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को निम्न राशियों के अनुदान के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए :

	रुपये
मांग संख्या १०२—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय	१९,९८,०००
मांग संख्या १०३—रसद	२,५२,६७,०००
मांग संख्या १०४—अन्य असैनिक निर्माण	१३,५४,२६,०००
मांग संख्या १०५—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	४,५२,३६,०००
मांग संख्या १०६—निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	४२,५४,०००
मांग संख्या १३९—नई दिल्ली पूंजी विनियोजन	२,३७,१६,०००
मांग संख्या १४०—इमारतों पर पूंजी विनियोजन	८,४८,७०,०००
मांग संख्या १४१—निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के अन्य पूंजी-विनियोजन	८,१६,०००

निम्न विषयों पर चर्चा के प्रयोजन से निम्न सदस्यों द्वारा निम्न मांगों पर १००-१०० रुपये के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए :

प्रशासन में बचत तथा कार्यदक्षता

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर)—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

भ्रष्टाचार तथा स्वजनपोषण

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

औद्योगिक गृह व्यवस्था में उठाए गए अपर्याप्त पग

श्री तुषार चटर्जी (श्री रामपुर)—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

भ्रष्टाचार तथा स्वजन पोषण

श्री आर० एन० सिंह (जिला गाजीपुर —पूर्व व जिला बलिया —दक्षिण पश्चिम— 'निर्माण गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कामकरों की छंटनी

श्री नम्बियार (मयूरम्)—'निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

स्थायी तथा अस्थायी कार्यभृत् कर्मचारियों को भविष्य-निधि निवृत्ति-वेतन नियमों तथा वार्द्धक्य वृत्ति की सुविधाएं देने की आवश्यकता

श्री नम्बियार—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

सभी अस्थायी मजदूरों को स्थायी बनाने तथा ठेके वाले मजदूरों को बंद करने के लिए पग उठाए जाना

श्री नम्बियार—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

पैट्रोल उत्पादनों विशेषत: भट्टी-तेल के विषय में मूल्य नीति

डा० अमीन (बड़ौदा—पश्चिम)—'निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय'

भ्रष्टाचार तथा रद्दी भंडारों की खरीद

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी—'रसद'

अगरताला के बिजलीघर को सुधारने में असमर्थता

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व)—'रसद'

हैदराबाद राज्य क सड़क यातायात विभाग के लिए बसों और लारियों के पुरजे प्राप्त करने में असाधारण देर

श्री विट्टल राव (खम्माम)—'रसद'

सं० रा० अमरीका स्थित भारतीय रसद नियोजन में बचत

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट)—'रसद'

भारतीय भंडार विभाग लंदन के व्यय में कमी

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती—'रसद'

विदेशों से माल मंगाने के पहले विविध विभागों की माल की मांगों का परीक्षण

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती—'रसद'

भ्रष्टाचार, रिश्वत तथा स्वजनपोषण

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी—'अन्य असैनिक निर्माण'

सभी कार्यभृत् अस्थायी कर्मचारियों को खपाने में असफलता

श्री राघवय्या (ओंगोल)—'अन्य असैनिक निर्माण'

केंद्रीय सरकार प्रेस कर्मचारियों की शिकायतें

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर)—'लेखन सामग्री तथा मुद्रण'

लोकसभा की कार्यवाही के मुद्रण में विलंब

श्री विट्टल राव—'लेखन सामग्री तथा मुद्रण'

उपाध्यक्ष महोदय: अब ये कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं। श्री मोहनलाल सक्सेना। आगे से मैं नाम लेकर न पुकारूंगा, बल्कि नियमानुसार खड़े होने वाले सदस्यों को बुलाऊंगा। श्री राघवय्या।

श्री राघवय्या: मांग संख्या १०४ के अधीन कटौती प्रस्ताव रखने में मेरा उद्देश्य निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना है कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, उद्योगों के मज़दूरों के लिए मकान

बनाने के जिस कार्यक्रम की चर्चा की गई थी, वह सफल नहीं हुआ है। मैं उन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग में छंटनी की जा रही है। कोचिन का हवाई अड्डा उपरोक्त विभाग से रक्षा विभाग ने ले लिया है और वहां काम करने वाले ४० कर्मचारियों को निकाल दिया गया है।

राजघाट के प्रबन्ध के लिए १६ कर्मचारी हैं। इस का प्रबन्ध गांधी स्मारक समिति को देने का प्रस्ताव है परन्तु समिति इन कर्मचारियों को रखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए इन लोगों को निकाला जाएगा।

पिछले वर्ष माननीय मंत्री ने बहस के उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि एक सर्कल या विभाग से निकाले गए कर्मचारी, दूसरे स्थानों पर रख लिए जायेंगे। परन्तु दिल्ली में दो सर्कलों में छंटनी हो रही है और अन्य दो सर्कलों में नए कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं।

मैं यह बताता हूं कि मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग में छंटनी कैसे की जा रही है। युद्ध से पहले कलकत्ते में इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या ३८० थी, युद्धकाल में यह संख्या ८९० हो गई। ३० जून, १९५२ को कुछ छंटनी हुई और यह संख्या ८१५ रह गई। मेरे पास सम्बद्ध कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय को भेजी गई अपील की प्रति है। इस में कहा गया है कि अक्तूबर व दिसम्बर, १९५२ और जनवरी, १९५३ के बीच ३५ नए और अनुभवहीन कर्मचारी रखे गए हैं जब कि जून १९५२ में ७५ अनुभवी कर्मचारी निकाल दिए गए थे।

एक बात यह भी है कि कर्मचारियों को छट्टी देने से इनकार किया जा रहा है। काम अधिक होने के कारण २०-१-१९५३ को एक कर्मचारी बेहोश हो कर गिर पड़ा और एक दिन बाद अस्पताल में उस की मृत्यु हो गई। और फिर इस प्रकार मरने वालों के सम्बन्धियों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। ६ फरवरी को एक और कर्मचारी इसी प्रकार बेहोश हो कर गिर पड़ने पर अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल वालों ने क्षयरोग है--ऐसा निदान कर के उसे वापिस भेज दिया। अधिकारियों ने उसे घर ले जाने के लिए दफ्तर की कार तक नहीं दी। इन कर्मचारियों को छुट्टी के सम्बन्ध में वैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं जैसी कि केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मैं मांग करता हूं कि उन्हें ये सुविधाएं दी जायें। मुझे यह मामला यहां इसलिए उठाना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री तथा कलकत्ते में इस विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों की अपीलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न बीडो कम्पनी ने कैसे काम किया है। यह अमरीकन कम्पनी, विशेषज्ञों के देश की है और काम के घण्टों, काम बढ़ाने तथा प्रत्येक उद्योग में मज़दूरों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी। कर्मचारी सङ्घ ने इस के सम्बन्ध में लिखा है कि इस की नियुक्ति से सरकार की कार्यक्षमता पर धब्बा लगता है और यह प्रमाणित होता है कि सरकार के पास ऐसे निरीक्षण कार्य के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं। और फिर इन विदेशियों को सरकार की गुप्त फाइलें देखने का अवसर मिलता है।

इस कर्मचारी सङ्घ ने यह भी लिखा है कि महायुद्ध के बाद छंटनी की गई थी परन्तु अब और छंटनी नहीं हो सकती। इस कम्पनी

[श्री राघवय्या]

ने काम की मात्रा निश्चित करने का जो ढंग अपनाया है, वह सर्वथा गलत था ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य १५ मिनट ले चुके हैं, अब वे अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री राघवय्या : मेरा विचार है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे २५ मिनट दिए हैं क्योंकि अपने दल की ओर से मैं ही मुख्य वक्ता हूं ।

सभापति महोदय : इस का मतलब यह नहीं है कि एक ही माननीय सदस्य २५ मिनट तक बोलते रहें। जो भी हो, आप तीन चार मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राघवय्या : इस मंत्रालय ने १९४६ में यह वचन दिया था कि स्थायी भवनों में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जायगी। इस मंत्रालय का एक नियम यह है कि स्थायी भवनों में काम करने वाले कर्मचारी स्थायी बना दिए जायें । परन्तु अभी तक यह सूची तैयार नहीं की गई है।

जहां तक गृह व्यवस्था का सम्बन्ध है, मंत्रालय की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से मालूम होता है कि जहां तक श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का सम्बन्ध है, गृह व्यवस्था कार्यक्रम बिल्कुल दिवालिया है। ५००) प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले ६८ प्रतिशत अधिकारियों को मकान दिए गए हैं जब कि श्रेणी ४ के ३० प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था की गई है।

यह दावा किया गया है कि उद्योगों के मज़दूरों के लिए १७ हज़ार मकान बनाए गए हैं। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाय कि ऐसे मज़दूरों की संख्या १५ लाख से भी अधिक है तो इस योजना की पोल खुल जाती है।

सरकार को शिकायत है कि लोग उत्साह नहीं दिखाते हैं। एक जिम्मेदार लेखक जिस ने कई जानकारीपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, मेरे पास आया और उस ने मुझे बताया कि उसे मार डालने की धमकी दी गई है क्योंकि उस ने भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ दिया है, इसी प्रकार राजघाट की देखभाल करने वाले अधिकारी को भी इसी प्रकार धमकी दी गई। तो फिर लोग आप को क्या सहायता दे सकते हैं ? गृह-व्यवस्था कार्यक्रम के सम्बन्ध में मज़दूरों में तभी उत्साह उत्पन्न होगा जब कि आप उन्हें यह जतला देंगे कि जो मकान उन के लिये बनाए गए हैं, उन के मालिक, आज नहीं तो समय आने पर, वे ही बनाए जायेंगे।

प्रश्नोत्तर काल में सस्ते मकान बनाने की ओर संकेत किया गया था। इस सदन की एक माननीया सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी पिछले वर्ष वीआना, बर्लिन और दूसरे स्थानों पर गई थीं। वहां उन्हों ने मज़दूरों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वहां कोई पूर्व-निर्मित मकानों का नाम तक नहीं जानता। वहां लोग स्थायी मकान बनाते हैं। हमें भी स्थायी मकान बनाने चाहियें।

मैं इस विभाग में भ्रष्टाचार के एक मामले की चर्चा करना चाहता हूं। पिछले वर्ष के वाद विवाद में मैंने वेल्स हेंगरेट मामले की चर्चा की थी, जिस का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। १९५१ में खाद्य मंत्रालय में एक ऊंचे अधिकारी पर, जिस का नाम एन० डी० रेखे है, मुकद्दमा चला। इस्तगासे के गवाहों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो १३ वर्ष पहले मर चुका है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विशेष पुलिस व्यवस्थान कैसे काम कर रहा है। माननीय मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार के

सम्बन्ध में मैं उन्हें एक पुस्तक भेंट कर सकता हूं.....

सभापति महोदय : आप २२ मिनट तो ले चुके हैं।

श्री राधवय्या : मैं अभी समाप्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री से सविनय निवेदन करता हूं कि जो लोग सहयोग करने को तैयार हों, उन्हें धमकाएं नहीं। इस पुस्तक के लेखक ने १९३९ में क्वेटा में राष्ट्रीय झण्डा फहराया था, जब कि ऐसा करना जान को हथेली पर रखने के बराबर था। (**एक माननीय सदस्य** : उस का नाम क्या है ?) उस देशभक्त का नाम महिन्दर सिंह कलसी है। उन्हें केवल इसलिए मार डालने की धमकी दी गई कि उन्हों ने जनता का ध्यान इन मामलों की ओर दिलाया.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। तीन बार घण्टी बजाई गई है परन्तु आप बोले ही चले जा रहे हैं। श्री मोहन लाल सक्सेना।

श्री मोहनलाल सक्सेना (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : मकानों की समस्या का महत्व सभी को ज्ञात है। खाद्य समस्या के बाद यही सब से बड़ी समस्या है। मैं कुछ समय से इस समस्या का अध्ययन कर रहा हूं और जिन परिणामों पर पहुंचा हूं, वे प्रकाशित किए गए हैं। मैं इन्हें दोहराने के लिए कभी तैयार न होता परन्तु अखिल भारतीय गृह-व्यवस्था सङ्घ, जो मकानों की समस्या को हल करने के लिये सरकार को सहायता देने के उद्देश्य से बना है और जिस के साथ मेरा गहरा सम्बन्ध है, और सरकार के प्रति मेरा कर्त्तव्य है कि मैं ये बातें फिर से सदन के सामने रखूं। यदि इस कर्त्तव्य को निभाते समय मैं ऐसी आलोचना करूं जो अच्छी न लगती हो, तो माननीय मंत्री को बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उसी भावना से उसे स्वीकार करना चाहिए जिस से कि वह की गई हों।

मैं ने इस वर्ष की मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ी है और वह बहुत निराशाजनक है। माननीय मंत्री ने पिछले वर्ष अपने भाषण में कहा था कि गृह व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। उन्हों ने यह भी कहा था कि गृह-व्यवस्था का मतलब केवल सरकारी अधिकारियों के लिए मकानों का प्रबन्ध करना ही नहीं होगा बल्कि सभी के लिए मकानों की व्यवस्था करना होगा।

रिपोर्ट में उन्हों ने कहा है कि क्योंकि उद्योगों के मज़दूरों के निवास की व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए उस की ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा। वित्त के सम्बन्ध में, उन्हों ने और प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी कि इस को इतना महत्व नहीं देना चाहिए; मुख्यतः महत्व तो जन-कल्याण का है।

दूसरे देशों में गृह व्यवस्था वित्त निगम बनाए गए हैं। हम आशा कर रहे थे कि यहां भी ऐसा ही कोई निगम बनाया जायगा क्योंकि माननीय मंत्री ने पिछले वर्ष कहा था कि सरकार मकान बनाने वालों को सभी प्रकार की सहायता देगी।

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा वित्त निगम बनाने में क्या कठिनाइयां थीं। कुछ वर्ष पहले मैं ने ऐसा प्रयत्न किया था परन्तु वित्त मंत्रालय के कुछ लोगों ने इस का विरोध किया था। मैं ने यह सुझाव दिया था कि गांधी स्मारक निधि में से इसे ५ करोड़ रुपया अलग रखा जाय और इतनी ही राशि सरकार लगाए तो उस से गांधी स्मारक गृह व्यवस्था प्रन्यास प्रारम्भ किया जाय। सरकार ३ प्रतिशत सूद की प्रत्याभूति दे और उस राशि को गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने में लगाया जाय। गांधी स्मारक प्रन्यास के अधिकारियों ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्रालय साथ देता तो ऐसा न

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

होता। मुझे मालूम हुआ कि उसी वर्ष में इस प्रन्यास के अधिकारियों ने औद्योगिक वित्त निगम के १९६४ के बन्ध पत्रों में ३ करोड़ ३५ लाख रुपया लगा दिया। पता नहीं कि गरीब लोगों से इकट्ठा किया गया धन इस व्यापार में लगाना क्यों उचित समझा गया। और उक्त निगम ने बड़े बड़े पूंजीपतियों को कई कई लाख रुपये के ऋण दिए। यही धन कुटीर उद्योगों में लगाया जाता तो गांधी स्मारक निधि का उद्देश्य पूरा हो जाता। केवल यही नहीं। उन्हों ने गृह निर्माण करने वालों को सस्ते ऋण की सुविधायें दी हैं। 'कनाडा मारगेज हाउसिंग कारपोरेशन', अर्थात् कनाडा प्राधि गृहनिर्माण निगम के प्रतिवेदन से प्रगट होता है कि उन्हों ने दूसरे देशों में लाखों मकान बनाये हैं। बीमा कम्पनियां भी अपने कोष का एक बड़ा भाग गृह-निर्माण में लगा सकती हैं। परन्तु कहा यह जाता है कि यदि हम उन्हें गृह निर्माण में धन लगाने की आज्ञा दे दें तो जहां तक राजकीय ऋण का सम्बन्ध है विनियोग उसी के अनुपात से कम हो जायगा। मेरे विचार से यह ग़लत है। और यह ठीक भी हो तो यदि सरकार लोक ऋण संग्रह करे और तब गृह निर्माण में लगावे तो निश्चय ही व्यय अधिक होगा बनिस्बत उन मकानों के जो बीमा कम्पनियों द्वारा बनाये जायेंगे। अतः यदि हम चाहते हैं कि देश में मकानों की संख्या बढ़े तो हमें मध्यवर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग के लिये सस्ते ऋण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना होगा। इस के अतिरिक्त बीमा कम्पनियों को भी स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में धन विनियोग करने की आज्ञा दी जावे।

लगभग साठ लाख व्यक्तियों के पास मकान नहीं हैं। देहली सुधार प्रन्यास की जांच समिति ने सिफारिश की थी कि ६,००० एकड़ भूमि को मकान बनाने के योग्य बनाया जाय। दूसरे स्थानों में सुधार प्रन्यास किराया या लगान तो थोड़ा लेते हैं पर प्रीमियम के रूप में पूरा दाम ले लेते हैं नहीं तो वह बोली के दाम पर सूद लेते हैं। प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि हमारी नीति मुख्य स्थानों पर नियंत्रण लगाने की है। हम जानते हैं कि जब तक प्लाट न हो मकान नहीं बनाया जा सकता। अतः चूंकि गृह-निर्माण का स्थान बहुत महत्व-पूर्ण है इसलिये भूमि के मूल्य का नियंत्रण करना चाहिये। लेकिन वस्तु स्थिति तो इस के विरुद्ध है। जिन के पास पैसा है वह मकान पर मकान बनवाते जाते हैं। उन्हीं को प्लाट भी मिलते हैं क्यों कि सुधार प्रन्यास प्लाट उस को देता है जिस की बोली सब से अधिक होती है। दूसरे देशों में, जैसे इंगलैण्ड, केवल निवास के योग्य मकान ही बन सकते हैं, व्यापार के काम की दुकानें इत्यादि जब तक राष्ट्रीय महत्व की हों तभी बनाई जा सकती हैं। दूसरे देशों में कपड़े तथा खाद्यान्नों के समान मकानों की भी राशनिंग होती है। मकानों का इतना दुख है कि एक एक कमरे में तीन तीन परिवार रहते हैं, सड़क के किनारे निवास करने वाले भी हैं। गंद हातों में भी लोग रहते हैं। जब तक मकान की समस्या ऐसी है तब तक सामाजिक न्याय तथा अवसरों की समानता की बात करना ढोंग है। गन्दे हातों को हटा कर उन के स्थान पर नये मकानों का प्रबन्ध करने की योजनायें बना करती हैं। कितनी ही योजनायें बनी भी हैं। माननीय राजा जी ने एक नया विचार रक्खा है। उन का कहना है कि गंदे हातों को बिलकुल हटाया नहीं जा सकता परन्तु उन को सुधारा जा सकता है। उन्हों ने आधे खर्च से ही गंदे हातों के क्षेत्र का सुधार किया है।

मेरे दो सुझाव हैं। हमें चाहिये कि मकानों के प्लाटों के मूल्य का नियंत्रण करें तथा सुधार प्रन्यास के प्लाट नीलाम करने

के ढंग को बदल दें। वे थोड़ा थोड़ा कर के अधिक से अधिक बोली बोलने वाले को प्लाट देते हैं। सरकार बिरला समिति के सुझाव को, कि कोई प्रिमियम लिये बिना लोगों को दो मंजिल के मकान बनाने की आज्ञा दे दी जाय, क्यों नहीं कार्य करती है। बिना वित्त के ही निवास का स्थान अधिक हो जायगा।

सरकारी नौकरों में भी मकान का अभाव बहुत है ५०० रुपये से कम वेतन पाने वालों के लिये २२,००० एकाइयों की कमी है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के सरकारी नौकरों का भी हाल है। हम १९४७ से सुन रहे हैं कि कुछ दफ़्तर यहां से हटा कर दूसरे स्थानों को भेज दिये जायेंगे। परन्तु केवल निर्णय ही होते हैं। आज भी दिल्ली में १९४७ से अधिक दफ्तर हैं। विनय नगर जैसे दूरस्थ स्थानों में मकान बनाने के स्थान पर यह अच्छा होगा कि एक मंजिल के मकानों के स्थान पर कई कई मंजिल के मकान बनाये जायं। रुपया लगाने वाले लोग मिल जायेंगे। सरकारी नौकर भी रुपया लगाने को तैयार हो जायेंगे। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सरकारी नौकर के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वह गृह निर्माण कोष में अपने वेतन का २ १/२ प्रतिशत से लेकर ५ प्रतिशत तक दिया करें। इस के सम्बन्ध में मंत्रालय के मत मुझे ज्ञात हुए हैं। कहा जाता है कि भविष्य निधि जो स्वेच्छापूर्ण है उसी में लोग अपना अंश नहीं देते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि गृह निर्माण कोष के लिये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से उस का अंश अनिवार्य रूप से लिया जावे। इस से उन को सूद भी मिलेगा तथा मकान भी।

क्लर्कों के क्वार्टरों की दशा गन्दे हातों से भी खराब है। एक परिवार के क्वार्टर में दो दो तीन तीन परिवार रहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जिन को बड़े बड़े बंगले मिले हैं--जैसे सचिव, उपसचिव अपना एक कमरा १०० रुपया २०० रुपया तथा ३०० रुपये तक में दूसरों को किराये पर देते हैं, यहां तक कहा जाता है कि मंत्रालय के सचिव ने भी ऐसा किया है। इस की मैं ने शिकायत की थी। कहा जाता है उस के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अब यह नियम बना दिया गया है कि स्टेट आफिस की अनुमति के बिना कोई भी शिकमी किरायेदार नहीं रख सकता। बड़े बड़े मकान छोटे परिवारों को नहीं देना चाहिये। बड़ बड़े बंगले दो, तीन अधिकारियों को देना चाहिये। बड़े बड़े मैदान जो पड़े हैं उन में और मकानों का निर्माण होना चाहिये। हमें चाहिये कि मकानों का राशनिंग आरम्भ कर दें। इस के कारण कुछ व्यक्तियों फो असुविधा हो सकती है पर २२,००० व्यक्ति प्रतीक्षा करने वालों की तालिका में। हमारे पास उन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है।

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि क्वीनसवे तथा किंग्जवे के मिलने के स्थान पर ५०,००० रुपये के व्यय से एक अण्डरपास बनाया जायगा। माननीय मंत्री का विचार है कि राष्ट्रपति भवन उसके लिये उपयुक्त नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि ऐसा किसी भवन का निर्माण नहीं होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति राजकुमारों के भवन में निवास करें पर राष्ट्रपति भवन को सारे का सारा जनता के कार्य के लिये खाली कर दें।

मंत्रालय म कुछ भी दोष हो मैं उत्तरदायित्व के अपने भाग से बच नहीं सकता। मैं जानता हूं कि हम निर्वाचकों से जो वादे करते हैं उनको पूर्ति न करने के कारण क्या परिणाम होता है, साथ ही साथ हम को उसका फल भोगना पड़ता है। मेरा विचार है माननीय मंत्री भी इस प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री के० के० देसाई (हालर) : निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय देखने में छोटा अवश्य जान पड़ता है परन्तु अपनी ओर से तथा अन्य मंत्रालयों की ओर से सामग्रियों का संभरण करने के लिये वह १४० करोड़ रुपया व्यय करता है । अब इसने गह व्यवस्था का कार्य भी ले लिया है । मेरा विचार है कि यदि सावधानी बरती जाय तो यह मंत्रिमंडल करोड़ों रुपये की बचत कर सकता है । कहा जाता है कि निर्माण, तथा विभिन्न मंत्रालयों की रसद के संभरण का कार्य ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है । यह भी कहा जाता है कि यदि सरकार को किसी सस्तु की आवश्यकता होती है तो उसे उसके लिये अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा तीस चालीस प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है । मुझे प्रसन्नता है कि इस समस्या को हल करने के लिये एक प्रकार की विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है । मेरा विचार है कि अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में मंत्रालय को चाहिये कि इस सदन को बताने कि कौन कौन वस्तु, कितने परिमाण में तथा कितने मूल्य पर उस के द्वारा क्रय की गई तब यदि सदन देखेगा कि मंत्रालय ने किसी वस्तु के लिये बाज़ार से अधिक दाम दिये हैं तो उस से इसका कारण पूछा ज़ायगा ।

जहां तक निर्माण कार्य का सम्बन्ध है कहा जाता है कि मंत्रालय ने १२ करोड़ रुपये की मूल्य के मकान बनाये हैं तथा आय व्ययक वर्ष में उन के पास लगभग १६ करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है । यह बहुत बड़ी धनराशि है । क्या मंत्रालय ने इस खर्च को कम करने का कोई प्रयत्न सोचा है ? मेरा सुझाव है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाय ।

जहां तक गृह व्यवस्था का सम्बन्ध है हम आय व्यय लेख पास करने के समय सदा ही इस समस्या पर विचार करते हैं । हमेशा वादे किये जाते हैं परन्तु इस वर्ष कुछ ठोस कार्य किये गये हैं । शहरी क्षेत्रों की जन संख्या बढ़ गई हैं । लगभग दूनी हो गई हैं परन्तु उसी अनुपात में मकानों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई हैं । इमारती सामान के अभाव के कारण पुराने मकानों की मरम्मत नहीं हुई है तथा वे पुराने व जर्जर हो गये हैं । पिछले वर्ष मकानों के निर्माण के लिये केवल नौ करोड़ रुपये की स्वल्प धन राशि का उपलब्ध किया गया है जिस में से केवल पांच करोड़ रुपया व्यय करने का संमोदन प्राप्त हुआ है । प्रसन्नता की बात है कि शेष चार करोड़ ज़ब्त नहीं किया जायगा । आगामी वर्ष के लिये भी कुछ धन राशि स्वीकृत की गई है । यदि एक मकान के निर्माण में जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित हो २,७५० रुपये का हिसाब लगाया जाय और केवल दस लाख मकान बनाये जायं जैसा सरकार ने चार वर्ष पूर्व कहा तो कुल व्यय दो सौ पच्छत्तर करोड़ रुपये का करना होगा तथा इस कार्य में एक पीढ़ी का समय लग जायगा । फिर मंत्रालय ने जो प्रतिवेदन दिया है उस में कहा है कि यह तो समस्या का एक अंश है । अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों के मकान की समस्या है । इसके अतिरिक्त गंदे हातों को साफ़ करने अथवा उनका सुधार करने का भी प्रश्न है । मेरा तो सुझाव है कि सरकारी गृह व्यवस्था समितियों को अर्थ सहायता देने के बजाय उन्हें चाहिये कि विकास भूमि के रुप में सहायता दें । यदि एक छोटा मकान निम्न मध्यम वर्ग परिवार के लिये बनाया जाय तो आधी लागत केवल भूमि की होगी । भूमि का मूल्य इतना बढ़ गया है कि बड़े नगरों में एक एकड़ भूमि का मूल्य ५०,००० तथा एक लाख रुपये के बीच में होगा । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ग़रीब

लोग जिनको मकान बनाने की इच्छा है वे भूमि कैसे पायेंगे । योजना आयोग का विचार है भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा भूमि का प्रबन्ध किया जाय । अतः नगर या औद्योगिक केन्द्र के एक मील चारों ओर की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाय तथा उसके लिये एक अधिनियम बनाया जाय । क्षतिपूर्ति के स्थान पर पूरा मूल्य न दिया जाय । आखिरकार भूमि का मूल्य क्यों बढ़ा है ? इस लिये नहीं कि इनके स्वामियों ने इस में कोई सुधार किया है ।

अन्तिम में अब मैं सहकारी गृहव्यवस्था के सम्बन्ध में कहूंगा । कहा जाता है कि वे मकान बनावे तो सरकार उन को २५ प्रतिशत अर्थ सहायता देगी । इस सम्बन्ध में उनकी बराबरी सेवा योजकों से की गई हैं जो स्वयं मकान बनाना चाहेंगे । इस के लिये अपेक्षित धन प्रतिवर्ष एकत्रित होने वाले भविष्य निधि से लिया जायगा । इस लिये मेरा सुझाव है सहकारी समितियों को २५ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत की सहायता दी जावे । इस प्रकार अनेक सहकारी गृहव्यवस्था समितियां बन जायेंगी तथा सरकार को गृहव्यवस्था की समस्या के हल करने में सहायता करेंगी । नौ या दस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से तो शहरी क्षेत्रों की मकानों की समस्या को हल करने में तीस वर्ष लग जायेंगे । परन्तु हम ने देखा है कि तीस वर्षों में जन संख्या दुगनी हो गई हैं । इस लिये इस बात का का क्या आश्वासन है कि आगामी ३० वर्षों में यह जनसंख्या फिर दुगनी नहीं हो जायगी ? मैं, माननीय मंत्री के द्वारा सरकार से निवदन करता हू कि अब जो इस कार्य को आरंभ किया गया है तो गृहव्यवस्था के कार्य की गति को तेज किया जाय, जैसे खाद्य की समस्या को हल करने के लिये किया जा रहा है जिसमें आगामी दस वर्षों में यह समस्या हल हो जावे ।

इन शब्दों के साथ मैं निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा, रसद मंत्री का समर्थन करता हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पंचतंत्र में एक कहानी है कि तीन विद्वानों ने एक मरे हुए शेर को जीवित कर दिया था, और फिर वे उस शेर द्वारा मार डाले गए थे । कांग्रेस राज्य की स्थापना के बाद से भ्रष्टाचार का ही साम्राज्य छा गया है और लोक निर्माण विभाग ने भ्रष्टाचार नाम का वैसा ही शेर खड़ा कर दिया है । मुद्रा-अवमूल्यन के साथ राष्ट्र का भी अवमूल्यन हो रहा है । एक निश्चित उदाहरण लें । १९४७ में ११ लाख रुपए के गबन का एक मामला माननीय मंत्री के ध्यान में लाया गया था । पर उचित पड़ताल नहीं हुई है । बहुत से कागज-पत्र गायब या नष्ट कर दिए गए हैं और अब तक कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई है । यद्यपि २९ मार्च, १९५१, ३ अप्रैल, १९५१, १ जून १९५२ और ८ जुलाई, १९५२ को याद दिलाई गई है, पर सरकार का उत्तर यही रहा है कि विचार हो रहा है, कार्यवाही हो रही है, पर अब तक कुछ नहीं हुआ है । सुना है, अब विभाग स्वयं आरोप-पत्र तैयार कर रहा है, पर संबंधित पदाधिकारी अब सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहा है । तो क्या यही प्रजातंत्री कार्यप्रणाली है ? मुझे तो मंत्रालय की इस ढील पर अचंभा ही होता है । उस दिन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि रेलवे के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाएगा । इस विभाग को भी चाहिए कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की आड़ लेना छोड़कर वैसा ही स्वतंत्र आयोग नियुक्त करें ।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

फिर उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को अनेक विशेषाधिकार मिले हुए हैं और मुझे ज्ञात है कि एक मुख्य इंजीनियर को नियुक्ति के २० दिन बाद ही स्थायी बना दिया गया है। पर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायी बनाए जाने में अनुचित विलंब होता है। मैं चाहता हूं कि एक विशेष विभागीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाए, जो साक्ष्य एकत्र करके निम्न कर्मचारियों की शिकायतें सुने और जांच करके उनको दूर करे।

गृहनिर्माण की समस्या को योजना-आयोग ने महत्व तो दिया है, पर वह अध्याय बिल्कुल निराशाजनक है। औद्योगिक गृहनिर्माण के लिए ४३ लाख रुपए का उपबंध अनुचित और अपर्याप्त है। फिर मकान की आयु ५० वर्ष ही होती है और प्रतिवर्ष कुछ अदल-बदल आवश्यक होती है। इसी प्रकार मरम्मत की बात भी न भुलानी चाहिये। शरणार्थियों के लिए रखे गए १० लाख मकान बहुत कम हैं। मेरे विचार से केवल शहरी औद्योगिक जनता के ही लिए एक करोड़ मकान चाहिए। फिर योजना आयोग देहाती गृह निर्माण को बिलकुल भूल गया है। उस दिन प्रधान मंत्री 'गृहस्थी' चलाने का रूपक प्रस्तुत कर रहे थे, पर लाखों व्यक्तियों के गृहहीन होने पर यह परिहास नहीं तो और क्या है? जमीन के युद्धोत्तर बढ़े हुए दामों को कम रखना भी सस्ते और पर्याप्त मकानों की दिशा में एक बहुत आवश्यक पग है और मुख्य-मुख्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण की बात करते समय जमीन के दामों का नियंत्रण भुला न देना चाहिए। पर कांग्रेस सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। यदि छोटे-छोटे जमीन के टकड़े नीलाम में ऊंचे-ऊंचे भावों पर बिकें, तो इमारतों की लागत भी ऊंची रहेगी और किराए भी कम या नियंत्रित न रखे जा सकेंगे। आप किराए निश्चित करने के लिए तो सामाजवादी सिद्धांत अपनाते हैं, पर मकानों की जमीनों के सम्बंध में पूंजीवादी सिद्धांत अपनाते हैं। अत: मकानों के स्थलों के दाम कम रखे जाएं। साथ ही कोई एक से अधिक मकान न बना सके।

पिछले वर्ष संसद् सदस्यों के लिए कुछ फ्लैट बने थे, पर एक तो वे अपर्याप्त हैं और दूसरे छत पर से छन-छन कर पानी नीचे आता है। गत ९ महीनों ही में न जाने कितनी मरम्मत हो चुकी है। आप ५-७ सौ संसद् सदस्यों के लिए मकान नहीं बना सके, पूरे देश के लिए कैसे बनाएंगे? इन फ्लैटों के फरनीचर में भी बहुत धन बरबाद किया गया है और संसद् सदस्यों से भी उनका किराया ले कर इस भ्रष्टाचार का पोषण किया जाता है। ठेकेदारों ने दिल्ली में बड़ी-बड़ी संपत्तियां एकत्र कर ली हैं। अच्छा हो, एक संसदीय समिति नियुक्त करके इसकी जांच करवाई जाए।

अंत में प्राक्कलन-समिति की कुछ सिफारिशों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। सरकारी क्वार्टर सरकारी किरायेदारों द्वारा दुबारा किराए पर उठाए जाते हैं और सरकार सदा यह कहती रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। समिति ने कहा था कि सरकार इन मामलों की पड़ताल करके उचित कार्यवाही करे। पर अब तक उस सिफारिश पर कुछ नहीं हुआ। समिति की अन्य सिफारिशों के प्रति भी मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। न तो एक आय-वर्ग वालों को दूसरे आय-वर्ग वाले क्वार्टर दिया जाना बंद हुआ है, न व्यय में ३० प्रति शत की बचत

ही की गई है और न सुपरिनटैंडेंटों के पदों को ही हटाया गया है ।

श्री एन० एल० जोशी (इंदौर) : जहां तक मनुष्य की आवश्यकताओं का सवाल है उसमें तीन चीज़ें मुख्य हैं, खाना, पहिनना और रहना । जहां तक खाने और पहिनने का सवाल है उसका सम्बन्ध इस मिनिस्ट्री से नहीं है किसी दूसरी मिनिस्ट्री से है। योजना कमीशन ने इसके सम्बन्ध में योजना आयोग में कई बातें की हैं, और किस तरह से खाने की समस्या हल की जा सकती है, किस तरह से पहिनने की समस्या हल की जा सकती है इसके सम्बन्ध में कई उपाय सुझाये हैं। रहने के सवाल के मुताल्लिक भी उसने एक योजना बनायी है और लगभग ४० करोड़ रुपया इस काम के लिये पांच वर्ष में खर्च करने के लिये उसमें रखा है। अभी हम ने यह भी देखा है कि पिछले दो सालों में उसमें लगभग १२ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और इस साल भी कुछ रुपया खर्च करने की आयोजना रक्खी गयी है । सवाल सिर्फ यह है कि जिस तरीक़े से रुपया खर्च करने का आयोजन किया गया है और जितना रुपया खर्च करने के लिये रक्खा है, उतने रुपये से क्या इस देश में रहने की समस्या हल हो सकती है ? यह मुख्य रूप से हमारे सामने सवाल है और इस पर हम को विचार करना है। वास्तव में अगर इस समस्या के विस्तार को देखा जाय और यह देखा जाय कि यह समस्या कितने उग्र रूप से हमारे सामने है तो हमें यह मालूम होता है कि जितना रुपया इस काम के लिये बजट में रक्खा गया है वह बहुत ही नाकाफ़ी है । जहां तक शहरों के मकानों का सवाल है, या गांवों के मकानों का सवाल है, दोनों में हमें मालूम होता है कि रुपया किसी तरह से भी काफी नहीं हो सकता। अगर हम शहरों के मकानों को भी लेकर देखें तो हमें यह मालम होता है कि जितना रुपया इसके लिये रक्खा गया है उसमें उस महकमे ने, जो योजना मकान बनाने के बारे में शहर के मज़दूरों के लिये रक्खी है उसमें २,७५० रुपया एक मकान बनाने के पीछे रक्खा गया है । अब २,७५० रुपये से जिस तरह के मकान बनाने की योजना है, उसमें एक १२ बाई २२ फुट का कमरा होगा, एक छोटा सा बरामदा और उसके पीछे एक टट्टी और एक स्नानघर, बस इतना ही काम २,७५० रुपये में किया जायगा । अब थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया जाय और थोड़ी देर के लिये यह ख्याल कर लें कि एक मकान में एक मज़दूर पांच आदमियों के सहित रहता है, उसकी बीबी, उसकी माता और उसके तीन बच्चे, तो भी क्या उसके और उसके परिवार वालों के पांच आदमियों के लिये यह १२ बाई २२ फुट का कमरा और एक छोटा सा बरमदा काफी होगा ? मेरा तो यह कहना है कि अगर इस तरह के मकान बनाने का भविष्य में कोई कार्यक्रम हो तो उसे अमल में लाने की ज़रूरत नहीं है और उसको बन्द कर देना चाहिये और कोई ज़रूरत नहीं है कि आज के समय में हम इस तरह के मकानात तैयार कर दें कि जिससे उन लोगों का जिन लोगों के लिये हम मकान बना रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो, ठीक तरह वे रह भी न सकें और उन लोगों का इतने छोटे मकान में रहने से चरित्र भी खराब हो । भला बतलाइये जब एक ही कमरे में माता-पिता और उन के बच्चे रहेंगे और एक साथ सोयेंगे, तो उस १२ बाई २२ फुट के कमरे में वह सब कैसे रह सकेंगे ? और अगर कभी कोई महमान आ गया तो उसके लिये गुंजाइश ही नहीं रहती । इस लिये मेरी राय में इस तरह के मकान बनाने में २,७५० रुपया व्यर्थ खर्च करने से कोई लाभ नहीं होगा, इससे तो हमारे देश की हालत बहुत खराब बनेगी और मकानों की

[श्री एन० एल० जोशी]

स्थिति भी बहुत खराब बनेगी। इसलिये मेरी समझ में इसके लिये कोई दूसरा तरीका अथवा उपाय सोचा जाय तो अच्छा होगा।

हमारे लिये सब से बड़ी आवश्यकता की बात यह है कि मकानों के लिये जमीन हम उपलब्ध कर सकें, बड़े से बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक एक साधारण कुटुम्ब के लिये एक एकड़, आधी एकड़, और वह भी नहीं, तो पाव एकड़ या उसका भी अष्ट भाग इतनी ज़मीन तो हम एक मकानदार को मकान बनाने के लिये उपलब्ध करायें ताकि वह वहां पर मकान बना कर अपने कुटुम्ब के साथ ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सके। जैसा अभी माननीय देसाई साहब ने फरमाया शहर के आस पास की ज़मीनों की कीमत का एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है और कीमत ज्यादा होने की वजह से मकानदार जो ज़मीन लेकर मकान बनाना चाहते हैं, वह उतनी बढ़ी हुई कीमत अदा नहीं कर सकते, जो लेना चाहते हैं वे ले नहीं सकते। इसलिये यह काम शासन का होगा कि वह ज़मीन उस मकान वाले को उपलब्ध करा दे जो वहां पर मकान बनाना चाहता है और ज़मीन उपलब्ध कराने के बाद शासन का दूसरा काम यह हो जाता है कि वह मकान बनाने के लिये जो सामान आवश्यक हो वह सारा सामान सस्ते मूल्य पर उस मकान वाले को उपलब्ध करायें। तीसरी बात जो और करनी चाहिये वह यह है कि उस मकान बनाने वाले को जो रुपया आवश्यक हो, वह कम से कम सूद की दर पर सरकार उस को उपलब्ध कराये। सस्ती ज़मीन, कम सूद पर रुपया और सस्ता सामान उपलब्ध कराना, यह तीन बातें शासन द्वारा करनी चाहियें। मैं समझता हूं कि अगर इन चीजों का प्रबन्ध हो जाय तो वह उस २,७५० रुपये में अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं उम्दा मकान बनायेंगे जो उनके कुटुम्ब के लिये ही पर्याप्त न होगा बल्कि वह एक और कुटुम्ब को भी उसमें रख सकेंगे। इसलिये इस सुझाव पर सरकार को बहुत गौर के साथ विचार करना चाहिये।

इसके अलावा जिस तरह से आज सरकार द्वारा मकान बनाने का सिलसिला चलता है आप जानते हैं कि उनके बनाने में जो ठेकेदार होते हैं वह बहुत सारा रुपया खा जाते हैं, और दूसरे जैसा यहां पर पबलिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में अनेक शिकायतें की गयीं कि किस तरह वहां पर करप्शन का दौरदौरा है, उस महकमे में भी बहुत सा रुपया करप्शन को भेंट हो जाता है। करप्शन को हम सब दूर करना चाहते हैं, इस पर तो सब सहमत हैं, लेकिन इसके लिये हमें प्रयत्नशील होना चाहिये और जिन साहबान के सामने, जिन मेम्बरान के सामने इस तरह के करप्शन के सवाल पेश हों, उन केसेज को आनरेबुल मिनिस्टर के नोटिस में ज़रूर लाना चाहिये ताकि मिनिस्टर महोदय उन पर पूरा गौर फरमा सकें और उनके बारे में और उन जिम्मेदार महकमों की तहक़ीकात भी कर सकें। मैं, जैसा डिप्टी होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि हमारा काम केवल आलोचना करके चुप हो जाना ही नहीं है, उनके विचार से पूर्ण सहमत हूं। हमारा सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि आलोचना करके या यह कह कर के कि महकमे का फलाना अधिकारी रिश्वतखोर है और रिश्वत-खोरी चलने से शासन का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, हम बैठ जायें और कुछ न करें। पार्लियामेंट के सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसे करप्शन के स्पेसिफिक केसेज मिनिस्टर साहब की नजर में लायें और वह उन पर गौर

फरमा कर मुनासिब ऐक्शन लें। हमें इसके लिये कोशिश करनी होगी कि आज जो सरकार के अधिकारी और ठेकेदार मकान बनवाने के काम में रुपया बीच में खा जाते हैं यह ईविल प्रैक्टिस खत्म हो और हम सरकार द्वारा शहर के मजदूरों को सस्ते से सस्ते दाम पर मकान दिलवा सकें। अभी जैसा माननीय देसाई साहब ने फरमाया आज जब कि कोई मकान बनाये तो कोई कारण नहीं है कि पचास प्रतिशत रुपया तो गवर्नमेंट को बतौर सबसिडी दे, पचास रुपया सरकार खर्च करे; प्राइवेटली अगर कोई कोआपरेटिव सोसाइटी मकान बनाना चाहे तो पच्चीस प्रतिशत सबसिडी गवर्नमेंट दे और साढ़े सेंतीस परसेंट उसके लिये लोन दिया जाय। जिस तरह से पचास प्रतिशत सबसिडी केन्द्र देता है उसी तरह से यह आवश्यक है कि पचास प्रतिशत सबसिडी उस मज़दूर कोआपरेटिव सोसाइटी को भी मकान बनाने के लिये दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर यह हो जाय और उस को पचास प्रतिशत रुपया बतौर सबसिडी मिल जाय और पचास प्रतिशत रुपया लोन के रूप में मिल जाय तो वह ठीक ठीक और आवश्यकता के अनुकुल मकान बना सकेंगे। अगर यह दोनों चीज़ें इस तरह से मिल जाती हैं तो मैं समझता हूं कि मज़दूरों की कोआपरेटिव सोसाइटियां बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे और बहुत सहूलियत वाले मकान अपनी सहूलियत के लिये जिस तरह चाहें शहरों में बनवा सकती हैं। मेरी गुज़ारिश यह है कि अगर इस तरह से हम ने काम किया तो जहां तक शहरों का सवाल है, हम शहरों की इस मकान समस्या को हल कर सकेंगे।

जहां तक गांव के मकानों का सवाल है, बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है, करीब साढ़े पांच लाख के हमारे गांव हैं, और वहां के मकानों का सवाल बड़ा टेढ़ा है। उनकी बड़ी भंयकर दशा है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वह जानते हैं कि देहातों में लोग कैसे रहते हैं। ऐसा मलूम होता है कि वह मकानों में रहते ही नहीं। वे ढोरों जैसी जिन्दगी व्यतीत करते हैं। उन के रहने के स्थानों को मकान तो कहा ही नहीं जा सकता, चाहे मज़दूर का मकान हो चाहे किसान का मकान हो। मज़दूर के झोपड़े की हालत तो यह है कि वह दस बाई दस का भी नहीं होगा। मुश्किल से दस बाई आठ की कोई जगह होगी। वह लोग फूस के छप्परों के नीचे रहते हैं। उन्हीं झौंपड़ों में वह अपनी हंडिया रखते हैं, वहीं उन का बिछौना रहता है, वहीं सोते हैं, सोते क्या हैं, जिन्दगी बिता रहे हैं। इस में कोई शक नहीं कि शहरों की अपेक्षा गांवों में मकानों के आस पास खुला आंगन ज्यादा रहता है, इस की वजह से वह खाना बनाने का चूल्हा और मटकी तो झौंपड़ी में रख लेते हैं बाकी चीज़ें बाहर ही रखते हैं और बाहर सोते हैं और बाहर ही सारे काम करते हैं। उन के लिये मकानों का सावल बड़ा भारी सवाल है। जहां तक गांवों के मजदूरों का सवाल है उसकी दशा किसानों से भी खराब है। मजदूरों का हाल यह है कि वहां जहां रहते हैं उसी में ढोरों को बांधते हैं, उसी मकान में खाना बनाते हैं, उसी में सारा सामान रखते हैं। अगर आप उस में चले जायें तो ऐसा मालूम होता है कि वह एक बिल्कुल अन्धेरी काल कोठरी है जिस में इतना धुआं भर जाता है खाना बनाने से कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। देहात के मज़दूरों के मकानों का जो सवाल है वह बड़ी गम्भीर समस्या है, वह इतने निकम्मे हैं कि इस बात की बहुत ज़रूरत है कि किसी प्रकार की योजना तैयार कर के उन को सुधारा जाय। आज आवश्यकता इस बात की है फिर नये सिरे से देहात

[श्री एन० एल० जोशी]

के मकानों को और वह मज़दूरों के हों या किसानों के, विशेष रीति से बनाया जाय।

जहां तक शहरों का सवाल है यह बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। शहरों के आसपास की जमीन बड़ी मंहगी हो गई है, इतनी मंहगी कि शहर के लोगों के लिये आस पास के गांवों में मकान बना लेना बड़ा कठिन हो गया है। गांवों में ऐसी बात नहीं है। वहां तो कायदा है, कम से कम हमारे मध्य भारत में है, कि बीस गुनी तोजी दे कर सरकार देहातों की ज़मीन ले सकती है। हो सकता है कि कहीं किसी राज्य में ज्यादा हो, बहरहाल बीस गुना तोजी दे कर के गवर्नमेंट आस पास के खेतों को ले ले और हर किसान और मजदूर को उस की हैसियत के हिसाब से दे दी जाये तो किसी तरह से मकान बनाये जा सकते हैं। इस के लिये भी इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को ही वह जमीन दी जाये जिन को इच्छा मकान बनाने की है चाहे वह खुद बनायें या कोआपरेटिव सोसायटियों के जरिये से। जो लोग सरकारी प्लैन के मुताबिक बनवाना चाहते हों उन को रुपया दिया जाना चाहिये। इस तरह से अगर शासन इस समस्या को हाथ में ले तो हमारे मकान की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है।

श्री एम० खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा यह मंत्रालय अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी सुविधा के लिये मैं १९५२-५३ के प्रतिवेदन को अपने भाषण का आधार बनाऊंगा। सब से पहिले ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि 'संस्थापन' के शीर्षक के अन्तर्गत मंत्रालय ने कहा है कि वह समिति की सिपारिशों को स्वीकार करने योग्य हो गये हैं और इस के परिणामस्वरूप ११ लाख रुपये की बचत होगी।

दूसरी बात यह है कि मन्त्रालय ने सराहनीय शीघ्रता से सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। इन की स्वीकृति और कार्यान्विति के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों की छंटनी करनी आवश्यक हो गई। परन्तु मंत्रालय ने इस छंटनी को बड़े ही वैज्ञानिक आधार पर किया है और उसे समस्त भारत में फैला दिया है। यह अच्छी बात है कि मंत्रालय सब से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक काम देने का प्रयत्न कर रहा है। माननीय मंत्री का यह बताना कि कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई, कितनों के वेतन कम किये गये, और निकाले गये व्यक्तियों में से कितनों को अन्य काम दिया गया, अधिक रुचिकर होगा।

रहने के घरों के सम्बन्ध में मैं मुख्यकर उन कर्मचारियों का निर्देश करता हूं जिन का वेतन ५०० रु० मासिक से कम है। ये सब से अधिक अभागे व्यक्ति हैं। यह स्वमं भी मकान नहीं ले सकते, और जैसे मकान यह ले सकते हैं वे उचित नहीं हैं। अतः मैं मन्त्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इस वर्ग के कर्मचारियों की आवश्यकता पूर्ण करने की ओर अधिक ध्यान दे और उचित घर बनाये।

यह सराहनीय बात है कि मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि स्थान की कमी की दृष्टि से कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने की संभावना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को अपने बर्ताव में दृढ़ रहना चाहिये। और उच्च पदाधिकारियों के बहकावे में नहीं आना चाहिये। मैं सुझाव देता हूं कि दिल्ली में स्थित कार्यालयों के यहां रहने के सम्बन्ध में उन के अपेक्षित महत्व की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ कहा, भ्रष्टाचार के उदाहरण भी दिये, जो, हो सकता है कि, जांच पड़ताल करने पर निराधार सिद्ध हों, परन्तु इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये किसी ने भी सरकार को कोई क्रियात्मक सुझाव नहीं दिया। फिर भी, मंत्री महोदय को इस की जांच करनी चाहिये और यदि अधिकारी भ्रष्टाचार के उत्तरदायी पाये जायें तो उन के संग कठोरता का बर्ताव होना चाहिये। प्रतिवेदन में कहा गया है कि भ्रष्टाचार को कम करने की दृष्टि से सरकार ने प्रशासकीय लेखा-परीक्षण की नई प्रणाली निकाली है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय यह बतायेंगे कि इस प्रणाली से उन का क्या अभिप्राय है।

गृह व्यवस्था के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष ही है कि सरकार अपने प्रयत्नों से इस समस्या को सुलझा सकेगी। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में हमें वैयक्तिक पूंजी की मांग करनी चाहिये। सरकार को देखना चाहिये कि केन्द्र में इस मन्त्रालय द्वारा लागू किये जाने वाले तथा राज्यों में, किराया नियंत्रण अधिनियम वैयक्तिक पूंजी को निरुत्साह तो नहीं करते हैं।

यदि पूंजी विनियोग के इस क्षेत्र में हमें वैयक्तिक पूंजी को आकर्षित करना है तो हमें यह देखना होगा कि पूंजीपतियों को लगी हुई पूंजी पर पर्याप्त लाभ होता है। दूसरी बात यह है कि यदि भवन निर्माण सामग्री के मिलने में कठिनता होगी तो वैयक्तिक पूंजी इस ओर आकर्षित नहीं हो सकेगी। अतः इस विभाग के माननीय मंत्री को मैं सुझाव देता हूं कि पूंजी लगाने वालों को आवश्यक सामग्री की प्राप्ति तथा निर्माण-स्थान तक उसे ले जाने की सुविधा मिलनी चाहिये।

अन्य मंत्रालयों के लिये श्रम के सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि बड़ी ही लाल फीता शाही चलती है जिस के फलस्वरूप देर होती है। अधिकतर मांगें प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की होती हैं। इस मंत्रालय को उन की मांग पर शीघ्रता से विचार करने का ढंग निकालना चाहिये। इसी से संबंधित एक प्रश्न यह है कि क्या ये मांगें देशीय सामग्री से पूर्ण हो सकती हैं? इस का पता लगाने का उत्तरदायित्व इस मंत्रालय पर होना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने १७ मिनट ले लिये हैं। अन्य माननीय सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं।

श्री एम० ख़ुदा बख़्श : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

टेन्डरों के मामले में भी माननीय मंत्री यह देखेंगे कि क्रय में किस सीमा तक भ्रष्टाचार की गुंजाइश है और किस सीमा तक यह दूर किया जा सकता है। इस सरकार को मेरा तर्क यह है कि क्रय का केन्द्रीयकरण हो। यदि हम इस मंत्रालय को विदेशों में होने वाले सम्पूर्ण क्रय के लिये उत्तरदायी बना देते हैं तो हम एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं जिस से यह तमाम भ्रष्टाचार नष्ट हो सकता है।

सरदार लाल सिंह (फीरोजपुर-लुधियाना) : इस मुख्य प्रतिवेदन तथा सारांश में कहा गया है कि कितने घर बने हैं, कितनी जगह उपलब्ध है, सम्पूर्ण मांग क्या है। और शेष अपूर्त माँग क्या है। यद्यपि प्रगति बड़ी ही सन्तोषजनक है तथापि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि घर-समस्या अब भी गम्भीर है। हमें यह समस्या नाश को रोक कर तथा अधिक काम लेने के प्रयत्नों में वृद्धि कर के सुलझानी

[सरदार लाल सिंह]

है। मुझे सन्देह नहीं है कि माननीय गृह मंत्री मेरे सुझाव पर खुले दिमाग़ से विचार करेंगे ।

सरकार की वर्तमान प्रणाली यह है कि व्यक्तियों से भूमि ले कर उसका विकास करती है और फिर लागत पर विस्थापितों को बेच देती है या वहां घर बना कर न-लाभ-न-हानि के आधार पर विस्थापितों को बेचती है। अतः हमें यह मामला दो दृष्टिकोणों से देखना चाहिये अर्थात् भूमि लेने तथा विकास का व्यय, तथा निर्माण व्यय। इस उद्देष्य के लिये मैं दो कमरे के घर को लेता हूं जिस का क्षेत्रफल लगभग २०० वर्ग गज़ होता है । इस के लिये सरकार ६,००० रुपये लेती है और यदि बिना किराये के आधार पर लिया जाये तो मूल्य ६००० और ७,५०० रुपये तक आता है। परन्तु ऐसे ही घर और उत्तम सुविधा के लिये वैयक्तिक कम्पनियां केवल ५,००० रुपये लेती हैं अर्थात् सरकार के दाम लगभग ४० प्रतिशत अधिक हैं। यही स्थिति भूमि के सम्बन्ध यें है ।

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य किस बस्ती के बारे में कह रहे हैं ?

सरदार लाल सिंह : वही बस्तियां जो आप के कार्यालय द्वारा दी गई सूचना में दी हैं—तिलक नगर, कालका गंज, मोती नगर ।

स्वभावतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि इतना अन्तर है तो वैयक्तिक कम्पनियां इस कार्य को और उच्च स्तर पर क्यों नहीं करतीं। उत्तर बड़ा सीधा है—धन की कमी है। बाजार में ब्याज की दर बहुत ऊंची है। व्यक्ति १२ प्रतिशत से कम पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकते और मध्यम वर्ग का व्यक्ति इतना दे नहीं सकता। अतः सरकार से इन घरों को लेने में केवल यही आकर्षण है कि मूल्य ३, ५ या ६ वर्ष में देना होता है ।

मेरा विचार है यदि माननीय मंत्री सहकारी संस्थाओं को कम ब्याज पर ऋण देने के औचित्य पर विचार करें तो समस्या बड़ी सीमा तक सुलझ जायेगी। मैं समझता हूं कि बम्बई सरकार ने ऐसी ही एक योजना बनाई है—बम्बई गृह व्यवस्था योजना। इस का सब से बड़ा लाभ यह है कि सरकार इस ढंग से वैयक्तिक पूंजी आकर्षित कर सकती है। मेरा विचार है कि सरकार को औद्योगिक वित्त निगम की तरह ही सहकारी संस्थाओं आदि को थोड़े ब्याज पर ऋण दे कर गृह निर्माण के लिये एक संगठन बनाने के औचित्य पर विचार करना चाहिये ।

दूसरे सरकार बीमा कम्पनियों के धन का उपयोग कर सकती हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को कोई ऐसी प्रणाली बनानी चाहिये जिस से इन कम्पनियों का यदि सम्पूर्ण धन नहीं तो पर्याप्त धन ऐसी निर्माण योजनाओं में लगाया जाये जिन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो। इस के अतिरिक्त विदेशी बीमा कम्पनियां हैं जो धन विदेशों को भेजती हैं। क्या कारण है कि हमारी सरकार इन कम्पनियों को न कहे कि वे धन को भारत से बाहर भेजने के बजाये भारत में गृह निर्माण आदि कार्य में लगायें ?

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : आजकल भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये गृह-व्यवस्था की समस्या बड़ी ही गम्भीर समस्या बन गई है यहां तक कि भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के पश्चात् इस का ही नम्बर आ जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से

बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। यद्यपि पूर्ण मांग का पूरा करना असम्भव है तथापि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया है ।

मुझे हर्ष है कि औद्योगिक गृह व्यवस्था में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। पंच वर्षीय योजना प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९५२ के आरम्भ में सरकार ने भूमि मूल्य सहित निर्माण-व्यय के बीस प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई थी पर शर्त यह थी कि शेष भाग मालिक द्वारा पूरा किया जाता। इस प्रकार बना कर मालिक की सम्पत्ति रहता। मेरा विचार है कि यदि सरकारी आर्थिक सहायता तथा छट को मालिक के स्वेच्छापूर्वक श्रम के साथ मिला दिया जाये तो यह मजदूरों में उत्साह का संचार करेगी और योजना में व्यवस्थित धन से अधिक मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था हो सकेगी ।

यह सन्तोषजनक है कि योजना आयोग ने ग्रामीण गृह व्यवस्था के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त-स्वयं सहायता-योजना को स्वीकार किया है। इस के अतिरिक्त सरकार को प्रत्येक गांव के लिये नया स्थान निश्चित करना चाहिये क्योंकि आगे चल कर पुराने गांव को नया बनाने की अपेक्षा नया गांव बनाना अधिक सरल होगा ।

मेरा विचार है कि नये गांव के लिये राज्य-सरकारों को योजना बनानी चाहिये और स्वयं गांव वालों के स्वेच्छापूर्ण श्रम के द्वारा निर्माण कार्य के आरम्भिक व्ययों में सहायत देने के लिये थोड़े से धन की भी व्यवस्था करनी चाहिये ।

प्रतिवेदन से मुझे पता लगा है कि राजे महाराजों ने अपने घरों को दफ्तरों के लिये दे दिया है। इस उदाहरण का औरों को भी अनुसरण करना चाहिये । दिल्ली नगर में मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों के रहने के बंगले बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि इन बंगलों आदि का एक भाग गृहव्यवस्था की कठिनाई का सामना करने के लिये जरूरतमंदों को क्यों न दे दिया जाये। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

श्रीमती उमा नेहरु (जिला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम) : अभी थोड़ी देर हुई मैं ने दूसरी तरफ के आनरेबल मेम्बर श्री गुरुपादस्वामी का व्याख्यान सुना । मुझ भी उन की तरह से एक कहानी याद आई लेकिन वह कहानी बहुत लम्बी है, मैं सिर्फ उस का इशारा यहां करती हूं । 'किसान ए आजाद' में एक मियां हुश्शू का ज़िक्र है । अगर किसी ने 'किसान ए आजाद' पढ़ा है तो वह जानता होगा कि आनरेबल मैम्बर का कैरेक्टर बिल्कुल मियां हुश्शू से मिलता है। यह बात मुझे बार बार याद आती रही ।

बात यह है कि मुल्क की आजादी के बाद हम आज इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आजादी के बाद मुल्क का निर्माण शुरू होता है। आर्थिक और सामाजिक जो भी बातें होती हैं उन का हमें निर्माण करना होता है। लेकिन जब तक हिन्दुस्तान के रहने वालों को रोटी, कपड़ा और रहने के लिये मकान न मिले तब तक देश में परेशानी बनी रहती है और देश का निर्माण भी पूरी तौर से नहीं हो सकता है। इस लिये आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो हमारी सरकार है उस का क्या फर्ज है। वह किस तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकती है । मुझे अपनी सरकार से यह कहना है कि मुझे उन से कोई गिला और कोई शिकायत नहीं

[श्रीमती उमा नेहरू]

है। मैं भी जानती हूं कि उन के सामने कितनी मुश्किलें हैं, मैं यह भी जानती हूं कि हमें एक तरीके के साथ साथ चलना है। अगर आप इस काम में अलग अलग टुकड़े में चलेंगे तो आप जरा भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। वह तो एक विशस सर्किल है। अगर आप को तरक्की करनी है तो बुनियाद बदलनी होगी तब सभी चीजें दुरुस्त हो जायेंगी।

मैं जब आज कल मकानों को देखती हूं तो बड़े सोच में पड़ जाती हूं। चाहे दिल्ली हो, इलाहबाद हो, लखनऊ हो। चारों तरफ र आप शहरों में जायें तो वही एक पुकार मकानों के लिये है। लोग कहते हैं कि हमारे पास रहने को मकान नहीं है और जब से हिन्दुस्तान की बदकिस्मती से पाकिस्तान हुआ उस वक्त से तो यह पुकार और भी बढ़ गई है। हम बराबर यह देखते चले आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रहने को मकान नहीं हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मकान नहीं हैं, हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर पड़े हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों के तले लोग पड़े हैं, हम गरीबों को चार बांस लगा कर और उन पर छप्पर लटका कर रहते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक इन्सान या दो इन्सान चार बड़े कमरे के मकानों में रहते हैं। हम देखते हैं कि पैलेशियल बिल्डिंग्स हैं। तब हमें जरूर खयाल आता है कि अगर हम हिन्दुस्तान का निर्माण करने खड़े हुए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम देखें कि मकान, कपड़ा और खाना सब को एक सा मिलना चाहिये। यह न होना चाहिये कि समाज में एक तरफ रईस और अमीर हों और दूसरे तरफ फाकेमस्ती हो। ऐसा न होना चाहिये। समाज के व्यक्तियों को हमें बराबर एकसा करना है। यह हमारा भी फर्ज है और हमारी कांग्रेस सरकार का भी।

इस के बाद सवाल आता है कि हम मकानों को कैसे बनावें। इस के लिये स्कीम तो बनाना ही होगा। कल रात मेरे एक भाई जो अमरीका से आये हैं मुझ से यह कह रहे थे। कहने लगे कि चूंकि हम को यहां इन्डस्ट्रीज कायम करनी है इसलिये नीचे की जमीन काफी नहीं है। हम को मकानों को ऊपर ही ऊपर बनाना है। यह बातें सुन कर मैं ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्क होते हैं। अलग अलग रहने के तरीके हैं। यह सोचना कि हम भारत को अमरीका बना दें यह ख्वाब मेरी समझ से बिल्कुल व्यर्थ है, फिजूल है। इसलिये यह बात भी ऐसी है जिस पर हम को विचार करना है। मैं आप को बता दूं कि मुझे यह बात कभी अपील नहीं करती कि अमरीका में ऐसे मकान हैं या फलां जगह में ऐसे मकान हैं। मैं चाहती हूं कि अपने देश व प्रान्तों के मौसम के अनुसार मकान हम को बनाने चाहियें। मेरी राय है कि मकान बनाने में इस का ख्याल रखना चाहिये कि ऐसे मकान हों कि जहां थोड़ी थोड़ी जमीन हम को मिल सके जहां हमारे बाल बच्चे खेल सकें। मेरी राय है जब देहातों में खास तौर से देहात वालों के लिये मकान बनायें उन में इस बात का ज्यादा खयाल रक्खा जाय। आज कल जब हम देहातों में जाते हैं तो हम को बहुत सी चीजें तकलीफ देह दिखाई देती हैं। वहां की नालियां ठीक नहीं हैं। वहां मच्छर ही मच्छर हैं क्योंकि पानी का निकास अच्छा नहीं है। बेचारे मिट्टी खोद खोद कर दीवालों में थोपते हैं जिस से वहां गड्ढे हो जाते हैं और उन में पानी भरा रहता है। सरकार का फर्ज है कि इन सब चीजों को दुरुस्त करें। लेकिन

यह कहते हुए मैं एक सोच में हूं कि हम यह कह दें कि ईंटों के मकान आप देहातों में बनाइये लेकिन पेड़ तो देहातो में हैं नहीं, वह तो सब कट गये हैं। छोटे मोटे आमों के ग्रोव यहां-वहां भले ही हों। अगर ईंटों के मकान बनाये जायें तो बेचारे देहाती बिल्कुल जल भुन जायेंगे। देहातियों के मकान तो मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के होते हैं और उन में बड़ी ठंडक होती है। हमें इस का भी विचार करना है ताकि उन का जीवन ठीक से बीते।

अभी मेरी बहन ने और दूसरे भाइयों ने भी इंडस्ट्रियल लोगों के मकानों का ज़िक्र किया। वह स्लम्स मैंने भी देखे हैं और मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट के सामने स्लम्स का भी सवाल है। स्लम्स देख कर बहुत तकलीफ होती है। रहने को जगह नहीं होती है, एक जगह में खान्दान का खान्दान पड़ा रहता है। भारतवर्ष में बदकिस्मती से पापुलेशन की हालत यह है कि वह बजाय घटने के रोज ब रोज बढ़ती ही चली जाती है। इसी सब चीजों के वास्ते, मकानों के लिये खाने पीने के लिये, हर चीज के लिये प्लैनिंग की जाय तभी कुछ हो सकता है। बिना इस के काम नहीं चल सकता है। और यह सब करना हमारी सरकार का फर्ज है। जिस वक्त हम को शहर में जमीन की जरूरत होती है उस वक्त हम को जमीन नहीं मिलती लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हर सड़क के कोने में एक सिनेमा हाउस फौरन तैयार हो जाता है। अगर आज हम मकान बनायें तो हम को सीमेंट नहीं मिलता है, हम को ईंट नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती है, लेकिन सिनेमा हाउस जब बनता है तो वह बहुत जल्दी बन जाता है। सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इसकी भी जांच करे कि अगर सिनेमा हाउस बनता है तो किस तरह से बनता है, ब्लैक मार्केट से सामान आता है या क्या होता है, किस तरह से चारों तरफ सिनेमा हाउसेज बनते जा रहे हैं।

और दूसरे जिस वक्त एक संगठन होता है, निर्माण होता है उस वक्त ऐसे सिनेमा हाउसेज चारों तरफ बनने से नुक्सना भी होता है।

अब रहा करप्शन के बारे में। मैं उस के बारे में बराबर सुनती चली आ रही हूं। अभी एक आनरेबिल मैम्बर की राय थी कि गवर्नमेंट की जितनी खरीद-फरोख्त हो वह सारी हमारे वर्क्स एंड माइन्स डिपार्टमेंट के जरिये हो। मुझे हंसी आ रही थी कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं और उन सब का दोष इस एक मिनिस्ट्री पर पड़ने वाला है। मेरा ऐसा विचार नहीं है। लेकिन करप्शन का रोकना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर पार्लियामेंट के मैम्बरों की एक कमेटी बनाई जायेगी तो वह क्या करप्शन रोक सकेगी। इन्सान की तबीयत इतनी कमजोर है कि मुझे नहीं मालूम कि जब यह कमेटी बनेगी तब क्या रंग लावेगी। इसलिये में तो यह समझती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाय यह बात तो कैबिनेट के सामने जाने वाली है और कैबिनेट ही इस का निश्चय भी करेगी। करप्शन एक बहुत गहरी चीज है। इस का निकालना तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे जितने मिनिस्टर हैं वह और जो हमारे आफिसर हैं वह इस पर गौर करेंगे और गौर कर के इसको अलग करेंगे।

इस के अलावा मुझे गवर्नमेंट से एक बात और कहनी है। मैं देख रही हूं कि मकान बनते चले जाते हैं लेकिन मुझ से कहा जाता है कि हर चीज बहुत मंहगी मिलती है और कई चीजें तो मिल भी नहीं सकती हैं। इस हालत में गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि वह मकान के मैटीरियल को इस तरह से कंट्रोल में रखें कि वह सस्ता हो और आसानी से मिल सके।

[श्रीमती उमा नेहरू]

मैं ज्यादा वक्त न ले कर एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि यह जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्युनिसिपल बोर्ड और कंटोनमेंट जमीन को नीलाम करता है इस को बन्द किया जाये। अगर गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहती है तो उस का यह फर्ज होना चाहिये कि वह जमीन को कास्ट प्राइस पर दे और जो गरीब लोग हैं उन को मुफ्त जमीन दे ताकि वह आसानी से अपने मकान बना सकें।

आखिर में मुझे एक बात यह कहनी है मेरे सामने इस महकमे का बराबर जिक्र आता रहता है। इस महकमे में पी० डब्ल्यू० डी० का बहुत जोर है। और इस पी० डबल्यू० डी० के मारे चारों तरफ दुहाई सी मची हुई है। इस महकमे के साथ एक स्टेट आफिस भी नत्थी है। उस की हालत भी मैं आप को बतलाती हूं। मैं आज कल कांस्टीट्यूशन हाउस में रहती हूं। वहां इस का इंतजाम देख कर मैं इस के बारे में बराबर सोचती हूं। कोई दिन खाली नहीं जाता जब कि वहां पर कोई मरम्मत न होती हो। मैं ने दरयाफ्त किया कि कांस्टीट्यूशन हाउस पर सालाना मरम्मत में क्या खर्च होता है तो मालूम हुआ कि एक लाख रुपया मरम्मत पर खर्च होता है। असल में यह मकान जिस में हम रहते हैं बहुत खस्ता हो चुके हैं और इन की मियाद पूरी हो चुकी है। और इन को अब खत्म हो जाना चाहिये था। लेकिन एक लाख रुपया सालाना खर्च कर के इन को जिन्दा रखा जा रहा है।

एक नई बात और भी यहां देखी मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मैं सोचती हूं कि यह ऐस्टेट आफिस के इंजीनियरों का अजीब विचार है। कान्टीट्यूशन हाउस में कुछ लोगों को रसोई की जरूरत थी, वह नहीं चाहते थे कि वहां का खाना खायें। तो यह हुआ कि हमारे पीछे जो छोटे छोटे बारामदे हैं वह रसोई-खाने बन गये। यहां पर ऐसा करना आसान था। दोनों तरफ दीवारें तो थी हीं। उन में दरवाजे लगा दिये गये और वहां किचन बन गये। मैंने तो अपने कमरे में ऐसा नहीं होने दिया लेकिन मैं यह देख कर परेशान हूं। एक ही कमरा रहने के लिये है। उस में अगर इस तरह किचन बना दिया जायेगा तो धुआं, धूल, खाने की बू वगैरह आती रहेगी। यह भला कहीं हैल्दी चीज है। मैं समझती हूं कि यह मामला भी विचार करने योग्य है।

अब और ज्यादा समय न ले कर के मुझे गवर्नमेंट से इतना ही कहना है कि वह दो तीन बातों पर विचार करे। एक तो यह कि मकान बनाने के लिये जमीन मुफ्त देनी चाहिये और हाइऐस्ट बिडर को नीलाम में जमीन देना बन्द कर देना चाहिये। जो बड़े बड़े पैलेशियल मकान हैं या जो बनेंगे और सिनेमा घर हैं उन पर डबल टैक्स लगाइये और उस से जो रुपया मिले उस से गरीबों के लिये मकान बनाइये। मैं समझती हूं कि अगर गवर्नमेंट सख्ती से ऐसा करेगी तभी वह पांच साल की योजना में जो उस ने अपने सामने रक्खी है कामयाब होगी।

डा० अमीन : योजना आयोग ने ठीक ही कहा है कि योजना की सफलता सार्वजनिक सहयोग पर निर्भर है तथा सार्वजनिक सहयोग प्रशासन की ईमानदारी तथा सक्षमता पर निर्भर है। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह प्रशासन को पवित्र रखे तथा जनता का भी यह काम है कि वह इस उद्देश्यपूर्ति में सरकार का हाथ बटाये। इसी भावना से प्रेरित हो कर मैं इस मंत्रालय के सम्बन्ध में विशेषकर इस के पैट्रोलियम विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस विभा

का कार्यसंचालन कुछ रहस्यपूर्ण है । पैट्रोलियम के मूल्य जिस तरह से निश्चित किये जाते हैं, विदेशी कम्पनियों की जिस तरह से रक्षा की जाती है तथा भारतीय उपभोक्ता के हितों की जिस तरह से उपेक्षा की जाती है, वह इस के कार्यसंचालन को रहस्यमय बनाते हैं ।

पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में हम विदेशों पर निर्भर हैं, विदेशी तेल कम्पनियों को इस व्यापार में यहां एकाधिपत्य प्राप्त है तथा वह बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं । भट्टी के तेल को ही लीजिये १९४१ से १९५२ तक इस के मूल्यों में ४०० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान दाम उचित हैं । १९५१-५२ के वर्ष में ही इस के मूल्यों में शत प्रतिशत वृद्धि हुई, मंत्रालय ने इस का कारण यह दिया कि परिवहन का खर्चा बढ़ गया है । परिवहन खर्चे में केवल २५ रुपये प्रति टन वृद्धि हुई है । १९५० में यह २१ रुपये प्रति टन था तथा १९५२ में यह ४६ रुपये तक बढ़ गया । यदि इस तेल के मूल्य में वृद्धि का केवल यही एक कारण था तो इस के प्रति टन मूल्य २५ रुपये से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये थी । १८० रुपये प्रति टन की बजाय इस का मूल्य ११५ रुपये प्रति टन होना चाहिये था । कहने का उद्देश्य यह है कि तेल कम्पनियों ने १९५२ के वर्ष में इस व्यापार में नियमित लाभ के अलावा ६५ रुपये प्रति टन मुनाफा कमाया है । १९५२ के ग्यारह महीनों में यहां लगभग ७,५०,००० टन भट्टी का तेल उपयोग में लाया गया; तथा इस तरह से इन तेल कम्पनियों ने ग्यारह महीने के अल्प काल में ही केवल भट्टी के तेल पर पांच करोड़ रुपये मुनाफा कमाया, यदि हम उस मुनाफे को भी ध्यान में रखेंगे जो कि उन्हों ने मिट्टी के तेल, पैट्रोलादि पदार्थों पर गत दस बारह वर्षों में कमाया है, तो न मालूम यह कितनी धनराशि आयेगी । हम ने इन तेल कम्पनियों के अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगाने का कभी विचार नहीं किया । परिणाम यह हुआ है कि वह भारतीय उपभोक्ता का शोषण बराबर करती चली आ रही हैं । सरकार ने १ दिसम्बर १९५२ से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी की है किन्तु फिर भी वह अधिक हैं । समय आ चुका है जबकि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि भारत में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य उस से अधिक न हों जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित हैं । वहां यह ९० रुपये प्रति टन अथवा उस से भी कम है ।

मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में अपनी अनुचित उदारता दिखाई है । इसलिये यह उचित है कि इन कम्पनियों को इस बात के लिये मजबूर किया जाये कि वह अतिरिक्त धन राशि वापस करें जो कि उन्हों ने भट्टी के तेल के उपभोक्ताओं से वसूल की है ।

१९ जनवरी १९५२ को कम्पनियों के पास भट्टी के तेल का जितना भी स्टाक मौजूद था उस का मूल्य भी बढ़ाने की अनुमति दी गई है । आखिर ऐसा क्यों किया गया ? इस पर उन्हें कोई भी अतिरिक्त परिवहन व्यय उठाना नहीं पड़ा था । यह एक संदेहपूर्ण बात है । ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच नही की है अथवा कम्पनियों ने सरकार से अपनी शर्तें मनवाई हैं अथवा पैट्रोलियम विभाग में ऐसा कोई व्यक्ति है जिस की इन कम्पनियों के साथ हमदर्दी है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में तहकीकात करायें तथा इस बात का पता लगायें कि क्या यह व्यक्ति लोक सेवा आयोग की सहमति से इन पदों पर नियुक्त किये गये हैं । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार एक भ्रष्टा-

[डा० अमीन]

चार विरोधी मंत्रालय स्थापित करे जो कि ऐसे मामलों की जांच कर सकेगा।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : इस विभाग के कार्यसंचालन की काफी आलोचना की गई है, विरोधी दल से सम्बन्धित कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस में भ्रष्टाचार का दौर दौरा है। कुछेक ने यह भी कहा कि कुछ सर्कलों में कर्मचारियों की अनावश्यक छांटी की गई है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है मुझे आशा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें कड़ा दंड दिया जायगा, मंत्रालय यह काम करेगा, मुझे इस बारे में ज़रा भी सन्देह नहीं परन्तु यह कहना कि ऊपर से ले कर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है तथा हमें भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय स्थापित करना चाहिये आदि आदि बातें उचित नहीं हैं।

जहां तक छांटी का सम्बन्ध है यह एक आवश्यकता है। लगभग तीन सर्कलों तथा पांच डिवीजनों को उड़ाने की सिफारिश की गई है किन्तु फिर भी मंत्रालय की कोशिश यह रही है कि कठिनाई का निवारण हो। छांटे गये कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भर्ती करने की यथासम्भव प्रत्येक कोशिश की गई। कस्तूरभाई लालभाई समिति ने ११ सहायक इंजीनियरों तथा २६ सेक्शन अफसरों की छांटी करने की सिफारिश की थी; इन में से किसी को भी नहीं निकाल दिया गया। १३९ मंत्रालय सम्बन्धी कर्मचारियों में से ७५ भर्ती किये गये हैं तथा शेष को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। २८ ड्राफ्ट्समेनों में से केवल तीन निकाल दिये गये हैं।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद दिल्ली की जन संख्या काफी बढ़ गई। कई नये कार्यालय खुल गये। यही कारण है कि आज क्यों रिहायशी मकानों आदि की कमी महसूस की जा रही है। इस भीड़ को कम करने के लिये कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने के मामले पर विचार हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछेक सुझाव देना चाहता हूं। एक यह है कि पुरानी छावनियों को, जहां कि पहले सेना रहा करती थी, काम में लाया जाये। अभी सिकन्दराबाद है, वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उन्हें काम में लाया जा सकता है। ऐसे ही और भी कई स्थान हैं। दूसरे कई पहाड़ी स्थान हैं जहां राजे महाराजों के बहुत से भवन तथा और भी कई इमारतें हैं। इन्हें भी काम में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं ऊटाकमंड का विशेषकर ज़िक्र करूंगा, और भी ऐसे कई स्थान हैं जहां कि हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। तीसरे कई बहुमुखी परियोजनायें हैं। इस सिलसिले में काफी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। इन्हें भी उपयोग में लाया जा सकता है।

गृह-व्यवस्था का जीवन-यापन स्तर से घनिष्ट सम्बन्ध है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या अपना प्रकोप रूप धारण कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार ने राज्य सरकारों को अर्थ सहायता तथा ऋण देने का जो वचन दिया है वह सराहनीय है। औद्योगिक नियोजकों तथा कर्मचारियों की गृह-व्यवस्था के लिये भी सरकार ने अर्थ सहायता तथा ऋण देने का वचन दिया है।

मद्रास सरकार ने इस विषय के सम्बन्ध में अपनी परियोजनायें पेश की होंगी, इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र की ओर से भी मंजूरी के लिये कुछ परियोजनायें पेश की गई होंगी। रायला-सीमा मिल्स, अडोनी की भी एक परियोजना सरकार के पास आई होगी। इसी तरह होज़पेट की चीनी मिल ने भी अपनी

स्कीम पेश की होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें मंजूर किया जाये।

गृह-व्यवस्था से सम्बन्धित सहकारी समितियों को भी सहायता दी जाये। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि उन्हें ३७ १/२ प्रतिशत ऋण मिलना चाहिये।

गत नवम्बर में सस्ते मकानों के डिज़ाइन पेश करने के सम्बन्ध में जो गोष्ठी हुई थी उस के निष्कर्षों को प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित किया जाये, हमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये भी मकानों के डिज़ाइन बनाने चाहियें जिस से कि लोग स्थानीय सामग्री तथा श्रम से वहां मकान बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : श्रीमन्, मैं इस अवस्था पर संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे खेद है कि डा० अमीन जिन की बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं, इस समय सदन में नहीं हैं। उन्हों ने पैट्रोलियम विभाग के बारे में कुछ कटुवचन कहे जो कि निराधार हैं। माननीय सदस्य तेल के विषय में काफी दिलचस्पी लेते रहे हैं। उन्हों ने इस के सम्बन्ध में, विशेषकर भट्टी के तेल के सम्बन्ध में सदन में प्रश्न पूछे जिन का यथोचित उत्तर दिया गया। उन्हों ने इस विषय पर मुझ से तथा मेरे माननीय सहयोगी से भी बात की तथा उन्हें सन्तोषजनक उत्तर दिये गये।

सदन को मालूम है कि तेल के सम्भरण के बारे में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। यह देश के लिये एक अत्यन्त ही आवश्यक पदार्थ है। आसाम से हमें कुछ तेल प्राप्त होता है जो कि मुश्किल से केवल उसी राज्य के लिये काफी है। शेष के लिये हम इन तेल कम्पनियों पर निर्भर करते हैं।

जहां तक हमें मालूम है, तेल का व्यापार सारे मिश्र में एक सी प्रणाली के आधार पर हो रहा है। विश्व के किसी भी भाग में इस पर कोई संविहित मूल्य नियंत्रण अथवा कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है, मूल्य-व्यवस्था सभी जगह एक जैसी है। यह व्यवस्था दो बातों पर आधारित है जिस पर कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। एक तो खुले बाजार का मूल्य है। तेल का सब से बड़ा खुला बाजार मेक्सिको की खाड़ी है, इस पर भी हमें कोई काबू नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण सामुद्रिक परिवहन है। इस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। १९५१ के मध्य में जब कि आबादान का तेल कारखाना एकाएक बन्द हुआ तो इन तेल कम्पनियों को हमारे लिये दूसरी जगहों से तेल लाना पड़ा, उन्हें पश्चिमी गोलार्ध से यह लाना पड़ा, इसके लिये उन्हें सामुद्रिक परिवहन का अतिरिक्त खर्चा भी उठाना पड़ा। यद्यपि सरकार ने उन्हें कुछ अधिभार वसूल करने की अनुमति दी फिर भी उस ने समय समय पर इस की जांच की। १९५२ के उत्तरार्ध में सामुद्रिक परिवहन का खर्चा घट गया तथा हम ने भी उस के आधार पर तेल की कीमतें घटाईं। भट्टी के तेल के मूल्यों में दिसम्बर १९५२ के आरम्भ से ४३ रुपये से ले कर ४६ रुपये तक प्रति टन की कमी की गई।

सरकार ने कई बार तेल के दामों से सम्बन्धित इस प्रश्न पर विचार किया है। सन् १९४७ में विदेशों में हमारे व्यापार-मण्डलों तथा व्यापार प्रतिनिधियों की सहायता से भी इस पर विचार किया गया था, और १९५१ में भी विदेशों में हमारे व्यापार-मण्डलों ने इस पर विचार किया था। सरकार को इस बात का संतोष प्राप्त है कि इन तेल कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य बिल्कुल साधारण हैं और अन्य देशों में दिये जाने वाले मूल्य भी उन्हीं के समान हैं। हो सकता है कि कहीं

[श्री बुरागोहिन]

इधर उधर थोड़ा-सा अन्तर हो, जैसा कि इस मामले में कदाचित् भट्टी के तेल के तेल पर जरा सा अधिक बोझ पड़े, यद्यपि जन-साधारण की आवश्यकता, यानी मिट्टी के तेल पर निश्चय ही कम दबाव है। अतः, तेल तथा तेल की दामों के सम्बन्ध में यही स्थिति है।

तेल की कम्पनियों के पैट्रोल विभाग के सम्बन्ध में किसी ने भी प्रश्न पूछने की कृपा नहीं की है। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत यह पैट्रोल विभाग छोटे से छोटे उपविभागों में से एक है, और वे व्यक्ति बहुत अधिक श्रम से काम करते रहे हैं। आप को इस बात का स्मरण कराया जाता है कि १९५१ के मध्य में आबादान का मुख्य साधन बन्द किया गया। इस विभाग की दूरदर्शिता तथा तेल कम्पनियों की मुस्तेदी के कारण भारत बिना राशन-पद्धति के चल सका। इस कठिनाई के बावजूद भी हमें राशनिंग नहीं चलानी पड़ी।

अब आगे कड़ी आलोचना के विचार से नहीं अपितु रचनात्मक सुझाव के विचार से, मैं उन दो-एक बातों पर बोलना चाहूंगा जो मेरे मित्र श्री खण्डू भाई देसाई तथा श्री खुदा बख्श ने पूछी हैं। इन दोनों ने इस मंत्रालय की केन्द्रीय क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले तेल-भाण्डारों के परिमाण, मात्रा, विविधता तथा पेचीदगी पर ज़ोर दिया है।

हर माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में कई ग़लतफहमियां होंगी—और हो सकता है कि अन्य लोगों के मन में भी इसी प्रकार की धारणायें हों। यह केन्द्रीकृत क्रय पद्धति एक विचित्र ढंग से चलती है। मेरा विचार है कि बहुत हद तक लोक सेवा आयोग के साथ इस की तुलना की जा सकती है। यह एक सुप्रसिद्ध बात है कि लोक सेवा आयोग को कई पदपूर्तियां करने के लिये विज्ञापन देना पड़ता है, और उन योग्यताओं का विशिष्टीकरण करना पड़ता है जो उस पद के लिये आवश्यक हों, और यह आयोग अन्य योग्यताओं के लिये भी सोच विचार कर लेता है। केन्द्रीय क्रय संस्था का भी यही हाल है। केन्द्रीय क्रय संस्था अपनी मांगों को विज्ञापित करती है। जो भी उस विज्ञापन पर माल देने के पात्र हों उन्हें प्रतियोगिता के लिये खुला मौका देती है और इस के बाद यह संस्था उन उत्पादों की कड़ी जांच करती है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमारे हां दो जांच गृह हैं, जहां विशेषज्ञों द्वारा इन उत्पादों की जांच होती है। एक तो अलीपुर स्थित सरकारी जांच गृह है, और दूसरा टाटानगर की खनिजधातु प्रयोगशाला है। इन दो स्थानों पर ही हमारे मुख्य उत्पादों की जांच होती है। भाण्डारों के लिये हमारे पास विशिष्ट नमूने रहते हैं, और ये नमूने बहुत ही विशिष्ट आदर्श के होते हैं; और हर सफल ठेकेदार को इन विशिष्ट नमूनों के हिसाब से सामान पहुंचाना पड़ता है। अतः एक भाण्डार-क्रय का यह सारा मामला इस तरह विचारा जाता है कि किसी भी पदाधिकारी के लिये इस बात की गुंजाइश नहीं रहती कि वह किसी पार्टी का पक्ष ले, क्योंकि और भी कई एक पार्टियां होती हैं। वह यह सारा काम किसी बन्द कमरे में नहीं करता। वह खुले आम इन सारी बातों को किया करता है। भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेड जर्नल में इन सभी मांगों का विज्ञापन रहता है। इस प्रकार यह रसद विभाग एक विशेष ढ़ंग से प्रकाश में सारा काम किया करता है। इस में संदेह की कोई भी बात नहीं, और यही कारण है कि कोई भी सदस्य किसी प्रकार का कोई उदाहरण नहीं दे सका है कि रसद विभाग में कोई गड़बड़ हो रही हो।

हो सकता है कि विदेशों में खरीदी गई वस्तुओं में इधर उधर कोई गलती हो गई हो, किन्तु ऐसी स्थिति में मैं सदन को यह भी बतला दूं कि इसमें हमारे लण्डन स्थित और वाशिंगटन स्थित केन्द्रीय क्रय संस्था का कोई भी दोष नहीं है। यह तो कदाचित् भारत सरकार के कई विभागों द्वारा की गई प्रत्यक्ष खरीद, और उन की उचित सूचना के अभाव के कारण अथवा अनुभवहीनता या प्राविधिक कला के अभाव के कारण हुआ था। इस का यह भी कारण हो सकता है कि वे उचित रूप से व्यवस्था नहीं कर सके।

हम ने मुख्यतः इस कारण से इन तीनों संस्थाओं का पुनरीक्षण प्रारम्भ किया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अधीन रसद विभाग ३० वर्ष पहले स्थापित किया जा चुका है। सत्य तो यह है कि लन्दन की संस्था एवं वाशिंगटन की संस्था के लिये संस्थापित दो प्रादेशिक समितियों ने अभी हाल में काम पूरा किया है, और रिपोर्ट भेजी है, और उन की रिपोर्टें भी सरकार के पास हैं। एक और समिति उन विशेषज्ञों की बनाई गई है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि हैं, और जो भाण्डार क्रय के इस विशेष काम में विशारद हैं। यह कमेटी केवल भारतीय संस्था की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, अपितु लंदन एवं वाशिंगटन स्थित अन्य दो कमेटियों द्वारा जो अपने समय की विशेषज्ञ समितियां थीं दी गई रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श करेगी। इस सारे को देखने का यह अभिप्राय है कि क्या हम कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं—ऐसी बात नहीं कि संस्थायें अब संतोषजनक काम नहीं करती हों—किन्तु हमारा अभिप्राय इन पर और भी अधिक विचार करने का है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इन संस्थाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है जिस से क्रय की खरीद के परिमाण, प्रकार आदि अन्य मामलों पर अच्छा प्रभाव पड़े।

मेरे माननीय मित्र खुदा बख्श ने पूछा है कि क्या विदेश स्थित भारतीय संस्थाओं के पास भेजे जाने से पहले इन वस्तु सूचियों की जांच होती है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि इस काम के लिये रसद एवं विसर्जन महानिदेशालय में एक विभाग रखा गया है। विविध सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से विदेशों से सामान मंगाने से पहले, इस संस्था की सहायता लेनी पड़ती है। रसद एवं विसर्जन महानिदेशालय इन वस्तु-सूचियों को जांचने के बाद लन्दन स्थित इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट और वाशिंगटन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन के पास भेज देगा। इस प्रकार की प्रक्रिया तो मौजूद है, किन्तु हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जांच प्रक्रिया को कितना अधिक कड़ा किया जा सकता है।

मैं सदन का और समय न लेते हुए, शेष बातों को अपने सहयोगी मंत्री जी के लिये छोड़ देता हूं।

श्री राघवाचारी : क्या हम जान सकते हैं कि ब्रिटेन तथा वाशिंगटन स्थित क्रय करने वाले इन प्रतिनिधि मण्डलों को छोड़ कर किन अन्य स्थानों में खरीद में गड़बड़ मानी जाती है? उपमंत्री जी कह रहे थे कि ब्रिटेन तथा वाशिंगटन में खरीदे गये भाण्डारों में कोई भी गड़बड़ नहीं ह .....

श्री बुरागोहिन : मैं यही बतला रहा था कि इस मंत्रालय की केन्द्रीय क्रय संस्थाओं द्वारा की गई खरीदों में कोई भी गड़बड़ नहीं है। यह संभव हो सकता था कि जीपों की खरीद जैसे एकाध मामले में, जिन के सम्बन्ध में सदन को ज्ञात है, कुछ गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि भारत सरकार के अनेक विभागों

[श्री बुरागोहिन]

द्वारा अलग ही प्रत्यक्षतः इस प्रकार की खरीदें हुई थीं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : विरोधी दल ने जो भी आलोचना की है उसे यों रखा जा सकता है कि उन्हों ने सरकार की सफलताओं का १०,००० वां अंश जताया है, और इस की त्रुटियों को १,००० गुना कर दिया है। परिणामस्वरूप, विरोधी दल प्रसन्न हो रहा है । इस तरह की कालिख फेरने के लिये उन्हों ने लोकनिर्माण कार्य विभाग को चुना । ठीक है कि हम सभी ऐसे ही मौकों की ताक में रहते हैं; यों तो मेरा यह कहने का अभिप्राय नहीं कि लोक-निर्माण-कार्य विभाग के सभी कर्मचारी सम्मान्य एवं निर्दोष हैं, किन्तु मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उन सभी लोगों पर कालिख फेर देनी चाहिये ।

गृह-व्यवस्था कार्य बहुत ही कठिन है, और हम सभी जानते हैं कि विदेशों को भी इस के लिये कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । वहां भी लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अन्य देशों के मुकाबले में हमारे हां का निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्रालय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यह कोई मजाक की बात नहीं कि इतने अल्पकाल में इस मंत्रालय ने लगभग १५,००० मकान बनाये हैं। इस काम के लिये यह मंत्रालय बधाई का पात्र है ।

हमारे सामने वास्तव में ग्रामीण गृह व्यवस्था की समस्या सब से बड़ी समस्या है। स्वयं मैं ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का हूं जहां बहुत कम कस्बे हैं, और ग्रामीण वातावरण है । यदि हमारा गृह-व्यवस्था मंत्रालय इस समस्या के साथ न्याय करना चाहे, तो इसे सरकारी पदाधिकारियों के लिये ही मकान नहीं बनाना चाहिये। सरकार ५०० रुपये से अधिक और कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को ही ध्यान में रख रही है। हमें चाहिये कि निम्नस्तर के लोगों के लिये भी गृह-व्यवस्था हो। काम निम्नस्तर से प्रारम्भ होना चाहिये और बाद में ऊपर के स्तर को लिया जाना चाहिये । स्वतंत्र भारत को इसी चीज़ की आवश्यकता है ।

आज प्रातः मैं ने ग्रामीण गृहव्यवस्था सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न पूछा था । मैं यह जानना चाहता था कि क्या उस प्रस्तावित प्रदर्शनी में इस प्रकार के मकानों के नमूने भी रखे जयेंगे जिन्हें छोटे छोटे गांवों में बनाया जा सकता हो। मैं मंत्रालय के इस उद्यम को समझ रहा हूं, किन्तु हम एक राष्ट्रीय अद्भुतालय का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते ? हर एक देश में एक बड़ा राष्ट्रीय अद्भुतालय होता है । मुझे इस बात में ऐसा कोई तर्क दिखाई नहीं देता कि हम क्यों एक ऐसा भवन नहीं बनायें जो हमारे देश की बड़ाई को जतादे ।

एम० एस० गुरुपादस्वामी : लेकिन महल नहीं चाहिये ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : हर देश में महल हैं। हमारे यहां भी महल हों ।

श्री नम्बियार : आप मौजूद महलों को ही प्रयोग में लायें ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : हम रूस की अपेक्षा ऐसे महलों का अधिक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। मैं आप को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने इस देश में जनता के लिये बड़े २ महल बनवाना चाहते हैं।

हमें गांवों की बनावट को भी बदलना होगा। मैं कई एक देहातों में गंदे-सड़े मकान

देख आया हूं हमें उन को बदलना होगा। जब तक उन्हें नहीं बदला जाता, तब तक हम इस काम के साथ न्याय भी नहीं कर सकते। मुझे इस बात का हर्ष है कि मंत्रालय एक राष्ट्रीय भवन-निर्माण संस्था खोल रहा है जो भवन-निर्माण में स्वदेशीय सामग्री का प्रयोग करायेगा और लागत कम करा देगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह संस्था दिल्ली में ही न रहे । मैं चाहता हूं कि हर गांव और हर कस्बे में इस संस्था की शाखायें हों, ताकि सारे भारत में नये ढंग से भवन-निर्माण-व्यवस्था हो सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने लगभग ११ लाख रुपये की बचत की है ।

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होस्टलों के बारे में भी बताना चाहता हूं। सरकार का एस्टेट आफिस रहस्यों से भरा है, कितना ही अच्छा होता कि मैं इस कार्यालय की सभी बारीकियों और ऊंच नीच को समझ पाता। बहुत कम लोग इस कार्यालय की कार्यप्रणाली समझते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि होस्टलों में सुधार होना चाहिये और वहां लोगों को अच्छा भोजन मिलना चाहिये। मैं स्वयं एक सरकारी होस्टल में रहा हूं और जानता हूं कि लोगों को कितना अपौष्टिक और नीरस भोजन मिलता है। मैं चाहता हूं कि एस्टेट आफिस इस दिशा में सुधार करे।

जब तक इन सरकारी होस्टलों में मिलने वाला खाना घटिया दर्जे का रहेगा तब तक इस मंत्रालय की अक्षमता की डौंड़ी पिटती रहेगी।

मैं मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि शिमला प्रैस को फरीदाबाद लाया जा रहा है, किन्तु मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि लोक सभा की कार्यवाही की छपाई में सुधार किया जाय। पंजाब की विधान-सभा की कार्यवाही को देखकर भी मैं यही समझता हूं कि वह सरकारी प्रैस की चीज़ नहीं, और जब मैं लोक सभा की लिखित कार्यवाही और हैंसार्ड की तुलना करने लगता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी पी० एच० डी० के हाथ की चीज़ है और यह किसी मैट्रिक पास के हाथ की। मेरी यही प्रार्थना है कि गवर्नमेंट प्रेस की कार्यक्षमता को बढ़ा दिया जाना चाहिये।

कुल पर यही कहा जा सकता है कि मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। त्रुटियां तो बताई जा सकती हैं, किन्तु मैं अवश्य कहूंगा कि मंत्रालय ने गृह-व्यवस्था कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। रहा, इन सुझावों का---यह मैं ने अनुभूति की बात कही। यों तो मुझे निश्चय है कि नये मंत्रालय के अधीक्षण में ये सभी त्रुटियां दूर हो जायेंगी।

श्री रणजीत सिंह (संगरूर) : जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें मालूम है कि दिल्ली में किराए पर मकान लेना एक समस्या है। निस्सन्देह, सरकार ने गत चार या पांच वर्षों में शरणार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान बनवाए हैं। किन्तु सरकार ने दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया है। एक रहने का कमरा, एक चौका, एक स्नानागार और नौकर का क्वार्टर लेने वाले को दो वर्ष का ५,००० रु० एडवांस देने पर भी मकान नहीं मिलता। जब कि इस राशि में इतना बड़ा स्थान तो बनवाया जा सकता है।

कई हज़ार सरकारी कर्मचारी मकानों की प्रतीक्षा सूची पर हैं । यदि इसी गति से सरकार ने उन के लिए गृह-निर्माण किया तब तो उन की बारी वर्षों में भी नहीं आने पाएगी। सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों के लिए रहने का स्थान बनाए।

[श्री रणजीत सिंह]

सरकार अपने साधनों द्वारा निश्चय ही निर्माण कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकती है। सरकार को सस्ती जमीनें और सस्ते दर पर सामान दे कर लोगों को मकान बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक मंजिले मकानों पर सरकार को दूसरी मंज़िल बनाने की अनुमति देनी चाहिए। निर्माण के सामान पर रेल भाड़ा कम करना चाहिएं। ईंटों का मूल्य बहुत अधिक है। उचित व्यवस्था कर के ईंट सस्ते मूल्य पर बनवानी चाहिएं। सरकार को अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देकर स्वयं अपने मकान निर्मित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

गत वर्ष और इस वर्ष सरकार ने नई दिल्ली में जमीन १,५०,००० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से बेची। यह जमीन जो इतने अधिक मूल्यों पर बेची गई सरकार द्वारा सन् १९१२-१३ में १५० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गई थी। कोई व्यक्ति जो १/५ एकड़ भूमि पर मकान बनवाना चाहता है, उसे २०,००० रु० तो ज़मीन खरीदने और ६०,००० रु० मकान बनवाने में खर्च करने होंगे। इस प्रकार ८०,००० हज़ार रुपए में मकान बन कर तैयार होगा। फिर ज़मीन का टैक्स उसे प्रति वर्ष अलग देना होगा। मैं पूछता हूं कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो मकान बनवाने के लिए इतनी राशि व्यय कर सकते हों? इस से तो मकान-निर्माण कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसलिए सरकार को ज़मीन तथा निर्माण-सामग्री के मूल्य कम करने चाहियें। जितने प्लाटों की मांग हो उस से अधिक सरकार को विक्रय के लिए प्रस्तुत करने चाहियें। निर्माण समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे लम्बे अर्से में देश की मकान समस्या के समाधान में बहुत सहायक होंगी। इन समितियों को सस्ती ज़मीनें, लम्बे पट्टे और यदि सम्भव हो तो ऋण भी देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन मज़दूरों ने नई दिल्ली के बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया है और जो स्वयं बिना मकान के इधर से उधर मारे-मारे फिरते हैं उन के लिए अवश्य ही रिहाइश का प्रबन्ध होना चाहिए।

सरदार स्वर्ण सिंह: माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों तथा उन के द्वारा की गई विभिन्न आलोचनाओं में से सब का शायद मैं अपने पास के अल्प समय में उत्तर न दे सकूं किन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन सब बातों पर भी, जिन को मैं अपने भाषण में व्यवहृत न कर सकूं, पूरा पूरा गौर करूंगा और उन के लिए जो कुछ किया जा सकेगा करूंगा।

जहां तक गृह-निर्माण का प्रश्न है, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जितना थोड़ा समय इस काम को प्रारम्भ किए हुए हुआ है, उसे देखते हुए हम ने इस में आशातीत उन्नति की है। मेरे जिन मित्रों को इस में संदेह है उन के प्रति मैं यही शिकायत करूंगा कि या तो उन्हों ने कभी उन स्थानों को देखने का अवसर नहीं उठाया है जहां यह निर्माण कार्य हुआ है अथवा वे उन लोगों की प्रतिक्रिया से अवगत नहीं हैं जिन के लिए कि ये मकान बनाए जा रहे हैं। ये औद्योगिक मकान जो कि लगभग सभी औद्योगिक केन्द्रों में बनते जा रहे हैं अथवा भविष्य में बनेंगे वे घचपचाहट को दूर करने में बहुत सहायक हैं। यह सत्य है कि आर्थिक सहायता इस समय केवल औद्योगिक मज़दूरों के मकानों के निर्माण के लिए दी जा रही है किन्तु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इतनी सीमा तक उस स्थान पर मकानों की परिस्थिति सरल होती जा रही है और उसी

सीमा तक उस शहर की मकान-समस्या का समाधान होता है।

जहां तक औद्योगिक मकानों की वित्तीय सहायता की योजना का सम्बन्ध है, यह विश्व में अपने ढंग की निराली है। मैं इस योजना की मोटी रूप रेखा देना चाहता हूं, जब कि राज्य सरकारों द्वारा अथवा संविहित गृह-निर्माण बोर्डों द्वारा औद्योगिक मकान बनाए जाते हैं तो केन्द्र सरकार वस्तुतः शत प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है—५० प्रतिशत ऋण के रूप में और ५० प्रतिशत साहाय्य के रूप में। ऋण पर उचित ब्याज लिया जाता है और इस का किश्तों में भुगतान होता है। उन लोगों को भी जो कि प्राइवेट क्षेत्र में मकान बनवाना चाहते हों चाहे वे मालिक हों अथवा कर्मचारी, ६२ १/२ प्रतिशत सहायता दी जाती है, २५ प्रतिशत साहाय्य के रूप में और ३७ १/२ प्रतिशत ऋण के रूप में। यह बड़ी ठोस सहायता है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना की प्रतिक्रिया अत्यन्त अनुकूल हुई है। यद्यपि इस योजना ने अन्तिम स्वरूप केवल सितम्बर १९५२ में ही धारण किया तथापि जून, १९५३ तक लगभग १७,००० मकान बन गए हैं। कानपुर अथवा बम्बई जा कर देखने से प्रतीत होता है कि इन नई बस्तियों की कितनी घिचपिचाहट दूर हुई है और औद्योगिक मज़दूरों का इन साफ-सुथरी और सुआयोजित बस्तियों से समस्त शहर का नक्शा बदल गया है। आगामी वर्ष के लिए भी आय व्ययक में उपबन्ध है।

आलोचना में यह कहा गया है कि आवास-स्थान बहुत थोड़ा है। यह कहा गया कि महज़ एक कमरा, एक बरांडा, एक चौका और एक पाखाना एक परिवार के लिए बहुत कम ह। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह स्थान बहुत आरामदेह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु दूसरी ओर जो तस्वीर खींची जाती कि मज़दूर नरक बस्तियों की भयानक दशाओं में रह रहे हैं, इतने परिवार एक ही कमरे में गुज़र कर रहे हैं, वहां रोशनी और सफाई नहीं है और स्थानाभाव है, उस से तो ये नए मकान हज़ार गुना अच्छे हैं। मुझे उन लोगों से आलोचना सुन कर वास्तव में बड़ा आश्चर्य हुआ जिन के प्रतिनिधियों से कि योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व मंत्रणा कर ली गई थी। मैं सदन को बतला दूं कि योजना को अंतिम रूप जिस बैठक में दिया गया था उस में मालिकों, तथा मज़दूरों और साम्यवादी दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। मालिकों का कहना था कि वे दो कमरे वाले मकान चाहते हैं। किन्तु मज़दूरों के प्रतिनिधियों, जिन में साम्यवादी पार्श्व भी था, का यह कहना था कि अधिक कमरों की अपेक्षा हम यह पसन्द करेंगे कि मकानों की संख्या अधिक हो। हम ने एक बीच का मार्ग निकाल लिया और ऐसी योजना तैयार की जो कि सभी को स्वीकार्य हो। इस योजना पर गर्व किया जा सकता है।

श्री खंडूभाई देसाई ने कहा कि औद्योगिक गृह-निर्माण सहकारी समितियों तथा मज़दूरों को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इस प्रश्न पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है। विभिन्न योजनाओं को स्वीकार करने में हम ने स्थानीय दशाओं, वहां उपलब्ध सामग्री का उपयोग, वहां प्रचलित सामाजिक प्रथाओं तथा वहां के सब से अधिक उपयुक्त मकान के स्वरूप इत्यादि तमाम बातों पर विचार किया है और उसी के अनुसार ये मकान बनवाए गए हैं।

अन्त में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। यह मंत्रालय शीघ्र ही एक राष्ट्रीय निर्माण संगठन की स्थापना कर रहा है जो कि निर्माण-कार्य में गवेषणा और उस की क्रियान्विति के अन्तर को पाटेगा। यह संगठन

[सरदार स्वर्ण सिंह]

मकानों के डिज़ाइन, स्वरूप तथा निर्माण टेकनीक का भंडार होगा और निर्माण लागत कम करने के सम्बन्ध में गवेषणा करेगा।

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया, हम एक वर्ष से कम समय में ही सस्ते मकानों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी और गोष्ठी करने जा रहे हैं और हमारा यह इरादा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, प्राइवेट लोगों द्वारा अथवा अंतर्राष्ट्रीय देशों द्वारा जो भी मकान वहां प्रदर्शित किए जाएं वे बाद में तोड़े न जाएं वरन् उन्हें इस प्रकार स्थित किया जाए कि वे बाद में रहने के काम आएं। समय बीतने पर, उन को प्रयोग करने पर, उन लोगों की प्रतिक्रिया से जो उन मकानों में रहेंगे, कुछ नए विचारों का सृजन होगा और व्यावहारिक रूप में हमारे सामने मकान-समस्या सम्बन्धी बातों का समाधान प्रस्तुत होगा। यह प्रदर्शिनी सस्ते मकान-निर्माण के मामले में ध्यान केन्द्रित करने और नए विचारों को प्रोत्साहन देने में सहायक होगी।

श्री मोहनलाल सक्सेना की अधिकतर आलोचना वित्त सम्बन्धी दिशा में थी। उन्होंने मानवीय पहलू पर वित्तीय पहलू की अपेक्षा बहुत ज़ोर दिया। यह ठीक ही है। किन्तु सरकार के नाते, व्यावहारिक व्यक्तियों के नाते, हमें, मानवीय पहलू का पूरा ध्यान होते हुए भी, वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। हम ऐसी योजनाएं हाथ में नहीं ले सकते जो सैद्धान्तिक रूप से तो बड़ी सुन्दर और आकर्षक प्रतीत हों किन्तु वित्तीय रूप से देखे जाने पर व्यावहारिक न हों। हमें फिर व्यावहारिक मार्ग ही अपनाना पड़ता है चाहे दृश्य रूप में वह कम आकर्षक हो।

उन के इस सुझाव पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह काम वित्तीय सहायता दिए जाने पर प्राइवेट अभिकरण अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार पूंजीपति आधार का कोई अभिकरण स्थापित नहीं करना चाहती जिस का कि लक्ष्य लाभ-प्राप्ति ही रहता है। यदि उस के अतिरिक्त माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई योजना उपस्थित कर सकें जो कि व्यावाहारिक हो, तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री मोहन लाल सक्सेना : मैं ने कभी इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया कि किसी प्राइवेट अभिकरण की स्थापना की जाए। मैं ने केवल यह सुझाव दिया था कि बीमा कम्पनियों को मकान-निर्माण में अधिक राशि विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाए।

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्टीकरण के लिए मैं अनुग्रहीत हूं। जहां तक बीमा कम्पनियों को मकान-निर्माण में अधिक पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, यह वित्त मंत्रालय के सुलझाने का मामला है क्योंकि बीमा कम्पनियों के विनियोजनों के सम्बन्ध में जहां तक मेरा सीमित ज्ञान है, उन्हें कुछ निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों अथवा ऋणों में विनियोजित करना पड़ता है।

फिर, श्री मोहनलाल सक्सेना ने यह भी कहा कि दिल्ली की अतिशय आबादी की समस्या हल करने के लिए दिल्ली के आसपास ६,००० एकड़ भूमि विकसित की जानी चाहिए। मैं उन्हें बतला दूं कि इस सम्बन्ध में इतना कम कार्य नहीं हुआ है जितना कि बतलाया जाता है। केवल पुनर्वास के लिए ही २,५००० एकड़ भमि विकसित की गई थी तथा पुनर्वास मंत्रालय को मकान र्माण के लिए दी गई थी। अन्य ३५० एकड़ सामान्य

प्रयोजनों के लिए विकसित की गई थी । इसलिए ६,००० एकड़ के लक्ष्य में से आधी भूमि विकसित की जा चुकी है ।

जहां तक हमारे राष्ट्रपति के अपेक्षाकृत छोटे आवास में जाने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें बड़े-बड़े आलीशान भवनों का शौक हो । उस बड़े भवन का जो भाग वह वास्तव में प्रयुक्त कर रहे हैं वह तो बहुत ही छोटा है, उस का अधिकतर भाग तो सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है; वहां नेशनल म्यूजियम है, योजना आयोग का कार्यालय है और अन्य कार्यालय हैं । इस प्रकार राष्ट्रपति भवन का बहुत अच्छा और उचित उपयोग हो रहा है और हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है उसे देखते हुए यह उचित ही है कि उस का प्रमुख ऐसे स्थान पर रहे जो उस के योग्य हो ।

श्री मोहनलाल सक्सेना उस पदाधिकारी के प्रति अनुचित थे, जोकि अब मंत्रालय में नहीं है, जिस के विषय में उन्होंने कहा था कि उस ने अपने सरकारी मकान में एक और किराए दार को रख लिया था । मैं ने कल उन्हें बतलाया था कि इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि इस मामले में संशययुक्त कोई बात नहीं थी, और समस्त मामले को अब संतोषयुक्त आधार पर रख दिया गया है और अब जो किराए पर उठाने की अनुमति है उस की ऐस्टेट आफिस द्वारा सदा जांच की जाती है । और मुझे यह कहना पड़ता है कि एक ऐसे उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध आक्षेप करना जो कि उन आरोपों का खंडन करने के लिये यहां मौजूद नहीं है, अनुचित है ।

श्री मोहनलाल सक्सेना : आप उस की ओर से स्पष्टीकरण दे सकते हैं । क्या एक दूतावास में काम करने वाले व्यक्ति को वह किराए पर नहीं उठाया। या था ? क्या उस से ३०० रु० नहीं लिए जा रहे थे ?

श्री नम्बियार : एक नहीं, इस प्रकार के बहुत से मामले हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इसे एक छोटे से मद्दे तक सीमित कर रहा हूं । जब कि किसी उच्च पदाधिकारी के प्रति इस प्रकार के आरोप लगाए जाएं तो उस मामले को सदन में उठाने से पूर्व उस की पूरी छानबीन होना आवश्यक है और मैं निश्चित रूप से, यह कहना चाहता हूं कि उस शिकायत से पूर्व भी, किराए पर उठाने सम्बन्धी कोई शंकायुक्त बात नहीं थी ।

अब मैं कुछ शब्द लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने बहादुरगढ़ हवाई अड्डे का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद तथा आज़ादी के बाद यह बात हो गई है, वह बात हो गई है । जब मैं ने उस मामले को देखा तो मालूम हुआ कि यह दस वर्ष से भी पूर्व का मामला था और जिस पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे वह सन् १९४३ में रिटायर भी हो गया । वह मामला भी बहुत छोटा था । बात यों थी कि तीन कुंओं के लिए भुगतान किया गया था जिस के आधार पर कि वे ८० फीट गहरे खोदे गए थे जब कि वास्तविकता में वे ६५ फीट ही खोदे गए थे । इन तीन कुंओं में इस में कितना अंतर पड़ गया होगा ? इस दस वर्ष पुराने मामले पर इतनी बड़ी बात तैयार करना मैं समझता हूं अनुचित है । उन्हों ने बड़े लम्बे-चौड़े विशेषण प्रयुक्त किए और महज़ इस मामले को समस्त निन्दा का आधार बना डाला । इस का कदाचित ही कोई औचित्य था ।

पुनः, एक पैम्फलैट का निर्देश किया गया जो कि इस सदन के पटल पर रखा गया था

[सरदार स्वर्ण सिंह]

और जिस का निर्देश कितने ही अवसरों पर किया जा चुका है। मेरे पूर्ववर्ती श्री गाडगिल ने सदन पटल पर एक विवरण रखा था जिस में उस पैम्फलैट में उठाई गई बातों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण था। आखिर इन सब बातों की एक सीमा होनी चाहिए। जिन मामलों पर कि कार्यवाही हो चुकी है उन्हें बार-बार उठाने से वास्तव में कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि मुझे गलत नहीं समझा जाएगा कि मैं अफसरों का पक्षपोषण कर रहा हूं। अच्छे अफसर भी हैं और खराब भी। अच्छों के लिए हमारे मुख पर प्रशंसा के शब्द होने चाहिएं। किन्तु एक सामान्यीकरण करते हुए सभी पर इस प्रकार के बड़े-बड़े आरोप लगाने से उन में अनैतिकता ही आएगी। यदि कोई विशिष्ट मामले हों तो मैं उन में सदा देखने को तैयार हूं और मैं अनुग्रहीत होऊंगा यदि ऐसे मामले मेरे पास भेज दिए जाएं। मैं बड़ी सतर्कता के साथ उन की छानबीन करूंगा।

मुझे इस एक मामले को छोड़ कर भ्रष्टाचार के संदिग्ध आरोप के बारे में किसी अन्य सदस्य द्वारा कुछ बताये जाने की याद नहीं है।

लोक कर्म विभाग के संगठन के सुधार के बारे में कस्तूरभाई लालभाई समिति के प्रतिवेदन का प्रवर्तन जारी किया गया है जिस के परिणामस्वरूप काफ़ी बचत हुई है जैसा कि मंत्रालय के वृतान्त में बताया गया है।

इस वर्ष आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था जारी की जा रही है और इस का स्वरूप स्वतंत्र होगा। ठीकों की शर्तें बनाने तथा ठीकेदारों के दावों का निबटारा करने का काम इसी व्यवस्था को सौंपा जाएगा। कई दिनों से यह मांग की जा रही थी जो इस वर्ष पूरी होगी।

ठीकों की व्यवस्था सुलभ करने के हेतु जांच करने के लिये एक तदर्थ समिति स्थापित की गई है और उसे ठीकों का प्रपत्र सुधारने तथा केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा ठीके दिये जाने की व्यवस्था सुलभ करने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। आशा है कि इस आंतरिक सतर्कता तथा कड़े निरीक्षण के फलस्वरूप सारी शिकायतें दूर हो जायेंगी।

छंटनी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। लोक कर्म विभाग में कस्तूरभाई लालभाई समिति की सिपारिशों के अनुसार तीन सर्कल्स तथा पांच डीविजन्स बन्द कर दिये गये हैं। इस के परिणामस्वरूप कुछ छंटनी अवश्य हुई। लेकिन उस का प्रमाण उतना बड़ा नहीं है जितना कि कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है। २२ गज़ेट शुदा कर्मचारी अतिरिक्त दिखाई दिये जिन में से १७ को फिर नौकरी दी गई और केवल ५ व्यक्तियों को हटाया गया। १३९ अनुसचिवीय कर्मचारी अतिरिक्त दिखाई दिये जिन में से ७५ को फिर नौकरी दी गई और ६४ व्यक्तियों को हटाया गया। इन लोगों को अन्य स्थानों में नौकरी दिलवाने की कोशिश की जा रही है।

एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। लोक कर्म विभाग का संगठन ऐसा नहीं है कि हम सारे कर्मचारियों को सदैव नौकरी में रख सकें। यदि निर्माण कार्य की गति मंद हुई यदि भवन-निर्माण आदि काम पूरे हो गए, तो अनावश्यक लोगों को नौकरी में रख कर हम राष्ट्रीय कोष पर बोझ नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हम ने यह प्रबन्ध कर लिया है कि यदि छंटनी अनिवार्य हो जाती है तो उस समस्या की ओर अखिल भारतीय पैमाने पर देखा जाता है और फिर भी जिन लोगों को काम से हटाना आवश्यक साबित होता है उन के लिये अन्य नौकरियां खोजने की कोशिश की जाती है। लोक कर्म विभाग में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या १५–१६ हजार या उस से भी अधिक है। इस संख्या

की तुलना में मैं ने नौकरी से हटाये गये लोगों की जो संख्या बतायी है वह नगण्य सी है।

७ म० प०

श्री नम्बियार : आपने काम से हटाये गये श्रमिकों की संख्या नहीं बतायी है। केवल अन्य आंकड़े ही आपने बताये हैं।

सभापति महोदय : अब मुख्य बन्ध जारी किया जा रहा है। अब माननीय मंत्री को माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सवालों के बारे में कुछ कहना हो तो वे ज्ञापन द्वारा वैसा कर सकते हैं। अब मैं मतदान के लिये सदन के सामने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रम पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १३९, १४० तथा १४१ के मांग शीर्षकों के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए उक्त क्रम पत्र के स्तम्भ तीन में दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

पटसन की कीमतें

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : ३ मार्च को मैं ने जो प्रश्न पूछा था उस से यह चर्चा उठती है। मैं ने यह जानना चाहा था कि पटसन उत्पादकों को पर्याप्त कीमतें दिलाने के बारे में सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई थी उस के परिणाम क्या हुए। सरकारी कार्यवाही के दृश्य फल अभी प्रतीत नहीं हो रहे हैं और मैं माननीय मंत्री का ध्यान पटसन उत्पादकों की दुरवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कीमतें अधिकाधिक गिरती जा रही हैं और हम नहीं जानते कि अगली फसल पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कीमतें गिरती रहीं तो पटसन की उपज का बढ़ना असम्भव है।

हमें बताया जाता है कि पटसन उद्योग की भी बहुत बुरी हालत है। उन के पास माल का संचय बढ़ता जा रहा है लेकिन बिक्री तथा बिक्री की आशा कम है। इसलिए उद्योगपति पटसन के उत्पादकों को उचित कीमतें नहीं दे सकते। मेरी राय में उत्पादकों की तुलना में उद्योगपतियों को कोई त्याग करना नहीं पड़ रहा है। कच्चे पटसन की कीमतें ६३ या ६४ प्रतिशत से घट गई हैं और हेसियन की कीमतें २३ या २४ प्रतिशत से घटी हैं और जानकार हल्कों में तैयार पटसन की बिक्री की वृद्धि भी अपेक्षित है। अर्थात् मेरी राय में, पटसन उद्योग के सामने कोई भारी संकट मौजूद नहीं है। पटसन की चीजों का बाजार तेज होने की उम्मीद है।

मुझे विदित हुआ है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा माननीय मंत्री को इस विषय में कुछ विचार पेश किये जा चुके हैं।

पटसन की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जानी चाहिये। इस के अलावा उत्पादकों को राहत देने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। उत्पादकों को ऋण दिये जाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। जिस अच्छी किस्म का पटसन भारत में उत्पन्न नहीं होता उसी किस्म के आयात को अनुमति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये। अन्य सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री को यह भी विदित है कि कच्चे पटसन

[श्री टी० के० चौधरी]

वालों के नाम से जो संयुक्त समिति आन्दोलन मचा रही है उस में सारे फटका वाले हैं जिन के पास उत्पादकों से खरीदे हुए कच्चे पटसन के बड़े बड़े संचय पड़े हुए हैं और यदि अब कच्चे पटसन की न्यूनतम कीमत निर्धारित की गयी तो असली उत्पादकों को उस से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : क्या यह सच है कि बिहार के अच्छी किस्म के पटसन के लिए भी कलकत्ता के व्यापारियों से उचित कीमत नहीं मिलती और इस के परिणामस्वरूप वहां कीमतों में असाधारण कमी हुई है तथा बाजारों में पटसन के ढेर पड़े हुए हैं ? क्या भारत सरकार को बिहार की सरकार की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां): क्या सरकार को विदित है कि भारतस्थित विदेशी पटसन मिलों द्वारा पाकिस्तानी पटसन उत्पादकों को ऋण दिये जाते हैं और वे पटसन भारत में न खरीद कर पाकिस्तान से लाते हैं ? क्या सरकार इस की जांच करेगी और यदि यह सच हो, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री झुनझुवाला (भागलपुर मध्य) : इस बात को देखते हुए कि नवम्बर महीने में सरकार पटसन की कीमतों की मंदी से परिचित थी, क्या भारतीय पटसन के निर्यात के लिए कोई कदम उठाये गये ? क्या अब भी भारतीय पटसन के निर्यात की कोई गुंजाइश है और यदि है तो कितनी कीमतों में ?

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : क्या सरकार ने अधिक पटसन उपजाओ आन्दोलन की अपनी नीति छोड़ दी है और क्या पटसन की अवशिष्ट ७ लाख गठरियां पाकिस्तान से आयात करने की नीति स्वीकार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि आजकल पाकिस्तान से पटसन नियमित तथा निरन्तर नहीं आ रहा था ? क्या भारत में और खास कर कलकत्ते में ऐसे भी कुछ पटसन के कारखाने हैं जो केवल देशी पटसन का ही उपयोग करते हैं ? इस से हम सोच सकेंगे कि पाकिस्तान से अच्छी किस्म का पटसन आयात किये बिना हम काम चला सकते हैं या नहीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : मैं श्री बी० के० दास के इस कथन से सहमत हूं कि कच्ची पटसन की कीमतें निश्चित रूप से गिर रही हैं। 'आसाम बाटम'—जो कि एक स्टैंडार्ड वस्तु है—की कीमत अब २० रुपये प्रति मन के लगभग है। इन कीमतों में जो मन्दी आ गई है उन के कारणों को अलग थलग रखना कठिन है। मेरे माननीय मित्र श्री बी० के० दास ने पटसन के बने माल की कीमतों का उल्लेख किया। स्टैंडार्ड टाट (हेसियन) १० औंस की कीमत ४० रुपये प्रति सौ गज़ अथवा उस से कुछ कम है। मैं समझता हूं कि यह लगभग ३८-३९ रुपये है। बोरों के लिये यह ९० रुपये से कुछ कम है। पिछले कुछ दिनों में यह लगभग ८८—८९ रुपये था। पटसन तथा पटसन के माल की कीमतों का आपस में जो सम्बन्ध है, श्री बी० के० दास ने उस का भी उल्लेख किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि जिस समय कच्ची पटसन का मूल्य ३५ रुपये था उस समय टाट का मूल्य लगभग ५५ रुपये था, अर्थात् २० रुपये का अन्तर था। आज भी अधिकांश रूप से अन्तर यही कुछ है। इस बात को भी समझा जाना चाहिये कि निर्माण परिव्यय, श्रम का खर्चा तथा अन्य चीजें स्थिर हैं तथा दुर्भाग्यवश पटसन के बने माल की

कीमतें गिर गई हैं। इस का अधिकांश रूप से कच्ची पटसन की कीमतों पर ही प्रभाव पड़ा है।

श्री बी० के० दास ने किसी अमरीकी महाशय के भाषण का उल्लेख किया जिस में कि उस ने कहा था कि मोटे टाट की मांग के अवसर उज्ज्वल हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सत्य है। जनवरी १९५२ में ८४,००० टन पटसन का बना माल निर्यात किया गया। जनवरी १९५३ में यह ४७,००० टन था, फरवरी १९५२ में यह ५२,००० टन था, फरवरी १९५३ में यह ३६,००० टन था, मार्च १९५२ में यह ७४,६०० टन था, मुझे प्रसन्नता है कि मार्च १९५३ के लिए यह ७०,८२९ टन है। मुझे मालूम नहीं कि क्या यह भविष्य में बिक्री बढ़ जाने की ओर निर्देश करता है।

सरकार को सब से बड़ी परेशानी इस बात से है कि बोरों के लिए मांग कम होती चली जा रही है। १९५१ के उत्तरार्ध में बोरों का उत्पादन २७६,८०० टन था। १९५२ में तत्स्थानीय काल के लिए यह इस से लगभग एक हज़ार टन अधिक था। १९५२ के प्रथम बारह सप्ताहों में बोरों का उत्पादन १४४,००० टन था जब कि चालू वर्ष के प्रथम बारह सप्ताहों में यह ९६,००० टन था। टाट में निस्सन्देह ज़रा सी वृद्धि हुई है। इसी तरह से जनवरी-फरवरी १९५२ के काल में बोरों का कुल स्टाक औसत में लगभग ५३,६०० टन था। १९५३ में तत्स्थानीय काल के लिए यह ८६,४०० टन था। यही कारण है कि सरकार ने २७ फरवरी को इस का शुल्क क्यों १७५ रुपये से घटा कर ८० रुपये कर दिया। इस कमी के परिणामों को अभी जांचा नहीं जा सकता है। परन्तु इन दो महीनों में जो माल भेजा गया है, वह स्टाक-संग्रहन से मेल खाता है, अर्थात् जनवरी-फरवरी १९५२ में कुल १०८,००० टन माल भेजा गया था जब कि इस वर्ष तत्स्थानीय काल में केवल ५९,००० टन माल भेजा गया।

मुझे इस मन्दी के कारण देने के लिए कहा गया है। इन कारणों को अलग थलग रूप से देना कठिन है। गत वर्ष अथवा १९५१–५२ में पटसन की कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि इस के स्थान पर दूसरी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाने लगी थीं। इस से विश्व के अन्य भागों में विशेष कर जर्मनी तथा इटली में जूट मिलों की स्थापना तथा विस्तार को प्रोत्साहन मिला। पाकिस्तान में नये कारखाने खोले गए। फिलिपाइन ने भी एक कारखाना खोला। मुझे बताया गया है कि ईरान तथा अन्य मध्यपूर्वीय देशों में भी पटसन का माल विशेषकर बोरे आदि तैयार करने के लिए कारखाने खोलने की बात चल रही है। इन में से अधिकांश कारखाने बोरे तथा बोरियां बनाने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मेरे लिए यह कहना कठिन है कि क्या बोरों के लिए मांग बढ़ जायेगी अथवा घट जायेगी। हम अधिकांश रूप से निम्न क्वालिटी का माल तैयार करते हैं जो कि बोरे बनाने के काम आता है, यही कारण है कि यह माल न उठने के कारण हमारी पटसन की कीमतों पर क्यों बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि घटिया किस्म की पटसन की कीमतें क्यों गिरने लगी हैं।

मूल्यों को स्थिर करने तथा इन्हें न गिरने देने की बात कही गई है। यह एक कठिन मामला है तथा इस सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान से, जिसने कि करोड़ों रुपये का नुक्सान उठाया बताया जाता है, सबक सीखना चाहिये। यहां हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी गहन है। जब कि वह कच्ची पटसन निर्यात करते हैं हम पटसन का बना माल निर्यात करते हैं। इस के मूल्य भी विदेशों में इस की मांग पर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

निर्भर करते हैं। उत्पादन व्यय को कम करना सम्भव नहीं है, शायद मुनाफा कम किया जा सके।

मान लीजिये हम मूल्य-स्तर भी निश्चित करते ह तो हमें उन सम्भावित हानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो कि अधिकांश रूप से निश्चित ह। इस के अलावा जो मूल्य निश्चित किया जायगा वह बहुत कम होगा। मैंने इस समस्या पर बंगाल तथा बिहार की सरकारों के साथ गम्भीरता से विचार किया। यदि हम रेलव स्टेशन पर पहुंचा कर माल की कीमत १७ रुपये ८ आने प्रति मन निश्चित करेंगे तो यह मिलों को २० रुपये प्रति मन के हिसाब से प्राप्त होगा जो कि उन के लिए संतोषजनक नहीं होगा। इस के अलावा, अन्ततोगत्वा इस का मूल्य तैयार किये गए माल के लिए प्राप्त मूल्यों पर ही निर्भर होगा। यह ठीक ह कि हम पटसन के लिए अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे यदि हम टाट को ४८ रुपये के हिसाब से बेचें। परन्तु यह मन्दी अधिकांश रूप से 'फाटका बाज़ार' ने उत्पन्न की है। हमारी कोशिशों के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ गईं क्योंकि व्यापार में जान नहीं रह गई है। तो इन परिस्थितियों में हम मूल्यों को निश्चित नहीं कर सकते हैं यद्यपि पटसन की खेती पर ऐसा न करने के दुष्प्रभाव शायद स्पष्ट ही हैं।

पाकिस्तान करार का प्रश्न उठाया गया है तथा मुझे खद है कि पटसन व्यापार पर इस के दुष्प्रभावों को बढ़ चढ़ कर बताया गया है। पहले इस सदन के बहुत से सदस्यों ने पाकिस्तान द्वारा भिन्नक-शुल्क लगाने का विरोध किया। हम ने इस बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत की तथा इस मामले को उस संस्था के समक्ष पेश किया जिस के हाथ में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी साधारण करार का प्रशासन है। हमें अब प्रति मन पर पांच रुपये का लाभ हो रहा है। माननीय सदस्य अब इस शुल्क को हटाये जाने के बारे में चिन्तित हैं, उन्हें आशंका है कि स्थानीय पैदावार को कहीं बिना उपयोग के न रखा जाये। इन दोनों आयात दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति यह कहेगा कि सरकार ने सावधानी से काम किया है। हम १८ लाख गांठों तक की मात्रा के लिए लाइसैंस दे देंगे। यह मात्रा कैसे निश्चित की गई, इस के समर्थन में मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं। २८ फरवरी १९५३ को मिलों के पास १२·२३ लाख गांठें स्टाक में थीं। मंडी में कितना माल आजायगा, इस सम्बन्ध में भिन्न २ अनुमान हैं। भारतीय जूट मिल सन्था का अनुमान १० लाख गांठें हैं। इस तरह से कुल मात्रा लगभग २३ लाख गांठें हो जाती हैं। मार्च से लेकर सितम्बर तक के महीनों में पटसन का अनुमानित उपभोग ३३·६ लाख गांठें हैं। इस तरह से हमारे पास १० लाख गांठों की कमी होगी। अगले वर्ष के कम से कम दो महीनों के लिए हमारे पास लगभग ९·६ लाख गांठों का स्टाक रहना चाहिये। इस समय तक हमें पाकिस्तान से ग्यारह लाख गांठें मिल चुकी हैं। इस तरह से हमें इस वर्ष पाकिस्तान से कुछ और भी कच्चा माल आयात करना पड़ेगा। १९५१–५२ में जो कि निर्यात की दृष्टि से हमारे लिए एक अच्छा वर्ष था हमें पाकिस्तान से १८ लाख गांठें आयात करनी पड़ी थीं। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए तीन वर्ष में हम ने १८ लाख गांठें जो आयात करने का फैसला किया है वह कुछ अधिक नहीं है।

जहां तक दीर्घकालिक व्यवस्था, जिस की कि यह पुष्टि करता है, का सम्बन्ध है, भारतीय जूट मिल सन्था तथा अन्य मिलों को

प्रतिवर्ष ५०–६० लाख गांठों की अनुमानित आवश्यकता है। वर्तमान फसल के आधार पर हमारी पैदावार का अनुमान ४५ अथवा ४६ लाख गांठें लगाया गया है। इस तरह से भी हमें १५ से ले के १९ लाख गांठों तक की कमी होगी।

पंच वर्षीय योजना के आधार पर हमें १९५५–५६ में लगभग ७२ लाख गांठों की आवश्यकता होगी जब कि आयोजित पैदावार के अनुसार हम लगभग ५३·९ लाख गांठें पैदा करेंगे। इस तरह से भी १८ लाख गांठों का अन्तर रह जाता है। इसलिए यदि हम १८ लाख गांठों की निम्नतम मात्रा के लिये आयात लाइसैंस दे देंगे तो वह कोई अनुचित बात न होगी। इस सम्बन्ध में भारतीय जूट मिल सन्था ने हमें आश्वासन दिया है कि वह सारी भारतीय पटसन खरीदेगी तथा शेष बाहर से खरीदा जायगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस से बाजार में और भी मन्दी आ जायेगी।

बिहार पटसन के सम्बन्ध में कुछ पूछा गया है। यह यातायात की समस्या है। मैं ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों से बात की है तथा रेल मंत्रालय से निवेदन किया है कि बिहार पटसन के लिए यातायात की अधिक सुविधाएं उपलब्ध की जायें। हो सकता है कि दूर दराज क्षेत्रों में यातायात का खर्चा बहुत ज्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में इस समय पटसन उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री त्रिदीप कुमार चौधरी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि पटसन की कीमतें निश्चित करने से उत्पादकों की मुसीबतें बढ़ जायेंगी। मैं ने जो आशंकाएं प्रकट की हैं उन को दृष्टि में रखते हुए यह समय से पूर्व की बातें हैं।

डा० दास के इस कथन के सम्बन्ध में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं कि किसी भारतीय मिल ने किसी पाकिस्तानी पटसन उत्पादक को आगाऊ दिया है। यह मामला विदेश विनिमय विनियम अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी छिपे ऐसे किया हो, तो सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं। श्री सामंत ने कहा है कि पाकिस्तान नियमित रूप से माल नहीं भेजता है। हमें आशा है कि हमें आगे इस प्रकार की शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे मालूम नहीं कि क्या मैं ने श्री झुनझनवाला के प्रश्नों का उत्तर दिया है।

श्री झुनझुनवाला : मैं ने निवेदन किया था कि यदि हम कच्ची पटसन के निर्यात की अनुमति दे देते तो पटसन उत्पादकों को अधिक कीमत मिल जाती है। उन्हें अब भी अधिक दाम मिल सकते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकत है कि हमारी कच्ची पटसन के लिए, जो कि एक सस्ती किस्म की पटसन है, इस समय विदेशों में मांग हो, यदि हम इसे निर्यात करने की अनुमति देंगे तो हमारा पटसन का बना माल विदेशी मंडियों में कम बिक जायगा क्योंकि हम उन्हें सस्ती किस्म की पटसन उपलब्ध करेंगे जिस से कि वह पाकिस्तानी पटसन के साथ मिला कर बोरे बनायेंगे तथा उन्हें सस्ते दामों पर बेच सकेंगे। इस तरह से हम स्वयं ही अपने बोरे-बोरियों के व्यापार का सर्वनाश करेंगे। यह एक अत्यन्त ही अदूर-दर्शितापूर्ण नीति है। हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। यदि माननीय सदस्य का इरादा यह है कि हम कच्ची पटसन का निर्यात करें तथा यहां अपनी पटसन मिलों को बन्द करें तो वह एक अलग बात है। जब तक कि यहां जूट मिल उद्योग विद्यमान है, तब तक भारत कच्ची पटसन निर्यात नहीं कर सकेगा।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह भारतीय मिलों द्वारा पाकिस्तानी पटसन मिलों को रुपया आगाऊ के रूप में देने के सम्बन्ध में एक सविस्तार जांच करायें तथा इस के बाद उत्तर दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि हमें इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मिले तो हम विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।